संसदीय प्रश्न और उनके उत्तर

बजट सत्र, 2023

बजट सत्र, 2023

क्र.सं.	लो.स./ रा.स.	दिनांक	स्वीकृत प्रश्न संख्या	अनंतिम प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ सं.
1.	रा.स.	02.02.2023	103	S423	सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत छोटे प्रतिष्ठानों का संरक्षण	5
2.	रा.स.	02.02.2023	105	S178	ईएसआई की सीमा में वृद्धि करना	6
3.	लो.स.	06.02.2023	तारांकित *41	1124	ईपीएफओ में पेंशनभोगियों को अवसर	7
4.	लो.स.	06.02.2023	578	1731	आत्म2निर्भर भारतरोजगार योजना(एबीआरवाई)	9
5.	लो.स.	06.02.2023	636	1214	कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन	11
6.	लो.स.	06.02.2023	688	1675	उच्चाधिकार प्राप्त निगरानी समिति	12
7.	रा.स.	09.02.2023	885	U625	ईपीएफओ विनियमित पेंशन	14
8.	लो.स.	09.02.2023	1173		एमएसएमई क्षेत्र में विभिन्नं योजनाएं	15
9.	लो.स.	09.02.2023	1283(MSMEs)	3874	झारखंड में स्था पित एमएसएमई	18
10.	लो.स.	09.02.2023	1347(MSMEs)	3196	वित्तीSय प्रोत्सातहन नीति	21
11.	लो.स.	13.02.2023	1673	4871	आत्म2निर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) के अंतर्गत जारी की गई धनराशि	24
12.	लो.स.	13.02.2023	1693	4952	ईपीएफओ में शामिल होने वाले लोग	27
13.	लो.स.	13.02.2023	1701	4994	निधि आपके निकट	30
14.	लो.स.	13.02.2023	1710	5020	उद्योगों को दिशानिर्देश	32

15.	लो.स.	13.02.2023	1788 (Mo Corporate Affairs)	4363	महाराष्ट्रA के आकांशी जिलों में उद्दयोग	34
16.	लो.स.	13.02.2023	1803	4456	कर्मचारी पेंशन योजना	36
17.	लो.स.	13.02.2023	1815	4536	श्रमिकों को स्वा स्थ्यि्ज और पेंशन सुविधाउ के लिए नीति	38
18.	लो.स.	13.03.2023	1858	5389	ईपीएफओ में देय ब्याॉज	44
19.	लो.स.	13.03.2023	1874 (MoF)	5444	अडानी समूह में निवेश	46
20.	लो.स.	13.03.2023	1878	5464	ईपीएफ निकासी पर टीडीएस दर	49
21.	लो.स.	13.03.2023	1933	5689	उच्च3तर पेंशन योजना हेतु विकल्प	51
22.	लो.स.	13.03.2023	1934	5692	ईपीएस-95 पेंशन योजना का कार्यान्वपयन	52
23.	रा.स.	16.03.2023	1847	S3976	ईपीएफओ पेंशनभोगियों के लिए उच्च पेंशन का नया विकल्प	54
24.	रा.स.	16.03.2023	1854		निधियों का अल्प उपयोग	55
25.	रा.स.	16.03.2023	1857	U2714	संगठित क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि	56
26.	रा.स.	16.03.2023	1868		सरकार से जुड़े लंबित न्यायिक मामले	58
27.	लो.स.	20.03.2023	3051	8838	कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को उच्चन पेंशन का विकल्पप देना	60
28.	रा.स.	20.03.2023	2182 (MSMEs)	U2819	तमिलनाडु राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	61
29.	रा.स.	20.03.2023	2183	U3228	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के पुनरुद्धार	62

			(MSMEs)		के लिए वित्तीय सहायता	
30.	लो.स.	20.03.2023	3045		एनपीएस ट्रेडर्स योजना	63
31.	लो.स.	20.03.2023	3188	7797	संगठित/असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं एवं पेंशन	67
32.	रा.स.	23.03.2023	2597	S3503	कोश्यारी समिति की रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई	72
33.	रा.स.	23.03.2023	2638	S5378	पी एफ पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कार्यान्वयन	76
34.	रा.स.	23.03.2023	2643	U3114, U3142	मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लाभार्थी	77
35.	रा.स.	23.03.2023	2651	S554	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के निष्क्रिय खाते	79
36.	रा.स.	23.03.2023	2656	S4105, U2990, U3073	कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन पर (ईपीएफ) स्पष्टीकरण	80
37.	रा.स.	27.03.2023	2994	S2866	तेलंगाना में एमएसएमई के तहत औपचारिक और अनौपचारिक रोजगार	81
38.	लो.स.	27.03.2023	4171	12149	ईपीएफ अंशदाता	84
39.	लो.स.	27.03.2023	4198	12239	ईपीएफ निधि योजना में कर्मचारी अंशदान	85
40.	लो.स.	27.03.2023	4210	12292	ईपीएफ के अंतर्गत नियोक्ताचओं का अंशदान	89
41.	लो.स.	27.03.2023	4230	12357	श्रमिकों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा	92
42.	लो.स.	27.03.2023	4321	10947	आत्म7निर्भर भारत रोजगार योजना के आभार्थी	93

43.	**लो.स.**	03.04.2023	5081	14868	**ईपीएफओ अंशदाता**	99
44.	**लो.स.**	03.04.2023	5197	15378	**कुशल और अर्ध-कुशल श्रमिक**	102
45.	**रा.स.**	06.04.2023	**तारांकित** *369	S6713	**ईपीएफ पेंशनभोगियों द्वारा उच्च पेंशन के लिए संयुक्त विकल्प प्रस्तुत किया जाना**	107
46.	**रा.स.**	06.04.2023	3930	S5513	**रोजगार की चुनौतियों के समाधान प्रदान करने के लिए विजन दस्तावेज**	109
47.	**रा.स.**	06.04.2023	3944	S3054, U2058	**ईपीएफ पेंशन उच्च पेंशन विकल्प के लिए - सीमा-समय**	110

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 103

गुरुवार, 02 फरवरी, 2023 /13 माघ, 1944 (शक)

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत छोटे प्रतिष्ठानों का संरक्षण

103. श्रीमती वंदना चव्हाण:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में 10 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए सामाजिक सुरक्षा संबंधी प्रावधानों की आवश्यकता की अनदेखी करने के क्या कारण हैं;

(ख) ऐसे प्रतिष्ठानों और उनमें कार्यरत कामगारों की सुंख्या कितनी है; और

(ग) इन प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों की भी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): प्रतिष्ठान के आकार पर ध्यान दिए बिना, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (एसएस संहिता) का उद्देश्य संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में सभी कर्मचारियों और कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। सामाजिक सुरक्षा के कवरेज को बढ़ाने हेतु एसएस संहिता में निम्नानुसार उपबंध किए गए हैं: -

i. अधिसूचित जिलों/क्षेत्रों को शामिल करते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के कवरेज को पूरे भारत में विस्तारित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, 10 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए स्वैच्छिक आधार पर ईएसआईसी कवरेज शुरू किया गया है। इसके अतिरिक्त, ईएसआईसी के तहत आने वाले लाभों को किसी ऐसे प्रतिष्ठान पर भी लागू किया जा सकता है जो केंद्र सरकार द्वारा यथा अधिसूचित खतरनाक या जीवन के लिए जोखिमकारी कार्य करता है, जिसमें चाहे एक ही कर्मचारी कार्यरत हो।

ii. यह संहिता असंगठित कामगारों, गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों के कल्याण के लिए योजनाएं सृजित करने हेतु एक सामाजिक सुरक्षा कोष की परिकल्पना करती है।

iii. केंद्र सरकार को ईएसआईसी या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के माध्यम से असंगठित कामगारों, गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों और उनके परिवारों के सदस्यों को लाभ प्रदान करने हेतु अधिकृत किया गया है।

"छठी आर्थिक जनगणना की अखिल भारतीय रिपोर्ट" के अनुसार, 10 से कम कामगारों वाले 5,76,91,987 प्रतिष्ठान थे।

****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 105

गुरूवार, 2 फरवरी, 2023 / 13 माघ, 1944 (शक)

ईएसआई की सीमा में वृद्धि करना

105. श्रीमती जेबी माथेर हीशम:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की मंशा कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) की सीमा बढ़ाने की है ताकि अधिक-से-अधिक कर्मचारियों को इसके दायरे में लाया जा सके, यदि हां, तो किस वेतनमान तक की सीमा बढ़ाने की मंशा है;

(ख) क्या सरकार की मंशा ईएसआई निगम के तत्वावधान में और अधिक चिकित्सा महाविद्यालय शुरू करने की है यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए चिह्नित स्थानों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कर्मचारी पेंशन निधि से संबंधित शिकायतों के समयबद्ध निवारण के लिए फास्ट ट्रैक न्यायिक पीठ स्थापित करने के लिए तत्काल उपाय करेगी?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): वर्तमान में, कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए कवरेज हेतु मौजूदा वेतनमान सीमा को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। साथ ही, कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा और अधिक चिकित्सा महाविद्यालयों को खोले जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग): ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 41

सोमवार, 06 फरवरी, 2023/17 माघ, 1944 (शक)

ईपीएफओ में पेंशनभोगियों को अवसर

***41 श्री बी. मणिक्कम टैगोर:**
श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने बढ़ी हुई पेंशन हेतु आवेदन करने के लिए पेंशनभोगियों के एक वर्ग को कोई अवसर प्रदान किया है;

(ख) क्या ईपीएफओ सेवा में रहते समय अधिक पेंशन के विकल्प की अनुमति देने पर विचार कर रहा है;

(ग) क्या ईपीएफओ 1 सितम्बर, 2014 के बाद सेवानिवृत्त हुए तथा सेवा में मौजूद व्यक्तियों के संबंध में दिशा-निर्देश लाने पर विचार कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री

(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*

*****

"ईपीएफओ में पेंशनभोगियों को अवसर" के संबंध में माननीय सांसद, श्री बी. मणिक्कम टैगोर और श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी द्वारा दिनांक 06.02.2023 को पूछे जाने वाले लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 41 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क): जी, हां। दिनांक 29.12.2022 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने दिनांक 01.09.2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशनभोगियों से ऑनलाइन आवेदन मंगाने के अनुदेश जारी किए थे और जिन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति से पहले वेतन सीमा से अधिक वेतन पर पेंशन निधि में अंशदान करने के लिए संयुक्त विकल्पों का प्रयोग किया था, परंतु उनके संयुक्त विकल्पों को ईपीएफओ द्वारा (कट-ऑफ तारीख के कारण) खारिज कर दिया गया था। यह वर्ष 2019 के एसएलपी (सिविल) संख्या 8658-8659 में दिनांक 04.11.2022 के निर्णय के अनुच्छेद 44(v) और (vi) के साथ पठित अनुच्छेद 44(ix) में यथा निहित माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में हुआ है।

(ख): दिनांक 22.08.2014 के सा.का.नि. 609 (अ) के माध्यम से अधिसूचित कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 के अनुसार दिनांक 01.09.2014 से केवल 15000 रुपये प्रति माह तक वेतन पाने वाले कर्मचारी कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 की सदस्यता के लिए हकदार हैं।

(ग) और (घ): वे व्यक्ति जो 01.09.2014 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं और जो सेवा में हैं और ईपीएस, 1995 के सदस्य हैं, वे दिनांक 01.09.2014 से, दिनांक 22.08.2014 के सा.का.नि. 609 (अ) के माध्यम से यथा संशोधित ईपीएस, 1995 के उपबंधों द्वारा शासित होते हैं।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारत के संविधान की धारा 142 के तहत निर्देश दिया है कि ईपीएस, 1995 के सदस्य, जिन्होंने ईपीएस, 1995 के पूर्व-संशोधित अनुच्छेद 11(3) के परंतुक में यथा अपेक्षित वेतन सीमा से अधिक वेतन पर अंशदान करने के विकल्प का प्रयोग नहीं किया है, वे चार महीने की बढ़ी हुई समयावधि के भीतर संशोधन पश्च योजना के अनुच्छेद 11(4) के अंतर्गत संयुक्त विकल्पों का उपयोग करने के हकदार होंगे, बशर्ते संशोधित उपबंध के अनुसार शेष अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाए।

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के कानूनी, वित्तीय, बीमांकिक और तार्किक निहितार्थ हैं और उनका अध्ययन किया जा रहा है।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 578

सोमवार, 06 फरवरी, 2023/17 माघ, 1944 (शक)

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई)

578. **श्री संजय काका पाटीलः**
श्री बालाशौरी वल्लभनेनीः
श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डीः
श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालूः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) के तहत लक्ष्यों और समय-सीमा का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपरोक्त लक्ष्यों और समय-सीमा के संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या यह सच है कि कई नियोक्ता और कर्मचारी जागरूकता की कमी के साथ-साथ इसमें शामिल जटिलताओं के कारण आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) के तहत लाभ से वंचित हैं;

(घ) यदि हां, तो इन मुद्दों के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) के तहत पात्रता शर्तों को और अधिक सुव्यवस्थित बनाने के लिए संशोधित करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (च): आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), नए रोजगार का सृजन करने हेतु रोजगार देने वालों को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हुई हानि के प्रतिस्थापन हेतु दिनांक 01 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य 71.80 लाख सदस्यों को लाभान्वित करना था। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31.03.2022 थी और इस योजना तहत पंजीकरण की अंतिम तिथि तक कुल पंजीकरण 75.11 लाख है।

एबीआरवाई के तहत पंजीकृत प्रत्येक प्रतिष्ठान/नए-कर्मचारी जो पात्रता मानदंड को पूरा कर रहे थे, उन्हें योजना के तहत लाभान्वित किया गया। दिनांक 24.01.2023 को 1.51 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से 60.26 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

इसके साथ-साथ, नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए समय-समय पर निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

i. एबीआरवाई के तहत पंजीकृत नहीं होने वाले नियोक्ताओं को ईपीएफओ के नियोक्ता पोर्टल पर मैंसेज के माध्यम से सूचित किया गया था।
ii. ईपीएफओ के जोनल और क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से नियोक्ताओं/नियोक्ता संघों के साथ वेबिनार आयोजित किए गए।
iii. सोशल मीडिया आउटरीच के माध्यम से जागरूकता।
iv. उन प्रतिष्ठानों जो अतीत में आवश्यक मानदंडों को पूरा कर चुके हैं, लेकिन एबीआरवाई के तहत पंजीकृत नहीं हैं, को शिक्षित/प्रोत्साहित करने के लिए लक्षित प्रयास किए गए हैं।
v. एबीआरवाई के तहत नियोक्ताओं को पंजीकरण की अंतिम तिथि के बारे में सूचित करने और पंजीकरण के लिए उन्हें प्रेरित करने के लिए एसएमएस।
vi. सृजनात्मक के माध्यम से वेबसाइट पर प्रचार।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 636

सोमवार, 06 फरवरी, 2023/17 माघ, 1944 (शक)

कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन

636. श्री गिरिधारी यादव:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन की गणना मूल वेतन के रूपए के आधार पर निर्धारित की जाती है जिसकी अधिकतम सीमा 15000 रूपए है जिसके कारण अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को उचित पेंशन नहीं मिल पाती है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार वास्तविक मूल वेतन के आधार पर पेंशन की गणना करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के अंतर्गत सदस्य का पेंशन, ईपीएस, 1995 के उपबंधों के अनुसार सदस्य की पेंशन योग्य सेवा और पेंशन योग्य वेतन के आधार पर गणना की जाती है।

दिनांक 01.09.2014 को या उसके पश्चात शामिल होने वाले सदस्यों के लिए दिनांक 01.09.2014 से अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 15,000/- रुपए प्रति माह तक सीमित है। हालांकि, पेंशन की गणना करने के लिए, 15,000/- रु. के पेंशन-योग्य वेतन की अधिकतम सीमा, दिनांक 01.09.2014 तक के विद्यमान सदस्यों पर लागू नहीं होगी जो वेतन सीमा से अधिक अंशदान कर रहे थे तथा जिन्होंने विद्यमान वेतन सीमा से अधिक अंशदान करने का विकल्प चुना था।

******

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 688

सोमवार, 06 फरवरी, 2023 / 17 माघ, 1944 (शक)

उच्चाधिकार प्राप्त निगरानी समिति

688. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ईपीएफ पेंशन योजना के व्यापक पुनरुद्धार के लिए नियुक्त उच्चाधिकार प्राप्त निगरानी समिति की सिफारिश पर विचार कर रही है, यदि हां, तो इस पर की-गई-कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को ईपीएफ योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को पुन: आरंभ करने की सिफारिश प्राप्त हुई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का ईपीएफ योजना के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने ईपीएफ पेंशनरों की दयनीय स्थिति के संबंध में अध्ययन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मुद्दे का समाधान करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ङ): योजनाओं की समीक्षा और संशोधन एक सतत प्रक्रिया है। विशेषज्ञ समिति और उच्चाधिकार प्राप्त निगरानी समिति की सिफारिशों के आधार पर तथा कर्मचारी पेंशन निधि के बीमांकिक मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के उपबंधों की समय-समय पर समीक्षा की गई है।

कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के पूर्ण मूल्यांकन और समीक्षा के लिए सरकार द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त निगरानी समिति द्वारा दी गई सिफारिशों के अनुसार, सरकार ने दिनांक 20.02.2020 की अधिसूचना सा.का.नि. सं. 132(अ.) द्वारा इस योजना के पूर्वगत पैराग्राफ 12क के

अंतर्गत 25 सितम्बर, 2008 को या उससे पहले पेंशन के संराशीकरण का लाभ लेने वाले सदस्यों के संबंध में इस संराशीकरण की तारीख से पंद्रह वर्ष की समाप्ति के बाद सामान्य पेंशन की बहाली के संबंध में सिफारिश का कार्यान्वयन किया है। तथापि, उच्चाधिकार प्राप्त निगरानी समिति द्वारा दी गई सिफारिश के अनुसार कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन को 1,000/- रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 2,000/- रुपये प्रतिमाह करने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 885

गुरूवार, 09 फरवरी, 2023 /20 माघ, 1944 (शक)

ईपीएफओ विनियमित पेंशन

885. श्री हरभजन सिंह:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पारिवारिक पेंशन और ईपीएफओ विनियमित पेंशन की प्रति माह राशि में बढ़ोत्तरी करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 एक वित्त पोषित योजना है जिसमें पेंशन निधि से लाभों का भुगतान किया जाता है। चूँकि पेंशन निधि बीमांकिक घाटे में थी/है, योजना लाभों में वृद्धि नहीं की जा सकी। हालांकि, सरकार ने ईपीएस, 1995 के अंतर्गत वर्ष 2014 में पहली बार बजटीय सहायता प्रदान करके से पेंशनभोगियों को 1000/- रुपये प्रति माह का न्यूनतम पेंशन प्रदान किया था, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को ईपीएस के लिए वार्षिक रूप से उपलब्ध कराए जाने वाले 1.16 प्रतिशत वेतन के बजटीय समर्थन के अतिरिक्त था।

कम पेंशन का एक कारण योजना से बार-बार रकम की निकासी करना है। वर्ष 2021-2022 के दौरान, लगभग 37.74 लाख निकासी लाभ दावों के 7988.89 करोड़ रु. की राशि का निपटान किया गया। कम पेंशन का एक अन्य कारण बहुत कम मासिक वेतन पर बड़ी संख्या में सदस्यों के संबंध में मासिक पेंशन अंशदान प्राप्त करना है, जिसके परिणामस्वरूप पेंशन योग्य वेतन कम हो जाता है और इसलिए पेंशन की गणना कम होती है।

****

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1173

उत्तर देने की तारीख : 09.02.2023

एमएसएमई क्षेत्र में विभिन्न योजनाएं

1173. श्री दिलीप घोष:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की प्रगति के लिए शुरू की गई विभिन्न योजनाओं का पश्चिम बंगाल सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान देश में एमएसएमई द्वारा सृजित रोजगार के अवसरों की पश्चिम बंगाल सहित राज्य-वार और जिले-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या एमएसएमई क्षेत्र में निकट भविष्य में कोई नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) : एमएसएमई मंत्रालय पश्चिम-बंगाल राज्य सहित देश भर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) क्षेत्र के संवर्धन और विकास के लिए विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित करता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि योजना (स्फूर्ति), सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीटीएमएसई), नवाचार, ग्रामोद्योग और उद्यमिता के संवर्धन के लिए योजना (एस्पायर), उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी), राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हब (एनएसएसएच) आदि सम्मिलित है।

सरकार ने देश और पश्चिम बंगाल में एमएसएमई को सहायता प्रदान करने के लिए हाल ही में कई पहलें की हैं, जिनमें निम्न्लिखित शामिल हैं;

i. एमएसएमई सहित व्यवसाय के लिए 5 लाख करोड़ रुपए का आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) ।
ii. एमएसएमई आत्म-निर्भर भारत निधि के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए का इक्विटी समावेशन।
iii. एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए नया संशोधित मानदंड।
iv. 200 करोड़ रुपए तक की खरीद के लिए वैश्विक निविदा नहीं होगी।
v. व्यवसाय की सुगमता के लिए एमएसएमई हेतु "उद्यम पंजीकरण"।
vi. एमएसएमई की शिकायत निवारण और सहायता प्रदान करने सहित ई-गर्वनेंस के कई पहलुओं को शामिल करते हुए जून, 2020 में "चैंपियंस" नामक एक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत।
vii. 02 जुलाई, 2021 से प्रभावी खुदरा और थोक व्यापारों को एमएसएमई के रूप में समावेशन।
viii. एमएसएमई की स्थिति में स्तरोन्नयन परिवर्तन के मामले में 3 वर्षों का गैर-कर लाभ का विस्तार करना।
ix. 6,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 5 वर्षों के लिए एमएसएमई के कार्य-निष्पादन में संवृद्धि एवं गतिवर्धन (रैम्प) कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है।
x. अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए औपचारिक दायरे में लाने के लिए 11.01.2023 को उदयम असिस्ट प्लेटफॉर्म (यूएपी) का शुभारंभ।

एमएसएमई मंत्रालय द्वारा 'एमएसएमई चैंपियंस' योजना के तहत क्रमश: दिनांक 10.03.2022 और 28.04.2022 को 'एमएसएमई नवोन्मेष स्कीम' तथा 'एमएसएमई सतत (जेड) प्रमाणन स्कीम' की शुरुआत की गई है। एमएसएमई नवोन्मेष स्कीम एमएसएमई में इंक्यूवेशन, डिजाइन इंटरवेंशन से तथा बौद्धिक सम्पदा अधिकारों (आईपीआर) के संरक्षण द्वारा एमएसएमई के बीच नवीकरण संवर्धन को लक्ष्य में लेकर तैयार की गई है। जबकि एमएसएमई सतत (जेड) प्रमाणन स्कीम मूल्यांकन मॉडल पर आधारित है, जिसमें विभिन्न मानदंड सम्मिलित हैं जोकि एमएसएमई को उनकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्रक्रियाओं तथा प्रणालियों में सुधार में प्रोत्साहन दे सकें तथा फिर उन्हें संधारणीयता की ओर बढ़ा सकें।

(ख) : पूर्ववर्ती 'उद्योग आधार ज्ञापन' पोर्टल पर (01.04.2017 से 30.06.2020 तक) तथा नए 'उद्यम पंजीकरण' पोर्टल पर (दिनांक 01.07.2020 से 31.03.2022 तक) एमएसएमई द्वारा राज्य वार तथा पश्चिम बंगाल में जिलावार सृजित रोजगार के अवसरों की संख्या अनुबंध-I तथा अनुबंध-II पर दी गई है।

(ग) और (घ) : एमएसएमई की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए स्कीम/कार्यक्रमों का निर्माण एक सतत प्रक्रिया है। एमएसएमई मंत्रालय भारतीय एमएसएमई क्षेत्र की उभरती आवश्यकताओं के आधार पर विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों/पहलों पर निरंतर विचार-मनन करता है और उन्हें प्रारंभ करता है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1173, जिसका उत्तर दिनांक 09.02.2023 को दिया जाना है, के उत्तर के भाग (ख) में संदर्भित अनुबंध-I

पूर्ववर्ती 'उद्योग आधार ज्ञापन' पोर्टल (01.04.2017 से 30.06.2020 तक) तथा नए 'उद्यम पंजीकरण' पोर्टल पर (01.07.2020 से 31.03.2022 तक) देश में एमएसएमई में कार्यरत व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या निम्नानुसार है।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एमएसएमई द्वारा कुल रोजगार	
		दिनांक 01.04.2017 से 30.06.2020 तक	दिनांक 01.07.2020 से 31.03.2022 तक
1.	आंध्र प्रदेश	7,76,828	19,59,778
2.	अरुणाचल प्रदेश	14,536	34,897
3.	असम	1,20,723	8,02,483
4.	बिहार	9,73,856	21,71,088
5.	छत्तीसगढ	1,98,583	6,90,215
6.	गोवा	39,932	1,25,060
7.	गुजरात	20,50,245	47,68,658
8.	हरियाणा	7,14,748	24,92,102
9.	हिमाचल प्रदेश	62,966	3,19,713
10.	झारखंड	4,01,675	10,69,396
11.	कर्नाटक	14,76,255	47,35,493
12.	केरल	3,94,123	14,42,341
13.	मध्य प्रदेश	24,63,988	22,41,101
14.	महाराष्ट्र	51,17,148	91,40,856
15.	मणिपुर	1,60,448	2,09,373
16.	मेघालय	8,496	26,095
17.	मिजोरम	20,771	29,754
18.	नागालैंड	13,058	34,038
19.	ओडिशा	4,18,321	15,26,350
20.	पंजाब	6,35,797	18,57,010
21.	राजस्थान	14,79,894	40,33,169
22.	सिक्किम	5,398	13,825
23.	तमिलनाडु	32,63,297	74,34,496
24.	तेलंगाना	9,78,147	36,49,554
25.	त्रिपुरा	22,685	98,964
26.	उत्तराखंड	1,61,376	6,31,958
27.	उत्तर प्रदेश	22,93,981	49,69,464
28.	पश्चिम बंगाल	7,99,604	31,89,665
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	11,723	1,83,510
30.	चंडीगढ़	41,753	1,73,052
31.	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	48,841	1,15,909
32.	दिल्ली	8,97,992	25,56,741
33.	जम्मू और कश्मीर	35,617	5,77,926
34.	लद्दाख	344	16,415
35.	लक्षद्वीप	378	1,031
36.	पुडुचेरी	39,136	96,090
कुल		**2,61,42,663**	**6,34,17,570**

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1173, जिसका उत्तर दिनांक 09.02.2023 को दिया जाना है, के उत्तर के भाग (ख) में संदर्भित अनुबंध-II

पूर्ववर्ती 'उद्योग आधार ज्ञापन' पोर्टल (01.04.2017 से 30.06.2020 तक) तथा नए 'उद्यम पंजीकरण' पोर्टल (दिनांक 01.07.2020 से 31.03.2022 तक) पर एमएसएमई में कार्यरत व्यक्तियों की बंगाल राज्य में जिला-वार संख्या निम्नानुसार है।

क्र.सं.	जिला	एमएसएमई द्वारा कुल रोजगार	
		दिनांक 01.04.2017 से 30.06.2020 तक	दिनांक 01.07.2020 से 31.03.2022 तक
1.	अलीपुरद्वार	10,096	17,273
2.	बांकुड़ा	18,502	29,622
3.	बीरभूम	27,210	60,699
4.	कूचबिहार	16,126	1,02,438
5.	दक्षिण दिनाजपुर	17,105	1,30,361
6.	दार्जिलिंग	14,918	68,855
7.	हुगली	36,300	1,05,327
8.	हावड़ा	56,309	1,56,051
9.	जलपाईगुड़ी	17,387	80,822
10.	झारग्राम	1,379	6,159
11.	कलिम्पोंग	519	2,140
12.	कोलकाता	1,78,187	8,83,867
13.	मालदा	22,027	73,526
14.	मुर्शिदाबाद	37,507	1,13,640
15.	नादिया	31,488	69,473
16.	उत्तर 24 परगना	1,06,703	3,24,043
17.	पश्चिम बर्दवान	25,634	1,19,380
18.	पश्चिम मेदिनीपुर	25,574	2,29,781
19.	पूर्व बर्दवान	38,338	1,09,811
20.	पूर्व मेदिनीपुर	25,114	1,14,488
21.	पुरुलिया	15,317	30,808
22.	दक्षिण 24 परगना	68,360	2,62,645
23.	उत्तर दिनाजपुर	9,488	98,459
	कुल	**7,99,588**	**31,89,668**

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1283

उत्तर देने की तारीख : 09.02.2023

झारखंड में स्थापित एमएसएमई

1283. श्री संजय सेठ:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार मंत्रालय द्वारा झारखंड में संचालित किए जा रहे एमएसएमई उद्यमों की संख्या कितनी है;

(ख) वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान झारखंड में विभिन्न योजनाओं के तहत स्थापित उद्यमों की जिला-वार संख्या कितनी है;

(ग) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत के बाद झारखंड के रांची संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्थापित उद्योगों की संख्या कितनी है; और

(घ) झारखंड राज्य में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत अब तक जिला-वार कितने उद्यमों को सहायता प्राप्त हुई है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) : दिनांक 03.02.2023 की स्थिति अनुसार, झारखंड में वर्ष 01.07.2020 से 03.02.2023 तक उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकृत कुल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की कुल संख्या 2,36,015 है।

(ख) : प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अनुसार, वर्ष 2022-23 (06.02.2023 तक) में झारखंड राज्य में स्थापित सूक्ष्म इकाइयों की कुल संख्या 883 है। राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध **I** में दिया गया है।

(ग) : झारखंड के संसदीय क्षेत्र रांची के निम्नलिखित जिलों में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत वर्ष 01.04.2016 से 27.01.2023 तक संस्वीकृत ऋण की संख्या नीचे दिए गए है:

क्र.सं.	जिला	संस्वीकृत ऋण की संख्या
1	रांची	8.19 लाख
2	सेराईकेला-खरसवान	1.51 लाख

(घ) : दिनांक 31.01.2023 तक की स्थिति अनुसार, झारखंड राज्य में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) से सहायता प्राप्त उद्यमों की संख्या 2,234 है। जिला-वार ब्यौरा अनुबंध-**II** में दिया गया है।

*****

अनुबंध I

लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1283, जिसका उत्तर दिनांक 09.02.2023 को दिया जाना है, के उत्तर के भाग (ख) में संदर्भित अनुबंध

2022-23 में झारखंड राज्य में पीएमईजीपी के अंतर्गत स्थापित सूक्ष्म इकाइयों की जिला-वार संख्या		
क्र..सं.	जिला नाम	स्थापित सूक्ष्म इकाइयों की संख्या
1	बोकारो	57
2	चतरा	23
3	देवघर	37
4	धनबाद	48
5	दुमका	26
6	गढ़वा	19
7	गिरिडीह	47
8	गोड्डा	31
9	गुमला	26
10	हजारीबाग	71
11	जामताड़ा	43
12	खूंटी	26
13	कोडरमा	33
14	लातेहार	22
15	लोहरदगा	41
16	पाकुर	31
17	पलामू	41
18	पश्चिम सिंहभूम	24
19	पूर्वी सिंहभूम	51
20	रामगढ़	38
21	रांची	75
22	साहेबगंज	26
23	सरायकेला - खरसावां	22
24	सिमडेगा	25
	कुल	883

लोकसभा आंतरिक प्रश्न संख्या 1283, जिसका उत्तर दिनांक 09.02.2023 को दिया जाना है, के उत्तर के भाग (घ) में संदर्भित अनुबंध

(31.02.2023 तक) झारखंड राज्य में एबीआरआई लाभान्वितों की संख्या		
क्र.सं.	**जिला का नाम**	**लाभान्वित स्थापनाओं की संख्या**
1	बोकारो	339
2	चतरा	10
3	देवघर	20
4	धनबाद	163
5	दुमका	4
6	गढ़वा	23
7	गिरिडीह	60
8	गोड्डा	8
9	गुमला	11
10	हजारीबाग	66
11	जामताड़ा	7
12	खूँटी	5
13	कोडरमा	41
14	लातेहार	12
15	लोहरदगा	16
16	पाकुर	1
17	पलामू	40
18	पश्चिम सिंहभूमि	26
19	पूर्वी सिंहभूमि	414
20	रामगढ़	118
21	रांची	645
22	साहेबगंज	5
23	सरायकेला-खरसावां	200
24	सिमडेगा	0
	कुल	2234

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1347

उत्तर देने की तारीख : 09.02.2023

वित्तीय प्रोत्साहन नीति

1347. श्री कल्याण बनर्जी:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक उन्नत वित्तीय प्रोत्साहन नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्तमान में कितने पंजीकृत एमएसएमई कार्यशील हैं और विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान बंद पड़ी एमएसएमई की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार का कोविड-19 महामारी के कारण एमएसएमई के बंद होने से प्रभावित व्यक्तियों को रोजगार, राजसहायता और वित्तीय मुआवजा प्रदान करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) और (ख) : सरकार ने लद्दाख सहित देशभर में एमएसएमई क्षेत्र में उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें की हैं। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:

i. एमएसएमई सहित व्यवसायों के लिए 5 लाख करोड़ रुपए की आकस्मिक क्रेडिट गारंटी योजना।
ii. आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) कोष के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए का इक्विटी समावेशन।
iii. एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए नया संशोधित मानदंड।
iv. 200 करोड़ रुपए तक की खरीद के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं होगी।
v. व्यवसाय की सुगमता के लिए एमएसएमई हेतु ''उद्यम पंजीकरण''।
vi. एमएसएमई की शिकायतों के निवारण और उन्हें सहायता प्रदान करने सहित ई-गवर्नेंस के कई पहलुओं को कवर करने के लिए जून, 2020 में ''चैंपियंस'' नामक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत।
vii. खुदरा और थोक व्यापारों का एमएसएमई के रूप में समावेशन।
viii. एमएसएमई के स्तर में किसी प्रकार के उन्न्यन के मामले में गैर-कर लाभों का 3 वर्षों के लिए विस्तार।
ix. प्राथमिक क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण का लाभ प्राप्त करने हेतु अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को औपचारिक दायरे में लाने हेतु दिनांक 11.01.2023 को उद्यम सहायता प्लेटफॉर्म का शुभारंभ।
x. बजट 2023-24 में ऋण की कम लागत के साथ 2.00 लाख करोड़ रुपए तक के अतिरिक्त ऋण को संभव बनाने हेतु सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के कार्पस में 9000 करोड़ रुपए के समावेशन की घोषणा की गई है।

(ग) : विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान वर्तमान में कार्यशील और बंद हुई एमएसएमई की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या अनुबंध-I पर संलग्न है।

(घ) और (ङ) : जैसाकि श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है कि कोविड-19 महामारी के दौरान सामाजिक सुरक्षा लाभों और रोजगार खोने के रोकथाम के साथ नए रोजगार सृजन करने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने हेतु 01 अक्तूबर, 2020 से प्रभावी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत दो वर्षों की अवधि के लिए भारत सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) पंजीकृत स्थापनाओं के रोजगार को मजबूत करने के आधार पर नियोक्ताओं का अंशदान (वेतन का 12 प्रतिशत) और श्रमिकों का अंशदान (वेतन का 12 प्रतिशत) दोनों का भुगतान करेगा अथवा केवल श्रमिकों के अंशदान का भुगतान करेगा। इस स्कीम का उद्देश्य नियोक्ताओं के वित्तीय भार को कम करने और उन्हें अधिक कर्मचारियों को भर्ती करने के लिए प्रोत्साहित करना है। लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए टर्मिनल तारीख 30.03.2022 थी। दिनांक 24.01.2023 तक देश में 1.52 लाख स्थापनाओं के माध्यम से 60.26 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किए गए हैं।

*****

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1347, जिसका उत्तर दिनांक 09.02.2023 को दिया जाना है, के उत्तर के भाग (ग) में सदंर्भित अनुबंध

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पंजीकृत एमएसएमई की संख्या							बंद हुए एमएसएमई की संख्या						
		उद्यम आधार पंजीकरण (दिनांक 01.04.2017 से 30.06.2020 तक)				उद्यम पंजीकरण (दिनांक 01.07.2020 से 03.02.2023 तक)			उद्यम आधार पंजीकरण (दिनांक 01.04.2017 से 30.06.2020 तक)				उद्यम पंजीकरण (दिनांक 01.07.2020 से 03.02.2023 तक)		
		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2020-21	2021-22	2022-23	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2020-21	2021-22	2022-23
1	आंध्र प्रदेश	54,581	38,510	73,392	42,267	65,655	1,48,206	1,95,177	0	0	0	0	0	113	208
2	अरुणाचल प्रदेश	212	501	528	445	729	2,257	3,198	0	0	0	0	0	0	1
3	असम	1,714	4,212	12,150	8,716	17,231	72,171	1,00,204	0	0	1	3	0	8	22
4	बिहार	99,167	72,562	75,053	50,720	91,138	2,22,911	2,48,586	0	0	1	2	18	541	464
5	छत्तीसगढ	8,253	15,082	30,138	13,488	33,287	69,123	86,975	0	0	0	0	4	64	91
6	गोवा	1,204	2,095	3,035	2,062	6,087	8,666	12,438	0	0	0	0	3	5	15
7	गुजरात	1,93,473	1,71,331	1,84,252	71,803	2,49,543	4,01,428	4,13,965	0	0	0	0	67	492	873
8	हरियाणा	29,458	51,536	66,230	41,379	1,03,719	1,80,338	1,91,101	0	0	3	3	16	151	327
9	हिमाचल प्रदेश	2,166	4,597	6,620	3,256	12,950	27,011	39,085	0	0	16	2	2	8	83
10	झारखंड	21,562	25,724	32,203	19,885	43,441	83,697	1,10,205	0	0	1	1	0	134	188
11	कर्नाटक	56,783	85,254	1,14,143	94,403	1,53,446	3,16,354	3,48,156	0	0	2	2	4	272	428
12	केरल	20,566	27,706	36,268	24,006	72,560	1,18,732	1,46,873	0	0	0	1	2	137	273
13	मध्य प्रदेश	2,06,137	2,99,758	2,93,487	41,995	1,12,485	2,47,233	2,89,589	0	0	9	2	1	112	440
14	महाराष्ट्र	1,90,800	5,68,295	7,04,173	2,52,574	6,54,730	9,82,332	9,84,798	0	0	130	76	3	1,831	2,697
15	मणिपुर	6,415	8,856	10,533	3,159	10,504	13,841	17,800	0	0	0	0	0	0	48
16	मेघालय	565	720	602	257	701	2,233	4,894	0	0	0	0	0	1	1
17	मिजोरम	799	755	1,200	412	1,122	3,555	5,900	0	0	0	1	0	1	2
18	नागालैंड	142	366	763	579	720	3,325	6,134	0	0	0	0	0	1	5
19	ओडिशा	19,142	16,111	29,601	28,345	49,823	1,06,506	1,37,799	0	0	1	0	1	118	165
20	पंजाब	29,035	59,802	86,240	32,783	1,01,278	1,83,244	2,19,048	0	0	2	0	0	208	88
21	राजस्थान	1,28,489	1,35,787	1,79,051	67,723	2,37,324	3,95,224	4,19,082	0	0	44	26	11	312	839
22	सिक्किम	171	254	268	225	351	1,778	2,246	0	0	0	1	0	0	1
23	तमिलनाडु	2,17,959	2,32,933	2,55,786	90,955	3,14,589	5,44,128	5,87,529	0	0	2	0	2	591	1487
24	तेलंगाना	46,218	89,097	74,115	35,681	98,370	1,62,467	1,84,854	0	0	6	4	2	128	93
25	त्रिपुरा	701	1,552	1,491	1,111	1,703	6,740	11,180	0	0	4	3	0	8	6
26	उत्तर प्रदेश	1,18,984	1,24,344	1,67,451	1,16,510	2,19,413	4,16,110	5,40,870	0	0	17	15	20	494	914
27	उत्तराखंड	6,275	9,725	17,738	9,136	22,890	50,036	58,814	0	0	0	1	1	32	161
28	पश्चिम बंगाल	36,518	31,333	44,075	60,162	64,231	1,71,332	2,13,848	0	0	2	5	17	153	284

29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1,457	1,490	1,517	412	1,852	2,999	3355	0	0	3	2	0	9	9
30	चंडीगढ़	1,553	3,192	4,333	2,299	5,808	9,581	8,312	0	0	0	0	1	21	8
31	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	1164	2066	2578	999	3127	4242	4273	0	0	0	0	0	7	14
32	दिल्ली	21,962	44,930	58,302	55,877	90,532	1,35,804	1,47,780	0	0	1	5	0	210	396
33	जम्मू और कश्मीर	989	2,416	2,848	2,411	26,722	74,781	77,191	0	0	0	0	0	51	103
34	लद्दाख	0	0	78	61	741	2,314	2,384	0	0	0	0	0	1	2
35	लक्षद्वीप	14	24	33	13	39	209	276	0	0	0	0	0	0	0
36	पुडुचेरी	2,100	2,693	3,512	1,265	3,911	8,301	9,323	0	0	0	0	0	8	31
		15,26,728	**21,35,609**	**25,73,787**	**11,77,374**	**28,72,752**	**51,79,209**	**58,33,242**	**0**	**0**	**245**	**155**	**175**	**6,222**	**10,767**
स्रोत: उद्यम पंजीकरण पोर्टल															

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1673
सोमवार, 13 फरवरी, 2023/24 माघ, 1944 (शक)

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) के अंतर्गत जारी की गई धनराशि

1673. **श्री सुनील बाबूराव मेंढे:**
श्री पिनाकी मिश्राः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) के अंतर्गत लाभार्थियों की महाराष्ट्र सहित राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) देश में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत आवंटित, स्वीकृत और जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और देश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में क्या उपलब्धि हासिल की गई है;

(ग) आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत विस्तार अवधि के दौरान पंजीकृत नए कर्मचारियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) विस्तार अवधि के दौरान आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत दावा की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) 30 जून, 2021 से 31 मार्च, 2022 की विस्तार अवधि के दौरान आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत किए गए वास्तविक व्यय का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क): से (ङ): महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) के तहत लाभार्थियों की संख्या अनुबंध-I में दी गई है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान योजना के लिए 6400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस योजना के प्रारंभ से दिनांक 30.01.2023 तक 8773.00 करोड़ रूपए स्वीकृत किए गए हैं और इस योजना के तहत 60.26 लाख लाभार्थियों को 8483.75 करोड़ रुपये के लाभ की राशि उपलब्ध कराई गई है।

विस्तार अवधि दिनांक 30 जून, 2021 से 31 मार्च, 2022 के दौरान एबीआरवाई के तहत पंजीकृत नए कर्मचारियों और दावा की गई निधियों/किए गए वास्तविक व्यय का ब्यौरा अनुबंध- II में दिया गया है।

एबीआरवाई योजना के तहत पंजीकृत सभी लाभार्थियों को पंजीकरण की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए लाभ दिया जाता है।

*****

लोक सभा के दिनांक 13.02.2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1673 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

राज्य-वार लाभार्थियों की संख्या (दिनांक 30.01.2023 तक)	
राज्य का नाम	**लाभार्थी कर्मचारियों की संख्या**
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	477
आंध्र प्रदेश	166355
अरुणाचल प्रदेश	514
असम	19777
बिहार	28130
चंडीगढ़	64616
छत्तीसगढ़	84951
दिल्ली	226691
गोवा	20880
गुजरात	642466
हरियाणा	398413
हिमाचल प्रदेश	83192
जम्मू और कश्मीर	19349
झारखंड	62608
कर्नाटक	484739
केरल	96063
लद्दाख	186
मध्य प्रदेश	204334
महाराष्ट्र	975696
मणिपुर	1689
मेघालय	1210
मिजोरम	377
नागालैंड	234
ओडिशा	89148
पंजाब	170498
राजस्थान	325530
सिक्किम	3764
तमिलनाडु	815091
तेलंगाना	281763
त्रिपुरा	5440
उत्तर प्रदेश	431620
उत्तराखंड	93315
पश्चिम बंगाल	226794
कुल योग	**6,025,910**

स्रोतः ईपीएफओ, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा के दिनांक 13.02.2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1673 के भाग (ग) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

दिनांक 30 जून, 2021 से 31 मार्च, 2022 अवधि के दौरान एबीआरवाई के तहत पंजीकृत नए कर्मचारियों और दावा की गई निधियों/वास्तविक व्यय का विवरण

क्र.स.	राज्य का नाम	नए कर्मचारी पंजीकृत (दिनांक 30-06-21 से 31-03-22)	लाभ की राशि (दिनांक 30-06-21 से 31-03-22) (रुपये में)
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	182	4,873,386
2	आंध्र प्रदेश	99,898	1,037,921,886
3	अरुणाचल प्रदेश	242	811,408
4	असम	14,156	107,839,962
5	बिहार	15,994	226,185,737
6	चंडीगढ़	35,541	368,550,662
7	छत्तीसगढ़	47,798	539,765,182
8	दिल्ली	140,594	1,192,288,184
9	गोवा	11,560	109,455,282
10	गुजरात	366,850	3,510,149,352
11	हरियाणा	241,439	2,190,923,532
12	हिमाचल प्रदेश	43,983	472,471,424
13	जम्मू और कश्मीर	9,885	152,362,277
14	झारखंड	35,490	426,324,321
15	कर्नाटक	291,270	2,962,816,102
16	केरल	54,919	628,570,835
17	लद्दाख	189	1,293,102
18	मध्य प्रदेश	116,535	1,344,035,929
19	महाराष्ट्र	557,756	5,292,139,211
20	मणिपुर	756	6,590,037
21	मेघालय	471	17,018,073
22	मिजोरम	132	5,210,124
23	नागालैंड	99	1,189,016
24	ओडिशा	49,216	617,904,692
25	पंजाब	89,006	1,206,932,083
26	राजस्थान	187,928	1,920,662,004
27	सिक्किम	1,790	27,643,619
28	तमिलनाडु	488,655	4,009,094,123
29	तेलंगाना	170,780	1,410,358,616
30	त्रिपुरा	2,654	37,037,724
31	उत्तर प्रदेश	246,399	2,889,751,140
32	उत्तराखंड	53,023	540,999,663
33	पश्चिम बंगाल	142,194	1,240,445,921
योग		**3,517,384**	**34,499,614,609**

स्रोतः ईपीएफओ, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1693

सोमवार, 13 फरवरी, 2023/24 माघ, 1944 (शक)

ईपीएफओ में शामिल होने वाले लोग

1693. श्री जय प्रकाश:
श्री एंटो एन्टोनी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ महीनों के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या में अत्याधिक वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास देश में कार्यरत भविष्य निधि कार्यालयों की संख्या के संबंध में कोई आंकड़े हैं;

(ग) यदि हां, तो देश में कार्यशील कार्यालयों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को पथनमथिट्टा में भविष्य निधि कार्यालय खोलने के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) सितंबर, 2017 से अपना मासिक पे रोल डेटा प्रकाशित कर रहा है, जिसमें आधार मान्य सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) के माध्यम से पहली बार शामिल होने वाले नए अंशदाताओं की संख्या, पूर्व में बाहर हुए परंतु फिर से अंशदाता के रूप में शामिल होने वाले मौजूदा अंशदाताओं का नेट पे रोल पर पहुंचने के लिए ध्यान रखा जाता है। 20 जनवरी, 2023 को प्रकाशित नवीनतम पे रोल के अनुसार, अर्थात वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वेतन माह नवंबर, 2022 तक मासिक निवल पे रोल डेटा का विवरण निम्नानुसार है-

मजदूरी माह	निवल पे रोल
अप्रैल, 2022	12,49,510
मई, 2022	11,40,523
जून, 2022	13,27,207
जुलाई, 2022	14,23,524
अगस्त, 2022	13,02,719
सितंबर, 2022	13,58,948
अक्टूबर, 2022	11,14,250
नवंबर, 2022	16,25,711

(ख) और (ग): देश में कार्यशील ईपीएफओ के विभिन्न कार्यालयों का राज्य/संघ राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(घ): जी, नहीं।

(ङ): प्रश्न नहीं उठता।

* ******

अनुबंध

'ईपीएफओ में शामिल होने वाले लोग' के संबंध में माननीय सांसद श्री जय प्रकाश और श्री एंटो एन्टोनी द्वारा दिनांक 13.02.2023 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1693 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

देश में कार्यशील ईपीएफओ के कार्यालयों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या						
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**अंचल कार्यालय**	**क्षेत्रीय कार्यालय**	**जिला कार्यालय**	**विशेष राज्य कार्यालय**	**सर्विस सेंटर**
1	अंडमान और. निकोबार द्वीप समूह	0	1	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	1	4	11	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	1	0
4	असम	1	2	4	0	0
5	बिहार	1	3	5	0	0
6	चंडीगढ़	1	1	0	0	0
7	छत्तीसगढ	0	1	1	0	0
8	दिल्ली	1	5	0	0	0
9	गोवा	0	1	0	0	1
10	गुजरात	1	8	8	0	0
11	हरियाणा	1	5	5	0	0
12	हिमाचल प्रदेश	0	1	4	0	0
13	जम्मू और कश्मीर	0	2	0	0	0
14	झारखंड	0	2	7	0	0
15	कर्नाटक	2	18	10	0	0
16	केरल	1	6	5	0	0
17	लद्दाख	0	1	0	0	0
18	मध्य प्रदेश	1	6	6	0	0
19	महाराष्ट्र	3	17	4	0	0
20	मणिपुर	0	0	0	1	0
21	मेघालय	0	1	0	0	0
22	मिजोरम	0	0	0	1	0
23	नागालैंड	0	0	0	1	0
24	ओडिशा	1	4	5	0	0
25	पंजाब	0	4	7	0	0
26	पुदुचेरी	0	1	0	0	0
27	राजस्थान	1	5	7	0	0
28	सिक्किम	0	0	0	1	0
29	तमिलनाडु	2	11	13	0	0
30	तेलंगाना	1	8	2	0	1
31	त्रिपुरा	0	1	1	0	0
32	उत्तर प्रदेश	1	9	4	0	1
33	उत्तराखंड	0	2	0	0	1
34	पश्चिम बंगाल	1	9	4	0	0
	कुल	**21**	**139**	**113**	**5**	**4**

******

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1701

सोमवार, 13 फरवरी, 2023/24 माघ, 1944 (शक)

निधि आपके निकट

1701. डॉ. टी.आर.पारिवेन्धर:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने मौजूदा शिकायत निवारण तंत्र 'भविष्य निधि अदालत' का नाम बदलकर 'निधि आपके निकट' कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 'भविष्य निधि अदालत' का नाम बदलकर 'निधि आपके निकट' किए जाने के क्या उद्देश्य/कारण हैं; ओर

(घ) आज की तारीख के अनुसार 'निधि आपके निकट' द्वारा विशेषकर तमिलनाडु में कर्मचारियों की राज्य-वार कुल कितनी शिकायतों का निवारण/समाधान किया गया है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): जी हां, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने निम्नलिखित उद्देश्यों/कारणों से 'भविष्य निधि अदालत' का नाम बदलकर 'निधि आपके निकट' कर दिया है:

(1) 'अदालत' के नामकरण के कारण यह खतरा समझा जाता है कि यह गरीब और वंचित कामगारों को ऐसी अदालतों में जाने से रोकता है क्योंकि वे अदालत के माहौल के अनकहे अर्थ के कारण इस तरह की अदालत का दरवाजा खटखटाने में संकोच कर सकते हैं।

(2) अपने विभिन्न हितधारकों के लिए अधिक सुगम्य होना।

(3) 'भविष्य निधि अदालत' में देखे गए शुद्ध शिकायत निवारण केंद्रित दृष्टिकोण से 'निधि आपके निकट' में अधिक व्यापक आधार और भागीदारी दृष्टिकोण की ओर हस्तांतरित करना।

(4) विभिन्न हितधारकों को एक साझा मंच पर लाने और शिकायत निवारण के अलावा विचारों के आदान-प्रदान और सूचना के प्रसार को सुविधाजनक बनाना।

(घ): 'निधि आपके निकट' द्वारा निवारण/समाधान की गई कर्मचारियों की कुल शिकायतों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

*

*****

अनुबंध

'निधि आपके निकट' के संबंध में माननीय सांसद डॉ.टी.आर.पारिवेन्धर द्वारा पूछे गए दिनांक 13.02.2023 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1701 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

'निधि आपके निकट' द्वारा निवारण/समाधान की गई कर्मचारियों की शिकायतों की संख्या		
क्रम संख्या	राज्य /संघ राज्य क्षेत्र	कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण/निपटान
1	आंध्र प्रदेश	5927
2	अरुणाचल प्रदेश	84
3	असम	666
4	बिहार	1371
5	छत्तीसगढ	920
6	गोवा	91
7	गुजरात	5267
8	हरियाणा	1994
9	हिमाचल प्रदेश	770
10	झारखंड	671
11	कर्नाटक	4838
12	केरल	5351
13	मध्य प्रदेश	22697
14	महाराष्ट्र	4965
15	मणिपुर	59
16	मेघालय	125
17	मिजोरम	10
18	नगालैंड	34
19	ओडिशा	1745
20	पंजाब	1730
21	राजस्थान	922
22	सिक्किम	58
23	तमिलनाडु	12983
24	तेलंगाना	5736
25	त्रिपुरा	26
26	उत्तर प्रदेश	3743
27	उत्तराखंड	657
28	पश्चिम बंगाल	2895
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	176
30	चंडीगढ़	734
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमन व दीव	232
32	दिल्ली	3764
33	जम्मू और कश्मीर	3113
34	लद्दाख	69
35	लक्षद्वीप	शून्य
36	पुदुचेरी	491
	कुल	94914

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1710

सोमवार, 13 फरवरी, 2023/24 माघ, 1944 (शक)

उद्योगों को दिशानिर्देश

1710. एडवोकेट डीन कुरियाकोस:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का "गिग" अर्थव्यवस्था में कार्यरत व्यक्तियों की स्थिति और उनके औसत वेतन, औसत कार्य-घंटों और सामाजिक सुरक्षा के प्रावधानों के संबंध में विस्तृत अध्ययन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार की गिग अर्थव्यवस्था में कार्यस्थितियों को विनियमित करने के लिए डिलीवरी और टैक्सी सेवाओं जैसे उद्योगों को दिशानिर्देश जारी करने की मंशा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का इन व्यक्तियों को उनके नियोक्ताओं द्वारा भुगतान सुनिश्चित करके कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत निःशुल्क चिकित्सा उपचार और नकद सहायता सहित उन्हें सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ङ): नीति आयोग ने "भारत की तेजी से विकसित होती गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था" नामक अपनी रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि गिग कार्यबल का वर्ष 2020-21 में 7.7 मिलियन से वर्ष 2029-30 तक 23.5 मिलियन तक बढ़ने की संभावना है। अध्ययन रिपोर्ट गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए दुनिया भर में अपनाए गए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा दृष्टिकोणों पर प्रकाश डालती है और वे भारत में गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपायों का मार्ग कैसे प्रशस्त कर सकते हैं तथा कार्य की अनियमितता की स्थिति में सवेतन अस्वस्थता अवकाश, स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा, वृद्धावस्था सहायता और कामगारों की सहायता जैसी पहलें तैयार करने की सिफारिश की है।

जारी..2/-

पहली बार, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में 'गिग कामगार' और 'प्लेटफॉर्म कामगार' की परिभाषा दी गई है। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए योजनाओं के निर्माण के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा लाभों की परिकल्पना की गई है और इसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के माध्यम से लागू किया जा सकता है जो अब तक संगठित क्षेत्र कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करता है। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में जीवन और नि:शक्तता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधाएं, वृद्धावस्था संरक्षण, आदि से संबंधित मामलों पर गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं बनाने का उपबंध है। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में सामाजिक सुरक्षा निधि की स्थापना का भी उपबंध है तथा निधि के स्त्रोतों में से एक एग्रीगेटर द्वारा इन कामगारों को भुगतान की गई या देय राशि के 5% की सीमा के अधीन एक एग्रीगेटर की वार्षिक आय के 1 से 2% के बीच एग्रीगेटर से मिलने वाला अंशदान है।

सरकार ने गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों सहित असंगठित कामगारों का पंजीकरण करने तथा वृहत राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने के लिए दिनांक 26.08.2021 को ई-श्रम पोर्टल को आरंभ किया गया। यहाँ कोई भी व्यक्ति स्व-घोषणा आधार पर पोर्टल पर स्वयं पंजीकरण कर सकता है, जो लगभग 400 व्यवसायों में व्याप्त है।

****

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 1788

(जिसका उत्तर सोमवार, 13 फरवरी, 2023/24 माघ, 1944 (शक) को दिया गया)

महाराष्ट्र के आकांक्षी जिलों में उद्योग

1788. श्री ओम पवन राजेनिंबालकरः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा महाराष्ट्र के आकांक्षी जिलों में उद्योग शुरू करने के लिए किए गए प्रावधान का ब्यौरा क्या है;

(ख) उस्मानाबाद और यवतमाल आकांक्षी जिलों में रोजगार वृद्धि की प्रतिशत दर क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उक्त जिलों में रोजगार बढ़ाने के लिए चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उस्मानाबाद जिले में उद्योग शुरू करने के प्रस्तावों का ब्यौरा और संख्या क्या है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) से (घ): मांगी गई सूचना कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के कार्यक्षेत्र के दायरे में नहीं आती। अतः उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय से सूचना/इनपुट मांगे गए थे। उपरोक्त मंत्रालयों से प्राप्त सूचना/इनपुट निम्नानुसार हैः

भारत में उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने शून्य सूचना प्रदान की है।

जारी....2/-

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने शून्य सूचना प्रदान की है। तथापि, उन्होंने सूचित किया है कि मंत्रालय के अवसंरचना एवं परियोजना निगरानी प्रभाग (आईपीएमडी) को परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर, समय एवं लागत आधिक्य के हिसाब से, 150 करोड़ रूपए तथा उससे अधिक लागत वाली चालू केन्द्रीय क्षेत्र की अवसंरचना परियोजनाओं की निगरानी का कार्य सौंपा गया है।

रोजगार महानिदेशालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सूचित किया है कि सूचना को 'शून्य' समझा जाए। तथापि, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) स्कीम के संबंध में सूचना निम्नानुसार हैः

सामाजिक सुरक्षा लाभों तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार के नुकसान की बहाली के साथ-साथ नए रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से एमएसएमई सहित सभी सेक्टरों के नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए 01 अक्तूबर, 2020 से एबीआरवाई प्रारंभ की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत, भारत सरकार दो वर्ष की अवधि के लिए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) पंजीकृत संस्थाओं की रोजगार क्षमता पर निर्भरता के आधार पर कर्मचारी का हिस्सा (मजदूरी का 12%) तथा नियोक्ता का हिस्सा (मजदूरी का 12%) दोनो के देय योगदान अथवा केवल कर्मचारी के हिस्से का भुगतान कर रही है। इस स्कीम का आशय नियोक्ताओं का वित्तीय बोझ कम करना तथा अधिक से अधिक कामगारों को काम पर लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31.03.2022 थी। 24.01.2023 की स्थिति के अनुसार, पूरे देश में 1.52 लाख स्थापनाओं के द्वारा 60.26 लाख लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया गया है।

महाराष्ट्र राज्य के उस्मानाबाद तथा यवतमाल जिलों के संबंध में ब्यौरा निम्नानुसार हैः

महाराष्ट्र राज्य में एबीआरवाई लाभार्थियों की संख्या (02.02.2023 की स्थिति के अनुसार)				
राज्य का नाम	जिले का नाम	लाभान्वित स्थापनाओं की संख्या	लाभान्वित कर्मचारियों की संख्या	लाभ की राशि (रुपये में)
महाराष्ट्र	उस्मानाबाद	53	936	1,95,34,736
महाराष्ट्र	यवतमाल	116	1926	4,40,37,878

******

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1803

सोमवार, 13 फरवरी, 2023/24 माघ, 1944 (शक)

कर्मचारी पेंशन योजना

1803. श्री गिरिधारी यादव:
डॉ. पोन गौतम सिगामणि:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के नियम 17 (पेंशन का भुगतान) को सरल बनाया गया है और 20 दिनों के भीतर पेंशन का निपटान नहीं होने की स्थिति में कर्मचारी को 12 प्रतिशत की दर से दंडात्मक ब्याज देने का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 01.01.2014 से 31.12.2022 के दौरान कितने कर्मचारियों की पेंशन का निपटान किया गया;

(ग) उक्त मामलों में ब्याज के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है, जहां पेंशन का निपटान 20 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर नहीं किया जा सका है;

(घ) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने सदस्य पोर्टल में ऐसा प्रावधान किया है, जिससे सेवानिवृत्त कामगार अधिक पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या यह भी सच है कि ईपीएफओ ने नियोक्ताओं के साथ संयुक्त विकल्पों के सत्यापन हेतु आवेदन पत्र के लिए कर्मचारियों से पंजीकरण अनुरोध लेना आरंभ कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ङ): कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के अनुच्छेद 17-क में 'पेंशन के भुगतान' का प्रावधान है। उक्त अनुच्छेद के अनुसार, यदि आयुक्त 20 दिनों के भीतर सभी प्रकार से पूर्ण दावे को निपटाने के लिए बिना पर्याप्त कारण के विफल रहता है, तो आयुक्त उक्त अवधि से अधिक के विलंब के लिए उत्तरदायी होगा और उस पर 12 प्रतिशत की दर से प्रति वर्ष लाभ राशि पर दंडात्मक ब्याज प्रभारित किया जा सकता है और इसे आयुक्त के वेतन से काटा जा सकता है। वर्ष

01.01.2014 से 31.12.2022 के दौरान जिन कर्मचारियों के पेंशन दावों का निपटान किया गया, उनकी संख्या 28,43,203 है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन(ईपीएफओ) ने 01.09.2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशनभोगी जिन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति से पूर्व वेतन सीमा से अधिक वेतन पर पेंशन निधि में अंशदान करने का संयुक्त विकल्प चुना था परंतु जिनके संयुक्त विकल्प को ईपीएफओ द्वारा (अंतिम तिथि होने के कारण) अस्वीकार कर दिया गया था, उनसे ऑनलाइन आवेदन मंगाने के लिए निर्देश जारी किए हैं। यह माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 04.11.2022 के निर्णय के पैरा 44(ix) के साथ पठित पैरा 44(v) और (vi) में निहित निर्देशों के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि द्वारा जारी निर्देश के अनुसार है।

******

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1815

सोमवार, 13 फरवरी, 2023/24 माघ, 1944 (शक)

श्रमिकों को स्वास्थ्य और पेंशन सुविधाओं के लिए नीति

1815. डॉ. मनोज राजोरिया:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार की राजस्थान सहित देश में संगठित अथवा असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों को स्वास्थ्य और पेंशन सुविधाएं प्रदान करने की कोई नीति है तथा यदि हां, तो उक्त नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राजस्थान सहित देश में लाभार्थियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) दुर्घटनाओं में अथवा असाध्य रोगों के कारण मारे गए श्रमिकों के परिवारों को किस प्रकार की सहायता दी जा रही है अथवा दिए जाने का प्रस्ताव है और इस संबंध में मौजूदा प्रावधानों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कारखाने या कंपनियां मृतकों के आश्रितों को मुआवजा प्रदान करने में अनियमितताएं दिखाती हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ङ): संगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की योजनाओं के माध्यम से लाभार्थियों द्वारा पात्रता मानदंड को पूरा करने के अध्यधीन राजस्थान राज्य सहित अन्य लाभार्थियों को स्वास्थ्य सुविधाएं और पेंशन प्रदान की जाती हैं। ईएसआई लाभार्थियों का राज्य-वार विवरण अनुबंध-। पर दिया गया है।

सरकार ने असंगठित कामगारों के लिए प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) योजना नाम से एक पेंशन स्कीम भी आरंभ की है, ताकि असंगठित कामगारों के

लिए वृद्धावस्था संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। पीएम-एसवाईएम के तहत नामांकन का राज्य-वार विवरण अनुबंध-II पर दिया गया है।

सरकार बीड़ी/सिने/अभ्रक/चूना-पत्थर और डोलोमाइट खान (एलएसडीएम)/मैंगनीज अयस्क और क्रोम अयस्क खान (आईओएमसी) कामगारों और उनके आश्रितों को स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं भी प्रदान करती है। कुछ गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ओपीडी/आईपीडी रोगियों की संख्या का राज्य-वार विवरण अनुबंध-III पर दिया गया है।

कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अंतर्गत पात्र कामगारों को उनकी दुर्घटना के कारण मृत्यु होने या असाध्य रोगों के मामले में मुआवजा भी प्रदान किया जाता है, जिसे राज्य सरकारों द्वारा प्रशासित किया जाता है।

*** ****

अनुबंध- I

'श्रमिकों को स्वास्थ्य और पेंशन सुविधाओं के लिए नीति' के संबंध में डॉ. मनोज राजोरिया द्वारा दिनांक 13.02.2023 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 1815 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

ईएसआई योजना के तहत लाभार्थियों की राज्यवार संख्या

(31.03.2022 तक)

राज्य	**लाभार्थी**		
	2019-20	**2020-21**	**2021-22**
आंध्र प्रदेश	5065689	4927329	4723590
असम	1234034	1245053	1014504
अरुणाचल प्रदेश			1824
मेघालय			55756
नागालैंड			13580
त्रिपुरा			62041
मणिपुर			10515
मिजोरम			5859
बिहार	1317376	1345053	1392842
चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	651258	560311	505176
छत्तीसगढ	1950476	2035603	1966190
दिल्ली	6193839	5869431	5153882
गोवा	811968	838546	669882
गुजरात एवं दादरा और नागर हवेली व दमन और दीव	6682485	6925179	6087332
हरियाणा	9335668	9741749	8999738
हिमाचल प्रदेश	1350783	1423611	1343101
जम्मू और कश्मीर और लद्दाख	517747	528417	477085
झारखंड	1731489	1693892	1651406
कर्नाटक	13525175	12782494	11497293
केरल और लक्षद्वीप	4171039	3994964	3667609
मध्य प्रदेश	4052427	4134838	3751960
महाराष्ट्र	18230646	18148244	15483101
ओडिशा	2876593	2923968	2877253
पुदुचेरी	456637	446510	405538
पंजाब	4589614	4903195	4719749
राजस्थान	5528923	5571456	5185154
सिक्किम	108562	109067	109959
तमिलनाडु	15402396	14847208	13814002
तेलंगाना	7121197	6911793	6068824
उत्तर प्रदेश	9499481	9717033	9178373
उत्तराखंड	2498953	2559403	2345693
पश्चिम बंगाल	7574807	7421780	7121003
कुल	132479262	131606127	120359814

अनुबंध-II

'श्रमिकों को स्वास्थ्य और पेंशन सुविधाओं के लिए नीति' के संबंध में डॉ. मनोज राजोरिया द्वारा दिनांक 13.02.2023 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 1815 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पिछले तीन वर्षों के लिए प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) योजना के तहत वर्ष-वार नामांकन निम्नानुसार है

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	कुल
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1033	822	277	167	2299
2.	आंध्र प्रदेश	37444	107248	6201	843	151736
3.	अरूणाचल प्रदेश	810	1589	77	21	2497
4.	असम	9634	7563	3876	3781	24854
5.	बिहार	104887	74782	16924	7000	203593
6.	चंडीगढ़	974	3738	361	35	4276
7.	छत्तीसगढ	92631	111930	3857	2012	210430
8.	दादरा और नागर हवेली एवं दमन व दीव	953	575	37	9	1574
9.	दिल्ली	4791	2711	608	1312	9422
10.	गोवा	212	728	35	24	999
11.	गुजरात	335279	31407	2050	1666	370402
12.	हरियाणा	562199	314740	26049	9576	820407
13.	हिमाचल प्रदेश	14355	26033	1362	460	42210
14.	जम्मू और कश्मीर	36735	27056	6643	1490	71924
15.	झारखंड	97735	29266	2326	1192	130519
16.	कर्नाटक	39351	51925	8769	10592	110637
17.	केरल	7027	2398	1136	1447	12008
18.	लद्दाख	889	563	10	6	1468
19.	लक्षद्वीप	21	0	0	0	21
20.	मध्य प्रदेश	80101	39089	5139	4537	128866
21.	महाराष्ट्र	527226	61984	9541	4531	593128

22.	मणिपुर	2350	1310	237	283	4180
23.	मेघालय	916	1162	811	271	3160
24.	मिजोरम	436	120	58	45	659
25.	नागालैंड	1432	2547	739	86	4804
26.	ओडिशा	104847	50621	9107	6361	170936
27.	पुदुचेरी	851	322	82	40	1295
28.	पंजाब	21915	9891	1718	1328	34852
29.	राजस्थान	61907	216675	3303	1832	104412
30.	सिक्किम	61	43	21	16	141
31.	तमिलनाडु	40730	14016	2381	1389	58516
32.	तेलंगाना	19438	18455	2612	1449	41954
33.	त्रिपुरा	13680	12184	3113	924	29901
34.	उत्तर प्रदेश	466310	349720	38701	11423	641999
35.	उत्तराखंड	18629	14622	1291	390	34932
36.	पश्चिम बंगाल	35920	24055	12559	15692	88226
कुल		27,43,709	11,05,287	1,72,011	92,230	41,13,237

अनुबंध- III

'श्रमिकों को स्वास्थ्य और पेंशन सुविधाओं के लिए नीति' के संबंध में डॉ. मनोज राजोरिया द्वारा दिनांक 13.02.2023 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 1815 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पिछले तीन वर्षों के लिए ओपीडी/आईपीडी रोगियों की संख्या				
क्र सं.	क्षेत्र	वर्ष		
		2020-21	2021-2022	2022-23 (दिसंबर, 2022 तक)
1.	अजमेर	172242	199167	143884
2.	चेन्नई	247655	267788	190723
3.	गुवाहाटी	4691	8289	4873
4.	तिरुवनंतपुरम	18252	20101	21696
5.	रांची	46776	67107	46816
6.	बैंगलोर	80508	209645	170002
7.	भुवनेश्वर	216293	263473	158342
8.	नागपुर	69481	97593	83207
9.	अहमदाबाद	49015	94251	70673
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0
11.	चंडीगढ़	0	0	0
12.	देहरादून	4970	5930	2862
13.	रायपुर	23179	29141	26880
14.	इलाहाबाद	139989	154090	111538
15.	हैदराबाद	159806	186105	204605
16.	जबलपुर	116068	157514	86246
17.	कोलकाता	171640	194941	108393
18.	पटना	37080	53960	34057
कुल		1657645	2009095	1464617

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1858

सोमवार, 13 मार्च, 2023/22 फाल्गुन, 1944 (शक)

ईपीएफओ में देय ब्याज

1858. डॉ. पोन गौतम सिगामणि :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि के लाखों सदस्यों को 2021-22 के बजट में घोषित ब्याज की बकाया राशि अभी तक नहीं मिली है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार उक्त देय ब्याज का भुगतान करने से यह कहते हुए बच रही थी ब्याज देने में विलंब सॉफ्टवेयर उन्नयन के कारण हुआ था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:

(ग) क्या यह भी सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इस संबंध में पूछे गए किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और कर्मचारी भविष्य निधि के लाभार्थियों को ब्याज कब तक दिए जाने की संभावना है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क): कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना, 1952 के अनुच्छेद 60(1) के उपबंधों के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी), कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा यथानिर्धारित किसी दर पर प्रत्येक सदस्य के खाते में ब्याज जमा करेगा। ब्याज क्रेडिट के साथ खाता अद्यतनीकरण एक व्यापक कार्य है जिसमें प्रत्येक सदस्य के खाते के संबंध में किए गए प्रत्येक व्यक्तिगत लेनदेन की जांच की आवश्यकता होती है, इस प्रकार पूरी प्रक्रिया बहुत व्यापक हो जाती है। दिनांक 06.03.2023 तक अंशदायी प्रतिष्ठानों के 98 प्रतिशत सदस्यों के खातों में ब्याज जमा किया जा चुका है। यह एक सतत प्रक्रिया है जो नियमित दावा निपटान में बाधा डाले बिना एक निर्धारित पद्धति से की जाती है।

जारी...2/-

(ख): सदस्य के पासबुक में ब्याज अद्यतन करना केवल एक प्रविष्टि प्रक्रिया है, जिस तारीख को सदस्य की पासबुक में ब्याज दर्ज किया जाता है, उसका कोई वास्तविक वित्तीय असर नहीं होता है क्योंकि वर्ष हेतु ब्याज अर्जित किया जाता है। उसके मासिक चालू शेष को निरंतर उस वर्ष के अंतिम शेष में जोड़ा जाता है। इसलिए, सदस्य को कोई वित्तीय हानि नहीं होती है।

वर्ष 2021-22 से नए टीडीएस प्रावधान की शुरुआत के कारण, लेखा प्रक्रिया को एक बड़े संशोधन से गुजरना पड़ा, जिसने जांच के एक बढ़े हुए स्तर की अपेक्षा के साथ इस प्रक्रिया को और अधिक कठिन बना दिया गया।

सदस्यों की पासबुक में संशोधन करना भी आवश्यक था ताकि यह उन्हें एक सरल, पठनीय रूप में पूरी जानकारी प्रदान की जा सके।

प्रक्रिया के लिए सॉफ्टवेयर के महत्वपूर्ण तत्वों को नए सिरे से विकसित करने, परीक्षण, दोष मार्जन और स्थिरीकरण करने की आवश्यकता थी।

(ग): ईपीएफओ में सीपीग्राम्स और ईपीएफआईजीएमएस के रूप में एक स्थायी शिकायत निवारण तंत्र विद्यमान है। प्राप्त सभी शिकायतों की नियमित रूप से निगरानी की जाती है और अविलंब और सम्यक तत्परता के साथ उनका समाधान किया जाता है। ईपीएफओ ने अपने सदस्यों को लगातार सूचित किया है और यह सुनिश्चित किया है कि टीडीएस कार्यान्वयन के कारण कोई निकासी प्रभावित न हो। ईपीएफओ ने सदस्यों द्वारा अद्यतन ब्याज वाले 3.6 करोड़ से अधिक दावों का निपटान किया है।

(घ): यह एक सतत प्रक्रिया है जिसे सॉफ्टवेयर के विकास के बाद एक निर्धारित तरीके से शुरू किया गया है और दिनांक 06.03.2023 तक, 98% अंशदायी प्रतिष्ठानों के संबंध में प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।

*****

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1874

जिसका उत्तर 13 मार्च, 2023/22 फाल्गुन, 1944 (शक) को दिया गया

अडानी समूह में निवेश

1874. श्री एंटो एन्टोनी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं जैसे भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी), कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और अन्य संस्थाओं द्वारा अडानी समूह अथवा अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड में किए गए निवेश के संबंध में कोई आंकड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत दस वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा किए गए निवेश का वर्ष-वार और संस्था-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास अडानी समूह की कंपनियों अथवा अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड में निवेश के कारण इन संस्थाओं द्वारा अर्जित राजस्व अथवा हानि के संबंध में कोई आंकड़े हैं; और

(घ) यदि हां, तो विगत दस वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा सृजित राजस्व अथवा घाटे का वर्ष-वार और संस्था-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड)

(क) से (घ): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), श्रम और रोजगार मंत्रालय ने यह सूचित किया है कि वे केवल बीएसई-सेंसेक्स तथा निफ्टी-50 सूचकांक वाली एक्सचेंज ट्रेड फंड्स के माध्यम से इक्विटी बाजारों में निवेश करते हैं।

भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने दिनांक 30.1.2023 की अपनी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अडानी समूह में किए गए निवेश के संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट की है, जो अनुबंध – 1 के रूप में संलग्न है।

सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों, नामत: न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और भारतीय साधारण बीमा निगम से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, दिनांक 31.1.2023 की स्थिति के अनुसार अडानी समूह की कंपनियों में इनका कुल एक्सपोजर 347.64 करोड़ रुपये है, जो सभी पांच कंपनियों के कुल एयूएम का 0.14% है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वह उधारकर्ता स्तर के निवेश संबंधी आंकड़ों को एकत्र नहीं करता है तथा ऐसी सूचना इसके द्वारा नहीं रखी जाती है।

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों ने यह सूचित किया है कि भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 44 तथा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 13(1) के तहत निष्ठा तथा गोपनीयता बनाए रखने की बाध्यता संबंधी उपबंध के अनुसार वे अपने संघटकों अथवा उनके कार्यों से संबंधित कोई सूचना प्रकट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा, समूह में एसबीआई के एक्सपोजर के संबंध में कुछेक मीडिया के सवालों का उनका जवाब अनुबंध - II में दिया गया है।

*****

भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

PRESS RELEASE

30/01/2023 PANINDIA

सामान्यतः व्यवसाय में, भारतीय जीवन बीमा निगम अपनी कंपनी और औद्योगिक समूहों के विशिष्ट निवेशों का विवरण साझा नहीं करता है। हालांकि, यह देखते हुए कि अडानी समूह की कंपनियों से संबन्धित भारतीय जीवन बीमा निगम के जोखिम के बारे में मीडिया और वीडियो चैनलों में विभिन्न लेखों में कुछ जानकारी प्रसारित की जा रही है इसलिए हम इक्विटी और ऋण में अडानी समूह की कंपनियों में अपने जोखिम के बारे में तथ्यात्मक स्थिति की जानकारी साझा कर रहे हैं।

दिनाँक 31/12/2022 के अनुसार इक्विटी और ऋण के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम की अडानी समूह की कंपनियों में कुल शेयर पूँजी 35,917.31 करोड़ रु है। अडानी समूह की सभी कंपनियों में पिछले कई वर्षों में खरीदी गई इक्विटी का कुल क्रय मूल्य 30,127 करोड़ रु है और दिनाँक 27/01/2023 को बाजार बंद होने तक बाजार मूल्य 56,142 करोड़ रुपये था। अडानी समूह में निवेश की गई कुल राशि वर्तमान तिथि के अनुसार रु. 36,474.78 करोड़ रुपये है। हालांकि ये निवेश एक समय सीमा में किए गए हैं। इसके अलावा यह सराहनीय है कि भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा धारित सभी अडानी ऋण प्रतिभूतियों की क्रेडिट रेटिंग एए और उससे ऊपर है जो कि सभी जीवन बीमा कंपनियों पर लागू आईआरडीएआई निवेश नियमों के अनुपालन अनुसार है।

दिनाँक 30 सितंबर, 2022 तक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कुल प्रबंधन तहत संपत्ति 41.66 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। इसलिए भारतीय जीवन बीमा निगम का अडानी समूह में निवेश कुल एयूएम की बुक वैल्यू का 0.975% है।

भारतीय जीवन बीमा निगम एक 66 साल पुराना प्रतिष्ठित और स्थायी संस्थान है और लागू दिशानिर्देशों और विनियमों के अनुरूप सख्त निवेश ढांचे का पालन किया जा रहा है। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हालांकि संपत्ति का बाजार मूल्य किसी भी दिशा में बदल सकता है, भारतीय जीवन बीमा निगम लंबी अवधि के दृष्टिकोण से और विस्तृत उचित अध्ययन के आधार पर निवेश करता है। भारतीय जीवन बीमा निगम निरंतर आवृत्ति पर अपनी वित्तीय मजबूती सुनिश्चित करने के लिए अपनी देनदारियों के मूल्यांकन और सॉल्वेंसी मार्जिन के निर्धारण के लिए एक मजबूत प्रक्रिया का पालन करता है। सितंबर 2022 तक भारतीय जीवन बीमा निगम का उपलब्ध सॉल्वेंसी मार्जिन 160% के लक्षित सॉल्वेंसी स्तर से काफी ऊपर था। भारतीय जीवन बीमा निगम बोर्ड और इसका प्रबंधन सभी हितधारकों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के प्रति प्रतिबद्ध और सचेत है और हर समय उनके हितों की रक्षा के लिए उपयुक्त सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का पालन करना जारी रखेगा।

अधिक जानकारी के लिए कृपया www.licindia.in देखें या एलआईसी की किसी शाखा से संपर्क करें।
दिनांक 30 जनवरी, 2023 को मुंबई में।
अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें: कार्यकारी निदेशक (नि. सं)
भारतीय जीवन बीमा , केंद्रीय कार्यालय, मुंबई।
ईमेल आईडी: ed_cc@licindia.com हमें www.licindia.in पर मिलें

We believe that the news contained in this release is of value to your readers. While we would thank you to publish it as soon as possible, We also readily recognize that the decision to do so rests entirely with you.

समूह में एसबीआई के एक्सपोजर के संबंध में कुछेक मीडिया के सवालों का उनका जवाब

हालांकि नीतिगत मामले के रूप में, एसबीआई किसी ग्राहक के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करता है, इस संदर्भ को सही परिप्रेक्ष में रखने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि अडानी समूह में एसबीआई का एक्सपोजर आरबीआई के लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क (एलईएफ) से काफी कम है। समूह में एसबीआई का सभी एक्सपोजर पर्याप्त टीआरए / एस्क्रो तंत्र के साथ नकदी पैदा करने वाली परिसंपत्तियों के द्वारा प्रतिभूत है, इसलिए ऋण की चुकौती की कोई समस्या नहीं होगी

वास्तव में, समूह में अपने कुल ऋण के प्रतिशत के रूप में भारतीय बैंकिंग प्रणाली का एक्सपोजर पिछले 2-3 वर्षों से घट रहा है। इसी अवधि में, इबीडीआईटीए में भी उनका ऋण बेहतर हो रहा है, जो समूह को अपने दायित्वों को सहजता से पूरा करने में मदद करता है

उपलब्ध जानकारी के अनुसार उनका अधिकांश अधिग्रहण विदेशी उधारों और विपणन लिखतों के माध्यम से वित्तपोषित किया गया है, इसलिए इस मामले में भारतीय बैंकिंग प्रणाली के लिए कोई एक्सपोजर सृजित नहीं हुआ है।

एसबीआई समय-समय पर सभी बड़ी संस्थाओं में गैर-वित्त पोषित एक्सपोजर की समीक्षा करता रहता है और इस समय न तो इस प्रकार की कोई चिंता है और न ही इसकी कोई संभावना है।

बैंक नीतिगत मामले के रूप में बड़े समूहों में हमारे सभी एक्सपोजर पर नजर रखता है और समय-समय पर हमारे आकलन के आधार पर कदम उठता है।

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1878

सोमवार, 13 मार्च, 2023 / 22 फाल्गुन, 1944 (शक)

ईपीएफ निकासी पर टीडीएस दर

1878. श्री जगदम्बिका पाल:
श्री विनसेंट एच. पाला:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय बजट 2023-24 में लोगों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि निकासी पर टीडीएस दर में कमी की है और यदि हां, तो ऐसे कदमों के माध्यम से पेंशनभोगियों को होने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की सदस्यता में तेजी से वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत पेंशनभोगियों को लाभ प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क): वित्त विधेयक, 2023 में गैर-स्थायी खाता संख्या (पैन) मामलों में कर्मचारी भविष्य निधि निकासी के कर योग्य हिस्से पर स्रोत पर की जाने वाली कर कटौती (टीडीएस) की दर को 30 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

(ख): पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की सदस्यता में वृद्धि हुई है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

वर्ष	सदस्यता
2021-22 (31-3-2022 की स्थिति के अनुसार)	27,73,71,185
2020-21 (31-3-2021 की स्थिति के अनुसार)	25,87,86,358
2019-20 (31-3-2020 की स्थिति के अनुसार)	24,76,64,359

(ग): जी, हाँ। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के तहत पेंशनभोगियों को लाभ प्रदान करने के लिए सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(i) भारत सरकार कर्मचारियों के वेतन के 15000/- रुपये की सीमा तक 1.16 प्रतिशत का योगदान देती है।

(ii) सरकार ईपीएस, 1995 के तहत पेंशनभोगियों को बजटीय सहायता प्रदान करके 1,000/- रुपये प्रति माह का न्यूनतम पेंशन प्रदान करती है, जो ईपीएफओ को ईपीएस के लिए वार्षिक वेतन के 1.16% बजटीय समर्थन के अतिरिक्त है।

(iii) सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के तहत दिनांक 22.08.2014 के सा.का.नि. संख्या 608 (अ), सा.का.नि. संख्या 609 (अ) और सा.का.नि. संख्या 610 (अ) के माध्यम से दिनांक 01.09.2014 से लागू कवरेज के लिए वेतन सीमा को 6500/- रुपये से 15000/- रुपये तक बढ़ा दिया है। इससे पेंशन योग्य वेतन में वृद्धि हुई है और इस प्रकार ईपीएफओ पेंशनभोगियों के लिए पेंशन में भी वृद्धि हुई है।

(iv) सरकार ने दिनांक 20.02.2020 की अधिसूचना जी.एस.आर. सं. 132 (अ) के माध्यम से इस योजना के पूर्ववर्ती पैरा 12-क के तहत पेंशन के संराशीकरण का लाभ लेने वाले सदस्यों के संबंध में 25 सितंबर, 2008 को या उससे पहले इस तरह के सरांशीकरण की तिथि से पंद्रह वर्ष पूरे होने के बाद सामान्य पेंशन की बहाली की अनुमति दी है।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1933

सोमवार, 13 मार्च, 2023 / 22 फाल्गुन, 1944 (शक)

उच्चतर पेंशन योजना हेतु विकल्प

1933. प्रो. सौगत राय:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का उच्चतर पेंशन योजना के विकल्प के लिए समय बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी केन्द्रीय व्यापारिक संघों/अन्य हितधारकों ने इसकी मांग की थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने दिनांक 29.12.2022 को उन पेंशनभोगियों से ऑनलाइन आवेदन मंगाने के निर्देश जारी किए हैं जो दिनांक 01.09.2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे और अपनी सेवानिवृत्ति से पहले वेतन सीमा से अधिक वेतन पर पेंशन निधि में अंशदान करने के लिए संयुक्त विकल्प का प्रयोग किया था लेकिन उनके संयुक्त विकल्प ईपीएफओ द्वारा (कट-ऑफ तारीख के कारण) अस्वीकार कर दिए गए थे। ऐसे आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 3 मार्च, 2023 थी।

इसके अतिरिक्त, ईपीएफओ द्वारा दिनांक 20.02.2023 को उन सदस्यों से ऑनलाइन संयुक्त विकल्प मांगने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं जो दिनांक 01.09.2014 को सदस्य थे और जो उच्च वेतन पर भविष्य निधि में अंशदान कर रहे थे। ऐसे पात्र कर्मचारियों से संयुक्त विकल्पों का प्रयोग करने के लिए ऑनलाइन सुविधा ईपीएफओ द्वारा अपनी वेबसाइट पर शुरू कर दी गई है और यह 3 मई 2023 तक उपलब्ध है।

(ग) और (घ): दिनांक 25.02.2023 को भारतीय खाद्य निगम सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संघ से उन पेंशनभोगियों द्वारा सत्यापन हेतु आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख को बढ़ाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जो दिनांक 01.09.2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे।

*****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1934
सोमवार, 13 मार्च, 2023/22 फाल्गुन, 1944 (शक)

ईपीएस-95 पेंशन योजना का कार्यान्वयन

1934. श्री के. सुधाकरन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को माननीय उच्चतम न्यायालय के नवंबर, 2022 के हाल के निर्णय के अनुसार सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए ईपीएफ-95 पेंशन योजना लागू करने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के कार्यान्वयन के लिए कितने समय की आवश्यकता है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सम्पूर्ण सदस्यता अवधि के दौरान उनकी सेवा के आधार पर संशोधित पेंशन कब से प्राप्त होने की संभावना है;

(घ) क्या संशोधित पेंशन राशि उन कर्मचारियों के लिए लागू होगी जो वर्ष 2014 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं और ईपीएफ-95 पेंशन योजना के सदस्य थे, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस योजना के अंतर्गत शामिल किए गए सेवानिवृत्त कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें संपूर्ण सदस्यता अवधि के दौरान उनकी सेवा के आधार पर संशोधित पेंशन प्राप्त होगी?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 04.11.2022 के निर्णय के पैरा 44 (v) के साथ पठित पैरा 44 (ix) में निहित निर्देशानुसार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा 29.12.2022 को उन पेंशनभोगियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे, जो दिनांक 01.09.2014 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके थे और अपनी सेवानिवृत्ति से पहले वेतन सीमा से अधिक वेतन पर पेंशन निधि में अंशदान करने के लिए संयुक्त विकल्प का उपयोग किया था, लेकिन जिनके संयुक्त विकल्पों को (निर्धारित अंतिम तारीख के कारण) ईपीएफओ द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के इस श्रेणी हेतु संयुक्त विकल्प को दिनांक 03.03.2023 तक या उससे पहले दायर किया जाना था।

जारी/-2

इसके अतिरिक्त, माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 04.11.2022 के निर्णय के पैरा 44 (iii) और पैरा 44 (iv) के साथ पठित पैरा 44 (v) में निहित निर्देशानुसार, ईपीएफओ द्वारा दिनांक 20.02.2023 को उन कर्मचारियों द्वारा ऑनलाइन संयुक्त विकल्प दाखिल करने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं जो दिनांक 01.09.2014 से पहले सेवा में थे और दिनांक 01.09.2014 को या उसके बाद सेवा में बने रहे, लेकिन कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के पैराग्राफ 11 (3) के पूर्ववर्ती परंतुक के तहत संयुक्त विकल्प का उपयोग नहीं कर सके। कर्मचारियों के इस श्रेणी हेतु संयुक्त विकल्प दिनांक 03.05.2023 को या उससे पहले दायर किए जा सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कार्यान्वयन की जांच की गई। इसके कानूनी, वित्तीय, बीमांकिक और तार्किक निहितार्थ हैं। सभी पेंशन निधियों को भावी पीढ़ियों के लिए संवहनीय होना चाहिए, इसलिए, व्यापक सार्वजनिक हित और सामाजिक सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि पेंशन निधियों को अच्छे वित्तीय स्वास्थ्य में रखा जाए ताकि भविष्य में पेंशन भुगतान ऋण को पूरा किया जा सके।

(ङ): योजना के तहत कवर किए जाने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संख्या उनके द्वारा दाखिल किए जाने वाले ऑनलाइन आवेदनों/ संयुक्त विकल्पों की संख्या पर निर्भर करती है। संयुक्त विकल्प जमा करने की अंतिम तारीख 03.05.2023 है।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1847

गुरूवार, 16 मार्च, 2023 /25 फाल्गुन, 1944 (शक)

ईपीएफ पेंशनभोगियों के लिए उच्च पेंशन का नया विकल्प

1847. डा. जॉन ब्रिटास:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उच्चतम न्यायालय के हाल के निर्णय के अनुसार उच्च पेंशन के लिए नए संयुक्त विकल्प को संभव बनाने के कारण ईपीएफ लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी हो गई है;

(ख) उच्च विकल्प श्रेणी में नए पेंशनभोगियों के संयुक्त विकल्प सक्षम खाते में मासिक पेंशन भुगतान की राशि क्या है;

(ग) क्या सरकार उन कर्मचारियों को कोई विकल्प देने पर विचार करेगी, जिससे वे अपनी स्व-पेंशन योजना में योगदान अंशदान करने में सक्षम हो सकें, जहां नियोक्ता वास्तविक वेतन पर योगदान/ अंशदान नहीं कर रहे हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 04.11.2022 के निर्णय में दिए गए निर्देशों के अनुसार लाभार्थियों की कुल संख्या, संयुक्त विकल्प का प्रयोग करने वाले कर्मचारियों और पात्र कर्मचारियों की संख्या पर निर्भर करेगी। ऐसे पेंशनभोगियों के लिए मासिक पेंशन भुगतान की राशि उच्च वेतन पर पेंशन के विकल्प का प्रयोग करने वाले पात्र सदस्यों की संख्या पर निर्भर करेगी। दिनांक 09.03.2023 तक, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के एकीकृत पोर्टल पर कर्मचारियों द्वारा 1,20,279 आवेदन/संयुक्त विकल्प के लिए ऑनलाइन आवेदन किया गया था।

(ग): माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 04.11.2022 के निर्णय के अनुसार ईपीएफओ द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर, उच्च वेतन पर पेंशन का संयुक्त विकल्प केवल उन कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है जहां कर्मचारी और नियोक्ता का अंशदान वास्तविक वेतन पर प्रचलित वेतन सीमा से अधिक था और जिन्होंने ईपीएस, 1995 के सदस्य होने के दौरान, पूर्व-संशोधित कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 (हटाए गए) के पैरा 11(3) के तहत संयुक्त विकल्प का प्रयोग नहीं किया था और दिनांक 01.09.2014 से पूर्व वे इसके सदस्य थे और दिनांक 01.09.2014 को या उसके पश्चात् सदस्य बने हुए हैं।

(घ): ईपीएस, 1995 में ऐसा कोई प्रावधान मौजूद नहीं है।

******

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1854

गुरूवार, 16 मार्च, 2023 / 25 फाल्गुन, 1944 (शक)

निधियों का अल्प उपयोग

1854. श्री वि. विजयसाई रेड्डी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय के अधीन अधिकांश योजनाओं में निधियों का इष्टतम उपयोग दर्ज नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार अल्प उपयोगिता के मुद्दे को हल करने के लिए कोई कदम उठा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): वित्तीय वर्ष 2021 - 22 में कोविड महामारी का दीर्घकालीन प्रभाव देखा गया। हमारे सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद श्रम और रोजगार मंत्रालय की जनता से जुड़ी योजनाएं जैसे अ.जा. और अ.ज.जा. हेतु अनुशिक्षण और मार्गदर्शन, राष्ट्रीय करियर सेवा, प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन और व्यापारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना काफी प्रभावित हुईं। हालांकि स्थिति में सुधार आने के साथ ही पंजीकरणों में सुधार लाने के लिए पूर्ण रूप से प्रयास किए गए। कुछ योजनाओं जैसे संशोधित एकीकृत आवास योजना, जो श्रम कल्याण योजना का उप-घटक है, और राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना को क्रमशः प्रधान मंत्री आवास योजना और समग्र शिक्षा योजना के साथ समामेलित कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप नए पंजीकरण नहीं किए गए और केवल पूर्व की देनदारियों पर कार्रवाई की गई। एक प्रमुख मांग आधारित योजना, पीएमआरपीवाई के अंतर्गत लाभ के लिए वित्तीय वर्ष 2021 - 22 अंतिम वर्ष था, जिसके लिए पूर्व के वर्षों के उपयोग के आधार पर प्रत्याशित मांग योजना के अंतर्गत पंजीकृत नियोक्ताओं से प्राप्त नहीं हुई। मंत्रालय ने अन्य योजनाओं में निधि का अधिकतम उपयोग करने के पूर्ण प्रयास किए और 13306.50 करोड़ रु. के बजट अनुमान की तुलना में मंत्रालय ने 11211.97 करोड़ रु. का अनुपूरक नकद लेकर 24036.33 करोड़ रु. का व्यय किया अर्थात कुल आबंटन का 98.03 % उपयोग किया गया है।

****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1857

गुरूवार, 16 मार्च, 2023/25 फाल्गुन, 1944 (शक)

संगठित क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि

1857. **श्री नरहरी अमीनः**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या संगठित क्षेत्र में रोजगार अवसरों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के पंजीयनों में वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान देश, विशेष रूप से गुजरात में ईपीएफओ के पंजीयनों में प्रतिशत-वार वृद्धि सहित, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से करवाया जा रहा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रोजगार और बेरोजगारी पर आंकड़ों का स्रोत होता है। सर्वेक्षण की अवधि जुलाई से अगले वर्ष जून तक होती है। नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2019-20 से वर्ष 2021-22 के दौरान 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) इस प्रकार है:

वर्ष	कामगार जनसंख्या अनुपात (% में)
2019-20	50.9
2020-21	52.6
2021-22	52.9

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

पीएलएफएस आंकड़ें दर्शाते है कि देश में रोजगार की प्रवृत्ति बढ़ रही है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) सितंबर, 2017 से अपना मासिक पेरोल डेटा प्रकाशित कर रहा है। देश में वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 के दौरान ईपीएफ अंशदाताओं में निवल वृद्धि क्रमशः 77.1 लाख और 122.3 लाख थी, इसमें 59% की वृद्धि दर्ज की गई है। गुजरात में, वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 के दौरान ईपीएफ अंशदाताओं में निवल वृद्धि क्रमशः 7.5 लाख और 10.7 लाख थी, इसमें 42% की वृद्धि दर्ज की गई है।

ईपीएफ अंशदाताओं में निवल वृद्धि का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

*****

अनुबंध

राज्य सभा के दिनांक 16.03.2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1857 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

ईपीएफ अंशदाताओं में राज्य-वार निवल वृद्धि

क्र.सं.	राज्य	2020-21	2021-22
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1,881	1,524
2	आंध्र प्रदेश	1,87,986	2,73,104
3	अरुणाचल प्रदेश	1,374	1,571
4	असम	36,634	23,284
5	बिहार	3,78,771	92,059
6	चंडीगढ़	85,094	1,30,159
7	छत्तीसगढ़	81,446	1,19,369
8	दिल्ली	4,25,486	8,89,628
9	गोवा	50,539	57,154
10	गुजरात	7,54,982	10,74,917
11	हरियाणा	7,16,973	9,63,560
12	हिमाचल प्रदेश	82,189	85,494
13	जम्मू और कश्मीर	29,269	31,853
14	झारखंड	65,950	97,040
15	कर्नाटक	6,24,237	13,60,463
16	केरल	63,823	1,40,378
17	लद्दाख	235	805
18	मध्य प्रदेश	1,79,978	2,62,348
19	महाराष्ट्र	14,95,493	26,45,451
20	मणिपुर	1,354	1,604
21	मेघालय	1,940	4,174
22	मिजोरम	436	456
23	नागालैंड	108	546
24	ओडिशा	1,00,361	1,67,483
25	पंजाब	1,07,224	1,48,061
26	राजस्थान	2,83,760	4,09,217
27	तमिलनाडु	6,64,278	12,84,986
28	तेलंगाना	4,17,091	7,57,548
29	त्रिपुरा	2,541	3,520
30	उत्तर प्रदेश	4,90,109	6,80,229
31	उत्तराखंड	1,55,479	1,55,045
32	पश्चिम बंगाल	2,21,354	3,71,595

स्रोत: ईपीएफओ

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
रा य सभा
अतारांकित परशन सं. 1868
जिसका उत्तर गुरुवार, 16 मार्च, 2023 को दिया जाना है

सरकार से जुड़े लंबित न्यायिक मामले

1868 डा. अशोक बाजपेयीः

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में ऐसे लम्बित मुद्दों/ मामलों के निपटान का संस्थान-वार, वर्ष-वार और मंत्रालय/विभाग-वार ब्यौरा क्या है, जिनमें केंद्रीय सरकार एक पक्षकार है ;

(ख) उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय, जिनमें केंद्र सरकार एक पक्षकार है, द्वारा मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने की नीति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देरी अक्सर सरकार द्वारा जवाब दाखिल न करने के कारण होती है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : तारीख 15.03.2023 तक माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों की सूचना, जिसमें केंद्रीय सरकार एक पक्षकार है, निम्नानुसार है :-

वर्ष	दाखिल किए गए मामलों की संख्या	15.03.2023 तक लंबित मामलों की संख्या (वर्ष में दाखिल किए गए मामलों में से)	वर्ष में निपटाए गए मामलों की संख्या
2018	4,214	830	3,691
2019	4,635	1,329	4,174
2020	4,002	1,176	2,591
2021	3,475	973	2,446
2022	3,922	1,808	5,160
2023 (15.03.2023 तक)	922	738	825

(ख) : न्यायालय में मामलों का समयबद्ध निपटान विभिन्न मामलों पर निर्भर करता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों की पर्याप्त संख्या, सहायक न्यायालय कर्मचारिवृंद और भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता, अंतवर्लित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों अर्थात् विधिज्ञ, अन्वेषण अभिकरणों, साक्षियों और वादकारियों का सहयोग और नियमों तथा प्रक्रियाओं का उचित उपयोजन भी है, सम्मिलित हैं ।

(ग) : जी, महोदय । विधि कार्य विभाग द्वारा, समय-समय पर, मामलों में देरी से बचने के लिए, कानूनी अपील, पुनर्विलोकन और अन्य शपथपत्र दाखिल करने की समय-सीमा का अनुपालन करने पर बल देने के लिए, मंत्रालयों/विभागों को निदेश जारी किए हैं ।

****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3051

सोमवार, 20 मार्च, 2023/29 फाल्गुन, 1944 (शक)

कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को उच्च पेंशन का विकल्प देना

3051. श्री बी. मणिक्कम टैगोर:
श्री ए. गणेशमूर्ति:
श्रीमती साजदा अहमद:
क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को संबंधित कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उच्च पेंशन का विकल्प चुनने में सक्षम बनाने संबंधी उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का तत्काल अनुपालन करने के लिए कदम उठाने हेतु कोई निर्देश जारी किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा कोई परिपत्र जारी किया गया है और पेंशनभोगियों और कर्मचारियों के लिए उच्च पेंशन विकल्प का प्रयोग करने के लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू की गई है क्योंकि इसकी अंतिम सीमा 4 मार्च है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नियोक्ताओं और कर्मचारियों के लिए कम समय शेष रहने के कारण समय-सीमा बढ़ाई जाएगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने कर्मचारियों द्वारा उच्च भविष्य निधि पेंशन का दावा करने के लिए पूर्ण तंत्र गठित कर लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार सेवानिवृत्ति योजना सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि पर गारंटीकृत प्रतिफल सुनिश्चित करने के लिए कोई नीति बनाने की योजना बना रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 04.11.2022 के निर्णय के पैरा 44(ix) जो पैरा 44(v) और (vi) के साथ पठित है, में निहित निर्देशों के अनुसार, दिनांक 29.12.2022 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा दिनांक 01.09.2014 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए पेंशनभोगियों और जिन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति से पूर्व वेतन सीमा से अधिक वेतन पर पेंशन निधि में अंशदान के लिए संयुक्त विकल्प का प्रयोग किया था परंतु जिनके संयुक्त विकल्पों को ईपीएफओ द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था (अंतिम तिथि के आधार पर) से ऑनलाइन आवेदन की माँग की गई थी। संयुक्त विकल्प दिनांक 03.03.2023 तक या उससे पूर्व भरे जाने थे। अब इस तारीख को 03.05.2023 तक बढ़ा दिया गया है। इसके अतिरिक्त, माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 04.11.2022 के निर्णय के पैरा 44(v) जो पैरा 44(iii) और पैरा 44 (iv) के साथ पठित है, में निहित निर्देशों के अनुसार, ईपीएफओ द्वारा दिनांक 20.02.2023 को उन कर्मचारियों द्वारा ऑनलाइन संयुक्त विकल्प भरे जाने हेतु निदेश जारी किए हैं जो दिनांक 01.09.2014 से पूर्व सेवा में थे और दिनांक 01.09.2014 को या उसके बाद सेवा में बने रहे परंतु कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के पैरा 11(3) के पूर्ववर्ती परन्तुक के तहत संयुक्त विकल्प का प्रयोग नहीं कर पाए। संयुक्त विकल्प दिनांक 03.05.2023 को या उससे पूर्व भरे जा सकते हैं।

(ङ) और (च): ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

****

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2182

उत्तर देने की तारीख : 20.03.2023

तमिलनाडु राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

2182. श्री तिरुची शिवा:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उद्यम पंजीकरण पोर्टल ने विशेषकर तमिलनाडु में वर्तमान में कार्यरत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को वर्गीकृत और पंजीकृत किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत चार वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत तमिलनाडु में स्थापित एमएसएमई का ब्यौरा क्या है;

(ग) मुद्रा योजना लागू होने के बाद तमिलनाडु में कितने उद्यम स्थापित किए गए हैं; और

(घ) तमिलनाडु राज्य में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत उक्त उद्यमों को वितरित ऋण का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क): दिनांक 01.07.2020 को 'उद्यम पंजीकरण पोर्टल' की शुरुआत के समय से दिनांक 15.03.2023 तक तमिलनाडु की 15,46,638 उद्यमों ने पंजीकृत और उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर वर्गीकृत किया है।

(ख): उद्यम पंजीकरण पोर्टल के अनुसार विगत चार वर्षों के दौरान तमिलनाडु राज्य में स्थापित एमएसएमई का विवरण निम्नानुसार है:

तमिलनाडु में विगत 4 वर्षों में स्थापित कुल एमएसएमई				
वित्त वर्ष	**सूक्ष्म**	**लघु**	**मध्यम**	**कुल**
2019-20	1,30,155	1,546	95	1,31,796
2020-21	2,14,968	1,224	57	2,16,249
2021-22	2,29,220	744	37	2,30,001
2022-23	2,13,250	556	33	2,13,839
कुल:-	**7,87,593**	**4,070**	**222**	**7,91,885**
रिपोर्ट की तारीख:- 15/03/2023 12:10 बजे अपराह्न				

(ग): वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, अप्रैल, 2015 में प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) की शुरुआत के समय से दिनांक 13.03.2023 तक तमिलनाडु राज्य में 2,20,765 करोड़ रुपए राशि के साथ 4,56,31,509 ऋण खाते संस्वीकृत किए गए हैं।

(घ): सरकार ने तमिलनाडु राज्य सहित देश में एमएसएमई को सहायता प्रदान करने के लिए आत्म निर्भर भारत के तहत कई पहलें की हैं। आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) के तहत तमिलनाडु में एमएसएमई को 39,926.38 करोड़ रुपए राशि की कुल 9,13,163 गारंटियां प्रदान की गई है। आत्म निर्भर भारत कोष के तहत तमिलनाडु राज्य की 8 इकाईयां लाभान्वित हुई हैं।

*****

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2183

उत्तर देने की तारीख : 20.03.2023

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के पुनरुद्धार के लिए वित्तीय सहायता

2183. डा. किरोड़ी लाल मीणा:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि देश में कोविड-19 महामारी के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)में कार्यरत लाखों लोगों ने विमुद्रीकरण, नकदी की कमी, आयात-निर्यात संकट और कच्चे मालों के मूल्य में हो रही वृद्धि जैसे कारणों से अपनी नौकरियां खो दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बेरोजगार हुए लोगों की नौकरियां बहाल करने और एमएसएमई की स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार ने देश में, विशेष रूप से राजस्थान और राज्य के दौसा निर्वाचन क्षेत्र में एमएसएमई पुनरुद्धार के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) से (ग): कोविड-19 महामारी ने देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) सहित विश्व की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। सरकार एमएसएमई द्वारा सामना की जा रही कठिनाईयों से अवगत है और राजस्थान राज्य की दौसा संसदीय क्षेत्र सहित देश में एमएसएमई क्षेत्र द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के समाधान के लिए कई कदम उठाएं हैं:

1) वर्ष 2020 में एमएसएमई सहित व्यवसायों के लिए 5 लाख करोड़ रुपए की आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईजीएलजीएस); और बजट 2023-24 में सीजीटीएमएसई के कोष में 9,000 करोड़ रुपए के समावेशन की घोषणा की गई है ताकि क्रेडिट की कम लागत के साथ 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त क्रेडिट दिया जा सके।
2) 200 करोड़ रुपए तक की खरीद के लिए वैश्विक निविदा नहीं होगी।
3) दिनांक 02.07.2021 से खुदरा और थोक व्यापारों का एमएसएमई के रूप में समावेशन।
4) दिनांक 18.10.2022 से एमएसएमई के स्थिति में किसी भी प्रकार के स्तरोन्नयन परिवर्तन के मामले में गैर-कर लाभों का 3 वर्षों के लिए विस्तार।
5) दिनांक 01.07.2020 से व्यवसाय की सुगमता के लिए एमएसएमई हेतु "उद्यम पंजीकरण"।
6) प्राथमिक क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण का लाभ प्राप्त करने हेतु अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) को औपचारिक दायरे में लाने हेतु दिनांक 11.01.2023 को उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म (यूएपी) का शुभारंभ।
7) बजट 2023 में की गई घोषणाएं:
   I. लगभग 1 प्रतिशत तक घटी हुई ऋण लागत के साथ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) में 9,000 करोड़ रुपए का समावेशन।
   II. पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान (पीएम विकास): एमएसएमई मूल्य श्रृंखला, उन्नत कौशल प्रशिक्षण तक पहुंच, आधुनिक डिजिटल तकनीकों की जानकारी और दक्ष हरित प्रौद्योगिकियों तक पहुंच, स्थानीय और वैश्विक बाजारों के साथ लिंकेज, डिजिटल भुगतान और सामाजिक सुरक्षा के साथ एकीकृत करते हुए पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की गुणवत्ता पैमाना और उत्पादों की उपलब्धता में सुधार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
   III. विवाद से विश्वास-एमएसएमई के लिए राहत: कोविड की अवधि के दौरान एमएसएमई द्वारा पूरी नहीं की गई संविदा में चूक के मामलों के संबंध में, सरकार और सरकारी उपक्रमों द्वारा निविदा या कार्यनिष्पादन सिक्योरिटी से संबंधित जब्ती राशि का 95 प्रतिशत वापिस कर दिया जाएगा।
   IV. आय कर अधिनियम की धारा 43ख के तहत: भुगतान पर किए गए व्यय पर कटोती तभी अनुमत होगी जब वास्तव में एमएसएमई को भुगतान किया गया हो।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3045

सोमवार, 20 मार्च, 2023/29 फाल्गुन, 1944 (शक)

एनपीएस ट्रेडर्स योजना

3045. श्री तेजस्वी सूर्या:
डॉ. उमेश जी. जाधव:
श्री प्रताप सिन्हा:
श्री बी.वाई. राघवेन्द्र:
क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) और एनपीएस ट्रेडर्स योजना के शुभारंभ के बाद से इनमें पंजीकरण की वर्ष-वार और राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या किसी व्यक्ति ने अभी तक उपर्युक्त योजनाओं का लाभ लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपरोक्त योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इनमें पंजीकरण में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) राज्य-वार कितनी कंपनियों ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की कार्यात्मकता का उपयोग किया है; और

(ङ) ईपीएफ में कर्मचारियों और नियोक्ताओं के अंशदान के संदर्भ में उपर्युक्त योजनाओं के लिए सरकार द्वारा वर्ष-वार योगदान की गई राशि कितनी है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) और एनपीएस ट्रेडर्स योजना के शुभारंभ के बाद से इनमें पंजीकरण की वर्ष-वार और राज्य-वार संख्या क्रमशः अनुबंध- I और II के अनुसार है। ये पेंशन योजनाएं हैं और 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ही लाभ प्राप्त किए जाएंगे। वर्तमान में, किसी भी लाभार्थी ने 60 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है।

(ग): सूचना शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियों की शुरुआत करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि आवंटित की गई है। इसके पश्चात जागरूकता उत्पन्न करने हेतु, 18-40 वर्ष की आयु वर्ग में आने वाले ई-श्रम पोर्टल के तहत पंजीकृत पात्र अभिदाताओं को एसएमएस भेजे गए हैं। पीएम-एसवाईएम के तहत अपने कर्मचारियों के प्रीमियम का भुगतान करने के लिए नियोक्ता को प्रोत्साहित करने हेतु डोनेट-ए-पेंशन योजना भी शुरू की गई है। मंत्रालय योजनाओं के तहत पंजीकरण के लिए पात्र लाभार्थियों को जुटाने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के साथ समीक्षा बैठकें कर रहा है।

(घ) और (ङ): आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की कार्यक्षमता का उपयोग करने वाली कंपनियों की राज्य-वार संख्या; और ईपीएफ में कर्मचारियों और नियोक्ताओं के अंशदान के संदर्भ में उपर्युक्त योजनाओं के लिए सरकार द्वारा वर्ष-वार अंशदान की गई राशि अनुबंध-III के अनुसार है।

*** ****

"एनपीएस ट्रेडर्स योजना" के संबंध में श्री तेजस्वी सूर्या, डॉ. उमेश जी. जाधव, श्री प्रताप सिन्हा, श्री बी.वाई.राघवेन्द्र द्वारा दिनांक 20.03.2023 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3045 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पीएम-एसवाईएम योजना का राज्य-वार एवं वर्ष-वार ब्यौरा							
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	कुल
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1033	822	277	175	32	2339
2	आंध्र प्रदेश	37444	107248	6201	1568	17801	170262
3	अरुणाचल प्रदेश	810	1589	77	203	191	2870
4	असम	9634	7563	3876	6343	10233	37649
5	बिहार	104887	74782	16924	9472	10459	216524
6	चंडीगढ़	974	3738	361	90	11	5174
7	छत्तीसगढ	92631	111930	3857	5011	15989	229418
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	953	575	37	20	42	1627
9	दिल्ली	4791	2711	608	1575	562	10247
10	गोवा	212	728	35	27	1025	2027
11	गुजरात	335279	31407	2050	2432	16119	387287
12	हरियाणा	562199	314740	26049	10216	3926	917130
13	हिमाचल प्रदेश	14355	26033	1362	2643	3163	47556
14	जम्मू और कश्मीर	36735	27056	6643	3138	659	74231
15	झारखंड	97735	29266	2326	1642	4813	135782
16	कर्नाटक	39351	51925	8769	16267	13721	130033
17	केरल	7027	2398	1136	1893	3013	15467
18	लद्दाख	889	563	10	7	4	1473
19	लक्षद्वीप	21	0	0	0	0	21
20	मध्य प्रदेश	80101	39089	5139	7509	45621	177459
21	महाराष्ट्र	527226	61984	9541	6980	8410	614141
22	मणिपुर	2350	1310	237	335	1463	5695
23	मेघालय	916	1162	811	410	2027	5326
24	मिजोरम	436	120	58	60	474	1148
25	नागालैंड	1432	2547	739	138	90	4946
26	ओडिशा	104847	50621	9107	7128	12227	183930
27	पुदुचेरी	851	322	82	72	1054	2381
28	पंजाब	21915	9891	1718	1575	23380	58479
29	राजस्थान	61907	216675	3303	2582	21247	305714
30	सिक्किम	61	43	21	17	166	308
31	तमिलनाडु	40730	14016	2381	2317	6355	65799
32	तेलंगाना	19438	18455	2612	1715	6531	48751
33	त्रिपुरा	13680	12184	3113	1337	1350	31664
34	उत्तर प्रदेश	466310	349720	38701	13361	19668	887760
35	उत्तराखंड	18629	14622	1291	493	3747	38782
36	पश्चिम बंगाल	35920	24055	12559	20178	13043	105755
कुल		**27,43,709**	**16,11,890**	**1,72,011**	**1,28,929**	**2,68,616**	**49,25,155**

"एनपीएस ट्रेडर्स योजना" के संबंध में श्री तेजस्वी सूर्या, डॉ. उमेश जी. जाधव, श्री प्रताप सिन्हा, श्री बी.वाई.राघवेन्द्र द्वारा दिनांक 20.03.2023 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3045 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

राज्य-वार और वर्ष-वार एनपीएस ट्रेडर्स						
क्र.सं.	**राज्य**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**कुल**
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	139	49	1	1	190
2	आंध्र प्रदेश	5628	134	93	65	5920
3	अरुणाचल प्रदेश	71	4	7	1	83
4	असम	551	319	393	174	1437
5	बिहार	828	450	349	83	1710
6	चंडीगढ़	1814	17	8	1	1840
7	छत्तीसगढ	5549	746	121	52	6468
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	23	0	3	1	27
9	दिल्ली	110	60	159	30	359
10	गोवा	2	1	3	0	6
11	गुजरात	3115	150	159	122	3546
12	हरियाणा	1701	198	136	19	2054
13	हिमाचल प्रदेश	86	32	41	20	179
14	जम्मू और कश्मीर	78	210	150	27	465
15	झारखंड	377	102	93	32	604
16	कर्नाटक	833	257	288	112	1490
17	केरल	85	102	136	56	379
18	लद्दाख	1	0	0	1	2
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	459	209	207	315	1190
21	महाराष्ट्र	847	369	404	167	1787
22	मणिपुर	36	25	126	86	273
23	मेघालय	26	41	32	11	110
24	मिजोरम	2	3	3	11	19
25	नागालैंड	16	108	12	4	140
26	ओडिशा	441	219	202	77	939
27	पुदुचेरी	122	11	6	3	142
28	पंजाब	208	62	92	68	430
29	राजस्थान	703	233	189	130	1255
30	सिक्किम	3	0	6	5	14
31	तमिलनाडु	405	334	253	102	1094
32	तेलंगाना	507	139	132	57	835
33	त्रिपुरा	566	677	182	16	1441
34	उत्तर प्रदेश	10909	724	507	139	12279
35	उत्तराखंड	775	44	33	46	898
36	पश्चिम बंगाल	467	626	1254	259	2606
	कुल	**37483**	**6655**	**5780**	**2293**	**52211**

अनुबंध III

"एनपीएस ट्रेडर्स योजना" के संबंध में श्री तेजस्वी सूर्या, डॉ. उमेश जी. जाधव, श्री प्रताप सिन्हा, श्री बी.वाई.राघवेन्द्र द्वारा दिनांक 20.03.2023 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3045 के भाग (घ) और (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

2020-21				2021-22			2022-23 (22.02.2023 की स्थिति के अनुसार) (आरंभ से)		
राज्य का नाम	लाभार्थी प्रतिष्ठानों की संख्या	लाभार्थी कर्मचारियों की संख्या	लाभ की राशि (रुपये में)	लाभार्थी प्रतिष्ठानों की संख्या	लाभार्थी कर्मचारियों की संख्या	लाभ की राशि (रुपये में)	लाभार्थी प्रतिष्ठानों की संख्या	लाभार्थी कर्मचारियों की संख्या	लाभ की राशि (रुपये में)
अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	23	177	705404	12	289	5855984	36	477	111,29,045
आंध्र प्रदेश	1475	34740	95884394	2185	113678	1218834192	4,035	166496	27247,08,605
अरुणाचल प्रदेश	2	8	30282	11	122	872638	17	514	94,94,510
असम	157	1929	5199806	402	15182	122507046	662	19829	2871,64,267
बिहार	362	4713	15195479	719	19117	259137749	1,209	28199	6163,57,984
चंडीगढ़	605	14669	38920290	875	44728	442308868	1,579	64651	9103,13,474
छत्तीसगढ़	1064	19819	55947364	1634	56191	626735263	2,938	84976	14455,26,871
दिल्ली	1268	48387	126199744	1625	161216	1387814165	3,136	226953	28453,33,041
गोवा	260	5418	15946071	246	13806	134569878	540	20894	2838,23,982
गुजरात	6532	158119	413889068	7970	440441	4124551428	15,526	642730	88175,56,167
हरियाणा	3033	83929	245301617	4018	280116	2576086560	7,620	398726	53851,10,831
हिमाचल प्रदेश	890	19975	56180627	1096	57289	562877284	2,158	83224	12000,96,898
जम्मू और कश्मीर	244	3441	9276310	577	14097	176141966	888	19355	4044,22,600
झारखंड	766	14149	43289626	1263	41821	500201030	2,242	62660	11047,72,225
कर्नाटक	3816	103320	311233481	5970	334240	3477010560	10,979	485159	75492,74,615
केरल	987	20131	59283648	1420	64808	735059852	2,726	96114	16753,80,692
लद्दाख	1	2	6552	11	168	1404113	16	186	30,70,606
मध्य प्रदेश	2519	47381	146425243	3198	138217	1571931200	6,229	205204	33201,51,798
महाराष्ट्र	7977	206408	536419295	12642	690241	6256971165	22,397	976379	131292,47,722
मणिपुर	15	218	522750	27	703	8132815	57	1689	238,06,706
मेघालय	14	394	2520552	22	737	20482708	38	1210	435,38,321
मिजोरम	5	98	362412	10	271	6442842	15	377	138,00,410
नागालैंड	2	11	14974	12	209	1326738	17	234	44,37,848
ओडिशा	1383	20745	56636945	2455	59212	726961079	4,186	89179	16783,53,120
पंजाब	2436	35699	108873292	3628	120698	1415629218	6,525	170615	30581,00,088
राजस्थान	4133	68318	179881697	6398	231029	2227820778	11,450	325636	48938,41,244
सिक्किम	43	1160	3736465	65	2362	34923389	112	3764	669,53,849
तमिलनाडु	6038	170388	389224321	9109	568104	4699783659	16,688	815623	102289,66,476
तेलंगाना	2073	54989	133498483	2874	204801	1647771711	5,368	281969	34706,49,676
त्रिपुरा	78	1951	5615402	71	3376	44939953	150	5440	901,71,973
उत्तर प्रदेश	4551	89663	281227623	6912	300544	3356537195	12,378	432007	73897,34,021
उत्तराखंड	1068	23216	69314418	1165	61581	648340009	2,416	93337	13605,68,830
पश्चिम बंगाल	2405	43555	103992581	4586	152407	1443615081	7,680	226926	33481,18,732
कुल	**56225**	**1297120**	**3510756216**	**83208**	**4191801**	**40463578116**	**1,52,013**	**60,30,732**	**873939,77,227**

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3188

सोमवार, 20 मार्च, 2023/29 फाल्गुन, 1944 (शक)

संगठित/असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं एवं पेंशन

3188. श्रीमती रंजीता कोली:
श्री सुमेधानन्द सरस्वती:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान सहित देश में संगठित अथवा असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं प्रदान करने और पेंशन प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की कोई नीति है और यदि हां, तो तत्संबंधी उक्त नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) राजस्थान सहित देश में विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त नीति के लाभार्थियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) दुर्घटनाओं में मारे गए अथवा असाध्य रोगों के कारण मारे गए श्रमिकों के परिवारों को प्रदान की जा रही अथवा प्रदान की जाने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में वर्तमान प्रावधानों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार को मृतक श्रमिकों के आश्रितों को मुआवजा देने के संबंध में कारखानों अथवा कंपनियों द्वारा की गई अनियमितताओं की जानकारी है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): राजस्थान राज्य सहित संगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए अन्य बातों के साथ-साथ, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की योजनाओं द्वारा पात्रता पूरा करने के अध्यधीन स्वास्थ्य सुविधाएं और पेंशन प्रदान की जाती हैं। ईएसआई लाभार्थियों का राज्य-वार विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

सरकार ने असंगठित कामगारों के लिए प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) योजना नामक एक पेंशन योजना भी शुरू की है नामतः ताकि असंगठित कामगारों के लिए वृद्धावस्था संरक्षण सुनिश्चित की जा सके। पीएम-एसवाईएम के तहत नामांकन का राज्य-वार विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।

सरकार बीड़ी/सिने/एमआईसीए/चूना-पत्थर और डोलोमाइट खान (एलएसडीएम)/मैंगनीज अयस्क और क्रोम अयस्क खान (आईओएमसी) कामगारों और उनके आश्रितों को स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं भी प्रदान करती है। कुछ गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए भी वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। ओपीडी/आईपीडी रोगियों की संख्या का राज्यवार विवरण अनुबंध-III में दिया गया है।

कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के तहत पात्र कामगारों को आकस्मिक मृत्यु या असाध्य रोगों के मामले में मुआवजा भी प्रदान किया जाता है, जिसे राज्य सरकारों द्वारा प्रशासित किया जाता है।

*** ****

अनुबंध-I

'संगठित/असंगठित श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं एवं पेंशन' के संबंध में श्रीमती रंजीता कोली और श्री सुमेधानन्द सरस्वती द्वारा दिनांक 20.03.2023 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3188 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

ईएसआई योजना के तहत लाभार्थियों की राज्यवार संख्या

(31.03.2022 तक)

राज्य	लाभार्थी		
	2019-20	2020-21	2021-22
आंध्र प्रदेश	5065689	4927329	4723590
असम	1234034	1245053	1014504
अरुणाचल प्रदेश			1824
मेघालय			55756
नागालैंड			13580
त्रिपुरा			62041
मणिपुर			10515
मिजोरम			5859
बिहार	1317376	1345053	1392842
चंडीगढ़	651258	560311	505176
छत्तीसगढ	1950476	2035603	1966190
दिल्ली	6193839	5869431	5153882
गोवा	811968	838546	669882
गुजरात एवं दादर और नागर हवेली व दमन और दीव	6682485	6925179	6087332
हरियाणा	9335668	9741749	8999738
हिमाचल प्रदेश	1350783	1423611	1343101
जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख	517747	528417	477085
झारखंड	1731489	1693892	1651406
कर्नाटक	13525175	12782494	11497293
केरल एवं लक्षद्वीप	4171039	3994964	3667609
मध्य प्रदेश	4052427	4134838	3751960
महाराष्ट्र	18230646	18148244	15483101
ओडिशा	2876593	2923968	2877253
पुदुचेरी	456637	446510	405538
पंजाब	4589614	4903195	4719749
राजस्थान	5528923	5571456	5185154
सिक्किम	108562	109067	109959
तमिलनाडु	15402396	14847208	13814002
तेलंगाना	7121197	6911793	6068824
उत्तर प्रदेश	9499481	9717033	9178373
उत्तराखंड	2498953	2559403	2345693
पश्चिम बंगाल	7574807	7421780	7121003
कुल	132479262	131606127	120359814

अनुबंध-II

'संगठित/असंगठित श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं एवं पेंशन' के संबंध में श्रीमती रंजीता कोली और श्री सुमेधानन्द सरस्वती द्वारा दिनांक 20.03.2023 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3188 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) योजना के तहत पिछले तीन वर्षों के लिए वर्ष-वार नामांकन निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	कुल
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1033	822	277	167	2299
2.	आंध्र प्रदेश	37444	107248	6201	843	151736
3.	अरूणाचल प्रदेश	810	1589	77	21	2497
4.	असम	9634	7563	3876	3781	24854
5.	बिहार	104887	74782	16924	7000	203593
6.	चंडीगढ़	974	3738	361	35	4276
7.	छत्तीसगढ	92631	111930	3857	2012	210430
8.	दादर एवं नागर हवेली तथा दमन और दीव	953	575	37	9	1574
9.	दिल्ली	4791	2711	608	1312	9422
10.	गोवा	212	728	35	24	999
11.	गुजरात	335279	31407	2050	1666	370402
12.	हरियाणा	562199	314740	26049	9576	820407
13.	हिमाचल प्रदेश	14355	26033	1362	460	42210
14.	जम्मू और कश्मीर	36735	27056	6643	1490	71924
15.	झारखंड	97735	29266	2326	1192	130519
16.	कर्नाटक	39351	51925	8769	10592	110637
17.	केरल	7027	2398	1136	1447	12008
18.	लद्दाख	889	563	10	6	1468
19.	लक्षद्वीप	21	0	0	0	21
20.	मध्य प्रदेश	80101	39089	5139	4537	128866
21.	महाराष्ट्र	527226	61984	9541	4531	593128
22.	मणिपुर	2350	1310	237	283	4180
23.	मेघालय	916	1162	811	271	3160
24.	मिजोरम	436	120	58	45	659
25.	नागालैंड	1432	2547	739	86	4804
26.	ओडिशा	104847	50621	9107	6361	170936
27.	पुदुचेरी	851	322	82	40	1295
28.	पंजाब	21915	9891	1718	1328	34852
29.	राजस्थान	61907	216675	3303	1832	104412
30.	सिक्किम	61	43	21	16	141
31.	तमिलनाडु	40730	14016	2381	1389	58516
32.	तेलंगाना	19438	18455	2612	1449	41954
33.	त्रिपुरा	13680	12184	3113	924	29901
34.	उत्तर प्रदेश	466310	349720	38701	11423	641999
35.	उत्तराखंड	18629	14622	1291	390	34932
36.	पश्चिम बंगाल	35920	24055	12559	15692	88226
	कुल	27,43,709	11,05,287	1,72,011	92,230	41,13,237

अनुबंध-III

'संगठित/असंगठित श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं एवं पेंशन' के संबंध में श्रीमती रंजीता कोली और श्री सुमेधानन्द सरस्वती द्वारा दिनांक 20.03.2023 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3188 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पिछले तीन वर्षों के लिए ओपीडी/आईपीडी रोगियों की संख्या				
क्र. सं.	क्षेत्र	वर्ष		
		2020-21	2021-2022	2022-23 (दिसंबर, 2022 तक)
1	अजमेर	172242	199167	143884
2	चेन्नई	247655	267788	190723
3	गुवाहाटी	4691	8289	4873
4	तिरुवनंतपुरम	18252	20101	21696
5	रांची	46776	67107	46816
6	बैंगलोर	80508	209645	170002
7	भुवनेश्वर	216293	263473	158342
8	नागपुर	69481	97593	83207
9	अहमदाबाद	49015	94251	70673
10	जम्मू और कश्मीर	0	0	0
11	चंडीगढ़	0	0	0
12	देहरादून	4970	5930	2862
13	रायपुर	23179	29141	26880
14	इलाहाबाद	139989	154090	111538
15	हैदराबाद	159806	186105	204605
16	जबलपुर	116068	157514	86246
17	कोलकाता	171640	194941	108393
18	पटना	37080	53960	34057
	कुल	1657645	2009095	1464617

****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2597

गुरूवार, 23 मार्च, 2023 / 02 चैत्र, 1945 (शक)

कोश्यारी समिति की रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई

2597. श्री दिग्विजय सिंह:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोश्यारी समिति द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना,1995 में संशोधन के संबंध में सरकार को कोई सिफारिश की गई थी, यदि हां, तो कब और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) कोश्यारी समिति की रिपोर्ट पर सरकार द्वारा अभी तक क्या कार्रवाई गई है तथा इस रिपोर्ट को कब तक पूरी तरह से लागू कर दिया जायेगा?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): जी हां। याचिका समिति, राज्य सभा (भगत सिंह कोश्यारी समिति की रिपोर्ट) की 147वीं रिपोर्ट दिनांक 03.09.2013 को राज्य सभा में प्रस्तुत की गई थी। समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार किया गया है तथा प्रशासनिक और वित्तीय व्यवहार्यता की सीमा तक उन्हें लागू किया गया है और इसकी कार्रवाई रिपोर्ट दिनांक 19.05.2014 को राज्य सभा सचिवालय को भेज दी गई है। मुख्य सिफारिशों और उन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

*

****

कोश्यारी समिति की रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई के संबंध में श्री दिग्विजय सिंह द्वारा पूछे गए दिनांक 23.03.2023 को उत्तर के लिए नियत राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2597 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

याचिका समिति (राज्य सभा) की 147वीं रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें और इसकी कृत कार्रवाई।

सिफारिश सं. (i): समिति ने 3,000/- रु. प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन को समर्थित करने के लिए कर्मचारियों की पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 में सरकार के अंशदान को सदस्य के वेतन के 1.16 प्रतिशत से बढ़ाकर कम से कम 8.33 प्रतिशत करने की सिफारिश की थी।

वित्तीय व्यवहार्यता की बाधाओं को देखते हुए सरकार ने पहल के लिए बजटीय सहायता प्रदान करके ईपीएस, 1995 के तहत दिनांक 01.09.2014 से 1,000/- रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन लागू की है।

सिफारिश सं. (ii): अंशदानों के लिए वेतन की सीमा बढ़ाने की सिफारिश को लागू कर दिया गया है और वेतन की सीमा दिनांक 01.09.2014 से 6,500/- रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15,000/- प्रति माह कर दी गई है।

सिफारिश सं. (iii): समिति ने कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा (ईडीएलआई) योजना, 1976 की समीक्षा करने की सिफारिश की थी ताकि भविष्य निधि (पीएफ) संचय को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा सके। इसने मौजूदा पेंशनभोगियों को राहत/सूचीकरण प्रदान करने के लिए अधिशेष ईडीएलआई निधियों के इष्टतम उपयोग की भी सलाह दी थी।

वर्ष 2013 में ईडीएलआई, 1976 के तहत अधिकतम सुनिश्चित लाभ 1.6 लाख था जिसे अब बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया है।

सिफारिश सं. (iv): समिति द्वारा दी गई सिफारिश के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान की विशेषज्ञता सहायता से संगठन में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप आधुनिक लेखांकन पद्धतियों को अपनाने का कार्य आरंभ किया है।

सिफारिश सं. (v): समिति ने कायिक निधि के बेहतर प्रबंधन के लिए निधि प्रबंधकों की नियुक्ति और इक्विटी में निवेश का सुझाव दिया था।

ईपीएफओ ने पहले ही निधि के बेहतर और कुशल प्रबंधन के लिए सितंबर, 2008 से निधि प्रबंधकों की नियुक्ति की है। निवेश वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा अधिसूचित और केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी), कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ)

द्वारा समय-समय पर निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार निवेश के प्रतिमानों के भीतर किए जाते हैं।

सिफारिश सं. (vi): समिति ने सुझाव दिया था कि निधि के मूल्यांकन के उद्देश्य से कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के सदस्यों के संबंध में डेटा की मात्रा और गुणवत्ता में काफी सुधार किया जाना चाहिए। समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि निधि का बीमांकिक मूल्यांकन वर्तमान में प्रत्येक वर्ष के बजाय प्रत्येक 3 वर्ष के बाद किया जाना चाहिए और यह भी कि सरकार को बीमांकिक घाटे को कम करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसने मौजूदा कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 को अनिवार्य वार्षिकीकरण के साथ भविष्य निधि-सह-पेंशन वार्षिकी योजना से प्रतिस्थापित करने का भी सुझाव दिया था।

जैसा कि समिति ने सुझाव दिया था, सदस्यों की जानकारी एकत्र करने के लिए विशेष प्रयास किए गए थे तथा वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के लिए मूल्यांकन लगभग 60 प्रतिशत सक्रिय अंशदाता सदस्यों और 100 प्रतिशत पेंशनभोगियों के डेटा के साथ किया गया था जिसके परिणामस्वरूप मूल्यांकन अभ्यास में बेहतर गुणवत्ता और विश्वसनीयता आई। वित्तीय वर्ष 2019 तक कर्मचारी पेंशन निधि का मूल्यांकन पूरा हो गया है। बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट की सिफारिशों और न्यूनतम पेंशन प्रस्ताव पर सहमति देते समय वित्त मंत्रालय के सुझावों को ध्यान में रखते हुए, घाटे को कम करने के लिए कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में कई संशोधन किए गए हैं। इन उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, 12 महीने के औसत के बजाय 60 महीने के औसत के आधार पर पेंशन योग्य वेतन की गणना और सामान्य सेवा अवधि के बजाय अंशदायी सेवा के आधार पर पात्र सेवा का निर्धारण शामिल है। डेटा की गुणवत्ता में सुधार और संशोधनों के परिणामस्वरूप कर्मचारी पेंशन निधि के घाटे में उल्लेखनीय गिरावट आई है। प्रत्येक 3 साल में मूल्यांकन करने और योजना को वार्षिकी आधारित योजना से प्रतिस्थापित करने के सुझाव के संबंध में, उल्लेख किया गया है कि केंद्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि द्वारा इनकी 190वीं और 202वीं बैठक में इन पर विचार किया गया था, जहां वार्षिकी आधारित योजना के प्रस्ताव पर कोई आम सहमति नहीं बन पाई थी और यह महसूस किया गया कि वार्षिक मूल्यांकन जारी रहना चाहिए।

सिफारिश सं. (vii): समिति ने मुद्रास्फीति की भरपाई के लिए पेंशन की राशि में मूल्य वृद्धि को निष्क्रिय करने की भी सिफारिश की थी।

कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 का परिभाषित लाभ और परिभाषित अंशदान की विशेषताओं के साथ एक वित्तपोषित योजना होने के नाते, मुद्रास्फीति के प्रभाव को बेअसर करके पेंशन में वृद्धि करना संभव नहीं है।

सिफारिश सं. (viii): समिति ने सुझाव दिया था कि पेंशन निधि से निकासी को हतोत्साहित किया जाना चाहिए और सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष की जानी चाहिए।

इस संबंध में, उल्लेखनीय है कि ईपीएफओ ने सदस्यों के लिए सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) और एक ऑनलाइन अंतरण दावा पोर्टल पेश किया है जो सदस्यों को निकासी की बजाय अपने खातों को स्थानांतरित करने की सुगमता प्रदान करता है। इसके अलावा, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 440 (अ.) दिनांक 25.04.2016 द्वारा 58 से 60 वर्ष तक पेंशन के वैकल्पिक आस्थगन का प्रावधान किया गया है।

सिफारिश सं. (ix): समिति ने पेंशनभोगियों के लिए एक अलग शिकायत निवारण तंत्र और पेंशन में देरी के मामले में ब्याज अनुदान का भी सुझाव दिया था।

ईपीएफओ अपने सदस्यों और नियोक्ताओं के लिए www.epfigms.gov.in पर ईपीएफआईजीएमएस नामक एक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली उपलब्ध कराता है।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2638

गुरूवार, 23 मार्च, 2023 /02 चैत्र, 1945 (शक)

पी एफ पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कार्यान्वयन

2638. श्री इलामारम करीम:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भविष्य निधि पेंशन पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय को लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) इस निर्णय के बाद सरकार द्वारा जारी किए गए प्रथम परिपत्र पर पेंशनभोगियों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर और उनका समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या यह सच है कि पेंशनभोगियों के लिए उच्च पेंशन का विकल्प चुनना व्यावहारिक रूप से असंभव रहा है क्योंकि उनको विकल्प के लिए 26(6) दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य है; और

(घ) क्या सरकार इस परिपत्र पर फिर से विचार करेगी, यदि हां, तो इस पर कब तक विचार करेगी, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 04.11.2022 के निर्णय के पैरा 44(ix) जो पैरा 44(v) और 44(vi) के साथ पठित है, में निहित निर्देशों के अनुसार, दिनांक 29.12.2022 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा दिनांक 01.09.2014 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए पेंशनभोगियों और जिन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति से पूर्व वेतन सीमा से अधिक वेतन पर पेंशन निधि में अंशदान के लिए संयुक्त विकल्प का प्रयोग किया था परंतु जिनके संयुक्त विकल्पों को ईपीएफओ द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था (अंतिम तिथि के आधार पर) से ऑनलाइन आवेदन की माँग की गई थी। संयुक्त विकल्प दिनांक 03.03.2023 तक या उससे पूर्व भरे जाने थे। अब इस तारीख को 03.05.2023 तक बढ़ा दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 04.11.2022 के निर्णय के पैरा 44(v) जो पैरा 44(iii) और पैरा 44(iv) के साथ पठित है, में निहित निर्देशों के अनुसार, ईपीएफओ द्वारा दिनांक 20.02.2023 को उन कर्मचारियों द्वारा ऑनलाइन संयुक्त विकल्प भरे जाने हेतु निदेश जारी किए हैं जो दिनांक 01.09.2014 से पूर्व सेवा में थे और दिनांक 01.09.2014 को या उसके बाद सेवा में बने रहे परंतु कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के पैरा 11(3) के पूर्ववर्ती परन्तुक के तहत संयुक्त विकल्प का प्रयोग नहीं कर पाए। संयुक्त विकल्प दिनांक 03.05.2023 को या उससे पूर्व भरे जा सकते हैं।

******

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2643

गुरूवार, 23 मार्च, 2023/2 चैत्र, 1945 (शक)

मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लाभार्थी

2643. सुश्री कविता पाटीदारः

डा. सुमेर सिंह सोलंकीः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले लोगों की जिला-वार संख्या कितनी है; और

(ख) अब तक प्राप्त उपलब्धियों और तत्संबंधी प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ख): मध्य प्रदेश राज्य में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) के तहत लाभार्थियों की जिला-वार संख्या अनुबंध में दी गई है।

एबीआरवाई योजना के आरंभ से दिनांक 11.03.2023 तक, देश में 60.32 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

*****

अनुबंध

राज्य सभा के दिनांक 23.03.2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2643 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

दिनांक 11.03.2023 के अनुसार मध्य प्रदेश में एबीआरवाई लाभार्थियों की संख्या (जिला-वार)

क्र.सं.	जिला	लाभार्थी कर्मचारियों की संख्या
1	आगर मालवा	125
2	अलीराजपुर	67
3	अनूपपुर	227
4	अशोक नगर	163
5	बालाघाट	604
6	बड़वानी	254
7	बैतुल	465
8	भिंड	862
9	भोपाल	25593
10	बुरहानपुर	567
11	छतरपुर	466
12	छिंदवाड़ा	1663
13	दमोह	301
14	दतिया	558
15	देवास	3129
16	धार	26184
17	डिंडोरी	6
18	गुना	1533
19	ग्वालियर	7688
20	हरदा	351
21	होशंगाबाद	1658
22	इंदौर	77644
23	जबलपुर	10698
24	झाबुआ	199
25	कटनी	2250
26	खंडवा (पूर्वी निमाड़)	1173
27	खरगोन (पश्चिम निमाड़)	2714
28	मंडला	393
29	मन्दसौर	1395
30	मुरैना	727
31	नरसिम्हापुर	229
32	नीमच	498
33	पन्ना	21
34	रायसेन	9961
35	राजगढ़	1077
36	रतलाम	2847
37	रीवा	1321
38	सागर	2482
39	सतना	2465
40	सीहोर	4595
41	सिवनी	493
42	शाहडोल	381
43	शाजापुर	829
44	श्योपुर	18
45	शिवपुरी	335
46	सीधी	276
47	सिंगरौली	2632
48	टीकमगढ़	783
49	उज्जैन	3886
50	उमरिया	91
51	विदिशा	384
योग		**205261**

स्रोतः ईपीएफओ, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2651

गुरूवार, 23 मार्च, 2023 / 02 चैत्र, 1945 (शक)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के निष्क्रिय खाते

2651. श्री के.आर. सुरेश रेड्डी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्मचारियों के निष्क्रिय भविष्य निधि (ईपीएफ) खातों में कुल कितनी राशि रखी हुई है;
(ख) वर्ष 2017-18 से ऐसे खातों में रखी गई राशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) इन निष्क्रिय खातों में रखी गई राशि संबंधित लाभार्थियों को लौटा देगा; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार, निष्क्रिय खातों में 4962.70 करोड़ रुपए की कुल राशि है। निष्क्रिय खातों में राखी गई राशि से संबंधित वर्ष-वार ब्यौरा निम्न प्रकार है:

वर्ष	कुल राशि (रुपए करोड़ में)
2017-18	1344.79
2018-19	1638.37
2019-20	2827.29
2020-21	3930.85
2021-22	4962.70

(ग) और (घ): इस प्रकार के सभी निष्क्रिय खातों के निश्चित दावेदार होते हैं और जब कभी भी कोई सदस्य कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को दावे की मांग करता है, तो इसकी जांच के उपरांत निपटाण कर दिया जाता है।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2656

गुरूवार, 23 मार्च, 2023 / 02 चैत्र, 1945 (शक)

कर्मचारियों भविष्य निधि (ईपीएफ) पेंशन पर स्पष्टीकरण

2656. श्री एम. शनमुगम:
श्री वाइको:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कंपनियों और कर्मचारियों भविष्य निधि के अंशदाताओं ने ईपीएस के अंतर्गत अधिक पेंशन का विकल्प चुनने के संबंध में और स्पष्टीकरण मांगा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या निजी भविष्य निधि न्यास वाली कंपनियों के मामले में उच्च पेंशन के लिए ब्याज कटौती के तरीके के संबंध में स्पष्टीकरण या दिशा-निर्देश प्रदान किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उन मामलों में न्यूनतम मासिक पेंशन में वृद्धि की जाएगी जहां ईपीएफ अंशदाता जिनका पेंशन-योग्य वेतन कम है और वे उच्चतर ब्रैकेट में अंशदान नहीं करना चाहते हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 04.11.2022 के निर्णय के पैरा 44(ix) जो पैरा 44(v) और 44(vi) के साथ पठित है, में निहित निर्देशों के अनुसार, दिनांक 29.12.2022 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा दिनांक 01.09.2014 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए पेंशनभोगियों और जिन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति से पूर्व वेतन सीमा से अधिक वेतन पर पेंशन निधि में अंशदान के लिए संयुक्त विकल्प का प्रयोग किया था परंतु जिनके संयुक्त विकल्पों को ईपीएफओ द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था (अंतिम तिथि के आधार पर) से ऑनलाइन आवेदन की माँग की गई थी। संयुक्त विकल्प दिनांक 03.03.2023 तक या उससे पूर्व भरे जाने थे। अब इस तारीख को 03.05.2023 तक बढ़ा दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 04.11.2022 के निर्णय के पैरा 44(v) जो पैरा 44(iii) और पैरा 44(iv) के साथ पठित है, में निहित निर्देशों के अनुसार, ईपीएफओ द्वारा दिनांक 20.02.2023 को उन कर्मचारियों द्वारा ऑनलाइन संयुक्त विकल्प भरे जाने हेतु निदेश जारी किए हैं जो दिनांक 01.09.2014 से पूर्व सेवा में थे और दिनांक 01.09.2014 को या उसके बाद सेवा में बने रहे परंतु कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के पैरा 11(3) के पूर्ववर्ती परन्तुक के तहत संयुक्त विकल्प का प्रयोग नहीं कर पाए। संयुक्त विकल्प दिनांक 03.05.2023 को या उससे पूर्व भरे जा सकते हैं।

(ङ) और (च): पहली बार सरकार ने वर्ष 2014 में ईपीएस, 1995 के अंतर्गत पेंशनभोगियों को बजटीय सहायता द्वारा न्यूनतम 1,000/- रुपये प्रति माह की पेंशन प्रदान की, जो ईपीएफओ को ईपीएस के तहत प्रतिवर्ष दी जाने वाली मजदूरी के 1.16% की बजटीय सहायता से अतिरिक्त थी।

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2994

उत्तर देने की तारीख : 27.03.2023

तेलंगाना में एमएसएमई के तहत औपचारिक और अनौपचारिक रोजगार

2994. डा. के. लक्ष्मण :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान तेलंगाना राज्य में एमएसएमई में औपचारिक और अनौपचारिक रोजगार का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने एमएसएमई में रोजगार को बढ़ावा देने और रोजगार की स्थिति में सुधार लाने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क): उद्यम पंजीकरण पोर्टल के अनुसार, योजना के शुरुआती समय 01.07.2020 से 22.03.2023 तक तेलंगाना राज्य में उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकृत एमएसएमई में कार्यरत कारीगरों की कुल संख्या 62,89,528 है। जिलेवार विवरण अनुबंध-I में संलग्न हैं।

प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत, वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान तेलंगाना राज्य में सृजित रोजगार की अनुमानित संख्या 82,768 थी। जिलेवार विवरण अनुबंध-II में संलग्न हैं।

(ख) और (ग):सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने देश भर में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई क्षेत्र की संवृधि और विकास के लिए विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन करता है इन योजनाओं/कार्यक्रमों में अन्य बातों के साथ-साथ प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी योजना (सीजीटीएमएसई), सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि योजना (स्फूर्ति), नवोन्मेष, ग्रामोद्योग और उद्यमिता संवर्धन के लिए स्कीम (एस्पायर), उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हब (एनएसएसएच) शामिल है।

सरकार ने देश में एमएसएमई को सहायता प्रदान करने के लिए हाल ही में कई पहलें की हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं;

(i) एमएसएमई सहित व्यवसाय के लिए 5 लाख करोड़ रुपए का आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) ।
(ii) एमएसएमई आत्म-निर्भर भारत कोष के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए का इक्विटी समावेशन।
(iii) एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए नया संशोधित मानदंड।
(iv) 200 करोड़ रुपए तक की खरीद के लिए वैश्विक निविदा नहीं होगी।
(v) व्यवसाय की सुगमता के लिए एमएसएमई हेतु "उद्यम पंजीकरण"।
(vi) एमएसएमई की शिकायत निवारण और सहायता प्रदान करने सहित ई-गर्वनेंस के कई पहलुओं को शामिल करते हुए जून, 2020 में "चैंपियंस" नामक एक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत।
(vii) 02 जुलाई, 2021 से प्रभावी खुदरा और थोक व्यापारों का एमएसएमई के रूप में समावेशन।
(viii) एमएसएमई की स्थिति में स्तरोन्नयन परिवर्तन के मामले में 3 वर्षों का गैर-कर लाभ का विस्तार करना।
(ix) 5 वर्षों में 6,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एमएसएमई निष्पादन में संवृद्धि और गतिवर्धन (रैंप) कार्यक्रम को रोल
(x) अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए औपचारिक दायरे में लाने के लिए 11.01.2023 को उदयम असिस्ट प्लेटफॉर्म (यूएपी) का शुभारंभ।

अनुबंध- I

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2994, जिसका उत्तर दिनांक 27.03.2023 को दिया जाना है,के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

उद्यम पंजीकरण पोर्टल के अनुसार तेलंगाना में जिलेवार रोजगार				
क्र.सं.	जिले का नाम	2020-21*	2021-22	2022-23 #
1	आदिलाबाद	5418	15168	33091
2	भद्राद्री कोठागुडम	6039	17440	35955
3	हैदराबाद	418891	370981	332711
4	जगतियाल	6277	18401	20021
5	जांगौन	4011	15394	11129
6	जयशंकर भूपालपल्ली	2713	14128	13431
7	जोगुलम्बा गडवाल	3062	15740	11158
8	कामारेड्डी	4601	10433	22262
9	करीमनगर	549205	67629	83961
10	खम्मम	13095	75385	61876
11	कोमारम भीम आसिफाबाद	6295	3511	4928
12	महबुबाबाद	4363	13133	82786
13	महबूबनगर	15693	45532	456019
14	मांचेरियाल	12759	11468	13855
15	मेडक	15886	36407	29506
16	मेडचाल मल्काजगिरि	171784	389018	236030
17	मुलुगु	-	4241	3351
18	नगरकुरनूल	4236	44294	118946
19	नलगोंडा	41848	52226	115531
20	नारायणपेट	-	4138	6875
21	निर्मल	2669	7851	12805
22	निजामाबाद	16458	48449	57645
23	पेद्दापल्ली	20024	21006	22157
24	राजन्ना सिर्किल्ला	11499	12592	10444
25	रंगारेड्डी	196585	240652	425737
26	संगारेड्डी	42961	140376	40076
27	सिद्दीपेट	7107	25596	22121
28	सूर्यापेट	11314	164900	193027
29	विकाराबाद	4560	18199	40167
30	वानापार्थी	2540	18905	22624
31	वारंगल	9266	12492	34139
32	वारंगल अर्बन (हनुमाकोंडा)	40842	31214	47628
33	यदाद्रि भुवनगिरी	9675	22254	16707
	कुल	1661676	1989153	2638699

***01.07.2020 से # 22.03.2023 तक**

अनुबंध-II

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2994, जिसका उत्तर दिनांक 27.03.2023 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

तेलंगाना राज्य में पीएमईजीपी के तहत सृजित अनुमानित रोजगार की संख्या						
क्र.सं.	जिलों का नाम	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	आदिलाबाद	360	624	736	816	1248
2	भद्राद्री	160	464	464	384	624
3	हनुमाकोंडा	128	424	304	232	384
4	हैदराबाद	88	288	440	560	928
5	जगतियाल	176	824	1296	912	888
6	जांगौन	40	160	144	104	56
7	जयशंकर भूपालपल्ली	104	184	144	248	192
8	जोगुलम्बा गडवाल	272	104	208	88	360
9	कामारेड्डी	192	264	152	432	496
10	करीमनगर	1152	2360	1552	1192	1568
11	खम्मम	1280	1600	1152	928	1896
12	कोमुराम भीम आसिफाबाद	32	112	120	160	520
13	महबुबाबाद	104	128	96	288	304
14	महबूबनगर	704	448	768	424	608
15	मांचेरियाल	64	464	496	488	672
16	मेडक	88	128	112	160	128
17	मेडचल मलकजगिरी	304	464	368	424	752
18	मुलुगु	0	0	24	264	504
19	नगरकुरनूल	56	184	216	208	344
20	नलगोंडा	592	1312	1368	1016	1816
21	नारायणपेट	0	0	0	112	248
22	निर्मल	40	344	344	488	1264
23	निजामाबाद	696	1280	1104	992	1144
24	पेड्डापल्ली	152	736	680	488	664
25	राजन्ना सिरसिला	296	360	1024	800	1216
26	रंगारेड्डी	504	800	1328	1320	1584
27	संगारेड्डी	16	224	456	432	400
28	सिद्धिपेट	232	328	368	320	536
29	सूर्यापेट	528	784	712	1072	864
30	विकाराबाद	104	80	328	160	248
31	वानापार्थी	104	224	360	184	248
32	वारंगल	888	464	280	224	224
33	यदाद्रि भुवनगिरी	64	248	248	280	320
	कुल रोजगार	9520	16408	17392	16200	23248

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4171

सोमवार, 27 मार्च, 2023/6 चैत्र, 1945 (शक)

ईपीएफ अंशदाता

4171. श्री ए. गणेशमूर्ति:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कंपनियों और ईपीएफ अंशदाताओं ने ईपीएफ के तहत उच्च पेंशन के विकल्प के चयन के तरीके के बारे में और स्पष्टीकरण मांगा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या उन अंशदाताओं के मामले में भी न्यूनतम मासिक पेंशन में वृद्धि की जाएगी जिनका वेतन कम है और जो अधिक अंशदान नहीं करना चाहते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उन कंपनियों के मामले में उच्च पेंशन के लिए ब्याज कटौती की विधि के लिए स्पष्टीकरण या दिशानिर्देश जारी किए जा रहे हैं जिनका अपना निजी पीएफ ट्रस्ट है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (च): माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 04.11.2022 के निर्णय के अनुच्छेद 44(v) और 44(vi) के साथ पठित अनुच्छेद 44(ix) में निहित निर्देशों के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा, दिनांक 01.09.2014 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए पेंशनभोगी और जिन्होंने सेवानिवृत्ति से पूर्व पेंशन निधि में अंशदान करने हेतु वेतन सीमा से अधिक वेतन पर पेंशन निधि के संयुक्त विकल्प का प्रयोग किया था, परंतु जिनके संयुक्त विकल्पों को ईपीएफओ द्वारा अस्वीकार (कट-ऑफ तिथि के कारण), कर दिया गया था, से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए। संयुक्त विकल्पों को दिनांक 03.03.2023 तक अथवा उस से पूर्व दाखिल किया जाना था। अब इस तिथि को दिनांक 03.05.2023 तक बढ़ा दिया गया है।

इसके अलावा, माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 04.11.2022 के निर्णय के अनुच्छेद 44(v) के साथ पठित अनुच्छेद 44(iii) एवं अनुच्छेद 44(iv) में निहित निर्देशों के अनुसार, ईपीएफओ द्वारा दिनांक 20.02.2023 को, दिनांक 01.09.2014 से पूर्व सेवारत और दिनांक 01.09.2014 को अथवा उसके पश्चात सेवारत वैसे कर्मचारियों जो कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के अनुच्छेद 11(3) के पूर्ववर्ती परंतुक के तहत संयुक्त विकल्प का प्रयोग नहीं कर पाए, उन कर्मचारियों द्वारा दायर किए जाने वाले ऑनलाइन संयुक्त विकल्पों हेतु निर्देश जारी किए गए हैं। संयुक्त विकल्पों को दिनांक 03.05.2023 को अथवा उसके पूर्व दायर किया जा सकता है।

सरकार ने वर्ष 2014 में पहली बार ईपीएस, 1995 के तहत बजटीय सहायता जो ईपीएफओ को ईपीएस के लिए सालाना 1.16% मजदूरी के बजटीय समर्थन के अतिरिक्त थी प्रदान कर, पेंशनभोगियों को 1000/-रु. प्रति माह न्यूनतम पेंशन प्रदान किया था।

******

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4198

सोमवार, 27 मार्च, 2023/6 चैत्र, 1945 (शक)

ईपीएफ निधि योजना में कर्मचारी अंशदान

4198. श्री संजय जाधव:
श्री विनायक भाऊराव राऊत:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्मचारी भविष्य निधि योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;
(ख) वर्तमान में कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के अंतर्गत शामिल कर्मचारियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार अनुमानित संख्या कितनी है;
(ग) ईपीएफ निधि में नियमित रूप से योगदान करने वाले कर्मचारियों की विशेषकर महाराष्ट्र के रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और परभणी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के ब्यौरे सहित राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;
(घ) क्या सरकार के पास लाभार्थियों का लाभ देने हेतु पात्रता मानदंड में छूट देने का कोई प्रस्ताव है;
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रस्ताव के कब तक कार्यान्वित होने की संभावना है; और
(च) क्या बहुत से स्टाफ/कर्मचारियों के ईपीएफ खाते विगत कई वर्षों से निष्क्रिय पड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क): कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना, 1952 कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (ईपीएफ और एमपी) अधिनियम, 1952 के तहत बनाई गई तीन योजनाओं में से एक है। कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 का उद्देश्य ईपीएफ द्वारा कवर किए गए प्रतिष्ठान में कार्यरत कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के तहत, किसी भी कवर किए गए प्रतिष्ठान के कर्मचारी को निधि में शामिल होने और मजदूरी का 12% योगदान करने के लिए 15,000 रुपये की वैधानिक रूप से मासिक वेतन के आहरण की आवश्यकता होती है, जिसमें मूल वेतन, महंगाई भत्ता और प्रतिधारण भत्ता, यदि कोई हो, शामिल है। नियोक्ता को भी वेतन का 12% अंशदान करना आवश्यक है।

जारी..2/-

कर्मचारी भविष्य निधि का प्रबंधन एक न्यासी बोर्ड द्वारा किया जाता है जिसमें केंद्र सरकार, नियोक्ताओं, कर्मचारियों, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

ईपीएफ योजना, 1952 का कोई सदस्य उक्त योजना में निहित प्रावधान के अनुसार, विभिन्न उद्देश्यों (अर्थात आवासीय गृह की खरीद/निर्माण, बीमारी, शिक्षा, विवाह, कोविड-19, आदि) के लिए निकासी और अग्रिम के लाभ का हकदार है। कोई सदस्य प्रत्येक वर्ष अपने पीएफ संचय पर ब्याज प्राप्त करने का भी हकदार होता है।

(ख): दिनांक 22.03.2023 की स्थिति के अनुसार, ईपीएफ सदस्यों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध-I पर दिया गया है।

(ग): राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सदस्यों की कुल संख्या जिसके लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष के संबंध में योगदान प्राप्त किया गया है, (महाराष्ट्र के रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और परभणी जिले के ब्यौरा सहित) का ब्यौरा अनुबंध-II पर दिया गया है।

(घ) और (ङ): ईपीएफ योजना, 1952 के तहत कवरेज के लिए मजदूरी सीमा समय-समय पर संशोधित की जाती है। वर्तमान में, यह 01.09.2014 से 15000/- रुपये प्रति माह है।

(च): ईपीएफ योजना 1952 के अनुच्छेद 72(6) के अनुसार, कुछ खातों को निष्क्रिय खातों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तथापि, ऐसे सभी निष्क्रिय खातों के निश्चित दावेदार होते हैं। दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार, निष्क्रिय खातों में कुल 4962.70 करोड़ रुपये की राशि मौजूद है।

** ****

अनुबंध-I

'ईपीएफ निधि योजना में कर्मचारी अंशदान' के संबंध में माननीय सांसद श्री संजय जाधव और श्री विनायक राऊत द्वारा दिनांक 27.03.2023 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4198 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

दिनांक 22.03.2023 की स्थिति के अनुसार ईपीएफ सदस्यों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा	
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**दिनांक 22.03.2023 की स्थिति के अनुसार ईपीएफ योजना के सदस्य-खातों की संख्या**
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	59,322
आंध्र प्रदेश	59,28,638
अरुणाचल प्रदेश	43,165
असम	11,90,065
बिहार	26,06,760
चंडीगढ़	32,18,568
छत्तीसगढ	25,04,722
दिल्ली	2,18,41,805
गोवा	17,77,293
गुजरात	2,27,08,149
हरियाणा	2,14,49,616
हिमाचल प्रदेश	21,11,062
जम्मू और कश्मीर	5,80,966
झारखंड	27,50,897
कर्नाटक	3,22,29,597
केरल	41,04,008
लद्दाख	5,038
मध्य प्रदेश	66,26,391
महाराष्ट्र	5,58,91,617
मणिपुर	43,394
मेघालय	1,11,721
मिजोरम	10,116
नागालैंड	24,267
ओडिशा	41,42,366
पंजाब	48,23,162
राजस्थान	78,13,936
सिक्किम	1,11,582
तमिलनाडु	3,37,91,317
तेलंगाना	1,56,29,321
त्रिपुरा	1,18,711
उत्तर प्रदेश	1,37,11,930
उत्तराखंड	43,02,568
पश्चिम बंगाल	1,09,55,800
कुल	**28,32,17,870**

अनुबंध II

'ईपीएफ निधि योजना में कर्मचारी अंशदान' के संबंध में माननीय सांसद श्री संजय जाधव और श्री विनायक राऊत द्वारा दिनांक 27.03.2023 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4198 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

चालू वित्तीय वर्ष अर्थात मार्च, 2022 से फरवरी, 2023 के किसी वेतन माह में प्राप्त अंशदान प्राप्त हुआ है और वे जो अभी तक सदस्य हैं, उन सदस्यों की कुल संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा (महाराष्ट्र के रत्नागिरी , सिंधुदुर्ग और परभणी जिलों का ब्यौरा सहित)	
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**सदस्यों की संख्या**
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	20,456
आंध्र प्रदेश	14,81,255
अरुणाचल प्रदेश	11,135
असम	3,50,456
बिहार	11,40,146
चंडीगढ़	5,85,067
छत्तीसगढ	6,24,940
दिल्ली	37,88,071
गोवा	2,50,291
गुजरात	43,57,096
हरियाणा	34,45,706
हिमाचल प्रदेश	4,25,602
जम्मू और कश्मीर	1,95,440
झारखंड	6,20,249
कर्नाटक	68,51,984
केरल	12,33,577
लद्दाख	2,135
मध्य प्रदेश	14,37,252
महाराष्ट्र	**1,18,04,749** रत्नागिरी (34,948), सिंधुदुर्ग (6,457) और परभणी (9,492)
मणिपुर	17,184
मेघालय	37,338
मिजोरम	4,275
नागालैंड	11,424
ओडिशा	10,32,765
पंजाब	8,19,345
राजस्थान	16,54,996
सिक्किम	30,608
तमिलनाडु	65,30,722
तेलंगाना	37,80,706
त्रिपुरा	34,983
उत्तर प्रदेश	30,53,984
उत्तराखंड	7,09,642
पश्चिम बंगाल	29,49,321
कुल	**5,92,92,900**

****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4210

सोमवार, 27 मार्च, 2023/6 चैत्र, 1945 (शक)

ईपीएफ के अंतर्गत नियोक्ताओं का अंशदान

4210. श्री अरविंद सावंत:
श्री ओम पवन राजेनिंबालकर:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के अंतर्गत नियोक्ताओं के अंशदान में वृद्धि करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के कुल कितने मामले निपटाए गए हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल कितने मामले निपटान हेतु लंबित हैं;

(घ) क्या दावों की प्रक्रिया के लिए कोई मानदंड निर्धारित किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो निपटान की दर सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क): ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा पिछले तीन में से प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) और कर्मचारी निक्षेप-सहबद्ध बीमा योजना (ईडीएलआई) के निपटाए गए मामलों की कुल संख्या का राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रवार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(घ) और (ङ): जी हां। ईपीएफ योजना, 1952 के पैराग्राफ 72 (7), ईपीएस योजना, 1995 के पैराग्राफ 17क और ईडीएलआई योजना, 1976 के पैराग्राफ 24(4) के अनुसार, अपेक्षित दस्तावेजों के साथ सभी प्रकार से पूर्ण रूप में प्रस्तुत दावों का निपटान किया जाएगा और आयुक्त को इसकी प्राप्ति की तारीख से 20 दिनों के भीतर लाभार्थियों को लाभ की राशि का भुगतान किया जाएगा। यदि दावे में कोई कमी है, तो इसे लिखित लूप में दर्ज किया जाएगा और इस आवेदन की फ्लाफम्त की तारीख से 20 दिनों के

भीतर आवेदक को सूचित किया जाएगा। निपटान दर सहित ईपीएफओ द्वारा निपटाए गए दावों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	**निपटाए गए दावे**	**20 दिनों के भीतर निपटाए गए**	**निपटान दर (20 दिनों के भीतर)**
2019-20	2,09,39,799	1,85,99,023	88.82%
2020-21	3,25,89,114	3,09,57,109	94.99%
2021-22	3,90,97,471	3,77,03,392	96.43%
2022-23 (19.03.2023)	3,94,29,162	3,90,01,702	98.92%

*

******

'ईपीएफ के अंतर्गत नियोक्ताओं का अंशदान' के संबंध में श्री अरविंद सावंत और श्री ओम पवन राजेनिंबालकर द्वारा पूछे गए दिनांक 27.03.2023 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4210 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) और कर्मचारी निक्षेप-सहबद्ध बीमा योजना (ईडीएलआई) के निपटाए गए मामलों की कुल संख्या का ब्यौरा।

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23 (19.03.2023 की स्थिति के अनुसार)
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	3,685	7,673	10,586	14,494
2	आंध्र प्रदेश	5,12,004	8,43,339	10,93,403	10,97,956
3	असम	91,961	1,44,318	2,26,513	2,37,668
4	बिहार	1,66,713	3,32,819	4,25,962	4,53,835
5	चंडीगढ़	2,98,369	3,89,311	4,58,916	4,47,445
6	छत्तीसगढ	1,76,293	4,03,062	4,54,620	4,46,360
7	दिल्ली	18,24,512	27,51,568	30,44,153	30,95,774
8	गोवा	82,954	1,27,724	1,53,871	1,63,581
9	गुजरात	15,51,467	22,27,443	27,18,669	28,06,622
10	हरियाणा	13,63,493	21,20,198	25,37,861	26,04,413
11	हिमाचल प्रदेश	1,71,488	2,37,184	2,95,822	3,42,010
12	जम्मू और कश्मीर	0	4,874	1,18,935	1,53,811
13	झारखंड	1,99,412	3,36,837	4,28,478	4,72,840
14	कर्नाटक	23,15,594	39,43,329	43,70,365	43,26,961
15	केरल	4,84,526	7,10,676	8,33,019	8,83,367
16	लद्दाख	0	114	633	819
17	मध्य प्रदेश	6,04,747	9,19,459	10,82,587	9,93,581
18	महाराष्ट्र	37,94,654	61,57,067	73,74,137	72,74,856
19	मेघालय	8,304	17,579	27,429	35,807
20	ओडिशा	2,93,537	4,70,048	6,23,830	6,84,252
21	पुदुचेरी	66,822	92,319	1,08,374	1,00,502
22	पंजाब	4,07,886	5,71,901	6,77,024	6,60,278
23	राजस्थान	5,45,264	8,31,358	9,64,776	9,97,472
24	तमिलनाडु	26,29,506	38,62,747	45,81,773	43,42,857
25	तेलंगाना	10,92,664	17,66,318	21,38,226	21,60,178
26	त्रिपुरा	11,280	14,457	19,319	17,800
27	उत्तर प्रदेश	11,14,908	16,77,805	20,95,078	22,08,392
28	उत्तराखंड	4,02,442	5,36,919	6,68,604	6,97,109
29	पश्चिम बंगाल	7,25,314	10,90,668	15,64,508	17,08,122
	कुल	**2,09,39,799**	**3,25,89,114**	**3,90,97,471**	**3,94,29,162**

नोट: अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड राज्यों के लिए दावा निपटान, पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) क्षेत्र के तहत उनके निकटवर्ती क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) में, सिक्किम राज्य के लिए, पश्चिम बंगाल और सिक्किम क्षेत्र के तहत उनके निकटवर्ती क्षेत्रीय कार्यालय (सिलिगुड़ी) में दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव के संघ राज्य-क्षेत्रों के लिए गुजरात क्षेत्र के तहत उनके निकटवर्ती क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ वापी) में तथा लक्षद्वीप के संघ राज्य-क्षेत्रों के लिए, केरल और लक्षद्वीप क्षेत्र के तहत निकटवर्ती क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ कोच्चि) में किया जा रहा है।

*****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4230
सोमवार, 27 मार्च, 2023/06 चैत्र, 1945 (शक)

श्रमिकों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा

4230. श्री नायब सिंह सैनी:
क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआईसी) के अंतर्गत श्रमिकों और उनके आश्रितों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार हरियाणा विशेषकर कुरूक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में कर्मचारी राज्य बीमा के अंतर्गत लाभार्थियों को पूर्ण चिकित्सा देखभाल के अलावा कठिन समय में वित्तीय लाभ भी प्रदान कर रही है;
(ग) क्या सरकार औद्योगिक दुर्घटनाओं अथवा व्यावसायिक खतरों के कारण मरने वाले लाभार्थियों के आश्रितों को मासिक पेंशन की सुविधा भी प्रदान कर रही है;
(घ) क्या सरकार कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत बीमित कर्मचारियों और उनके आश्रितों को चिकित्सा सहायक, उपचार, दवाइयां, इंजेक्शन, विशेषज्ञ परामर्श और अस्पताल में भर्ती जैसी पूर्ण चिकित्सा सुविधा प्रदान कर रही है; और
(ड.) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम बीमित सदस्यों को प्रतिरक्षण और परिवार कल्याण सेवाएं प्रदान कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ङ): कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी), कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अनुसार परिवार के सदस्यों सहित, उनकी पात्रता के अनुसार देश में अपने अधिसूचित क्षेत्रों में स्थित कारखानों/प्रतिष्ठानों के बीमित कर्मचारियों को संपूर्ण चिकित्सा देखभाल और नकद लाभ के रूप में व्यापक सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करता है। यह अधिनियम दस या उससे अधिक कर्मचारियों वाले कारखानों और प्रतिष्ठानों पर लागू होता है, जो 21000 रुपए (निःशक्त व्यक्तियों के लिए 25,000 रुपए) तक का वेतन आहरित करते हैं।

ईएसआई अधिनियम के तहत उपबंधों के अनुसार, ईएसआई योजना के तहत लाभों में चिकित्सा लाभ, रुग्णता लाभ, प्रसूति प्रसुविधा, निःशक्तता लाभ, आश्रित लाभ और अंतिम संस्कार पर खर्च शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, ईएसआई निगम रोजगारजन्य चोट के कारण मृत्यु होने पर बीमित व्यक्ति के आश्रितों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ईएसआई निगम बीमित व्यक्तियों के आश्रितों को जीवन पर्यंत या पुनर्विवाह होने तक मासिक नकद राहत प्रदान करता है। यदि कोई बीमित व्यक्ति को किसी रोजगारजन्य चोट/व्यावसायिक रुग्णता के कारण निःशक्त हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप उसके कमाने की क्षमता को स्थायी, आंशिक या पूर्ण रूप से हानि होती है, तो उपार्जन क्षमता की हानि के आधार पर आवधिक नकद भुगतान किया जाता है।

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (ईपीएफ एंड एमपी अधिनियम, 1952) के अंतर्गत कवर किए गए कर्मचारियों को पात्रता के अनुसार कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) 1995 के तहत पेंशन का प्रावधान उपलब्ध है।

ईएसआईसी राष्ट्रीय प्रतिरक्षण (इम्यूनाइजेशन) नीति का पालन करता है। तदनुसार, ईएसआईसी द्वारा बीमित व्यक्तियों के लिए किसी भी महामारी के प्रकोप के दौरान चयनात्मक प्रतिरक्षण सहित प्रतिरक्षण कार्यक्रम, अस्पतालों और औषधालयों के अपने नेटवर्क के माध्यम से चलाए जाते हैं। ईएसआईसी केंद्र सरकार के विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में भी भाग लेता है।

वर्ष 2021-22 के दौरान, बैसिल कैलमेट-गुएरिन (बीसीजी), खसरा, डिप्थीरिया-पर्टुसिस-टेटनस (डीपीटी) और पोलियो से संबंधित कुल 100459 लाभार्थियों का प्रतिरक्षण किया गया।

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 4321

सोमवार, 27 मार्च, 2023/6 चैत्र, 1945 (शक)

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लाभार्थी

4321. श्री बैन्नी बेहननः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) के लाभार्थियों का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत कुल बजटीय आबंटन तथा एमएसएमई पर व्यय की गई धनराशि के प्रतिशत का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत कुल आबंटन में से कुल कितना बजटीय व्यय किया गया है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) के अंतर्गत लाभार्थियों का क्षेत्र/उद्योग-वार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

एबीआरवाई के तहत प्रतिष्ठानों के आंकड़ों में एमएसएमई के ब्यौरे अलग से नहीं रखे जाते हैं। इस योजना के तहत कुल बजटीय आवंटन एवं कुल व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है:-

वित्तीय वर्ष	बजट आवंटन (करोड़ रुपये में)	व्यय (करोड़ रुपये में)
2020-21	1,000	405
2021-22	3,130	4,180
2022-23	6,400	4,536*

* दिनांक 22.03.2023 तक

*****

दिनांक लोक सभा के दिनांक 27.03.2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4321 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

एबीआरवाई लाभार्थियों की संख्या (उद्योग-वार) (18.03.2023 तक)

क्र.सं.	उद्योग/क्षेत्र	लाभार्थी कर्मचारियों की संख्या
1	सोडा वाटर	2,816
2	अगरबत्ती	4,711
3	कृषि फार्म	9,451
4	अपरटाईट खान	4
5	आर्किटेक्ट्स	1,665
6	एस्बेस्टोस	391
7	एस्बेस्टस सीमेंट चादर	1,103
8	अभ्रक खान	56
9	अटार्नी	141
10	ऑटोमोबाइल सर्विसिंग	50,160
11	बॉल क्ले माइन्स	17
12	राष्ट्रीयकृत बैंकों के अलावा अन्य बैंक।	7,582
13	बेराइट्स / डोलोमाइट / फायरक्ले आदि खानें	0
14	बैराइट्स खान	11
15	बॉक्साइट खान	58
16	बीड़ी उत्पादन	18,994
17	बीयर एमएफजी	710
18	बिस्किट बनाना	11,957
19	हड्डी का चूरा	146
20	बॉटनिकल गार्डन्स	421
21	ब्रेड	6,572
22	ईंटें	8,441
23	ब्रश	487
24	भवन और निर्माण उद्योग	2,23,668
25	बटन	152
26	केल्साइट खान	89
27	गन्ने के खेत	68
28	कैंटीन	15,451
29	इलायची के बागान	230
30	काजू	5,743
31	मवेशी चारा उद्योग	8,175
32	सीमेंट	3,388
33	चार्टर्ड या पंजीकृत एकाउंटेंट	2,194
34	चीन मिट्टी की खदान	58
35	क्रोमाइट खान	1,020
36	सिगरेट	138
37	सिनकोना बागान	0

38	5 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले सिनेमा थिएटर	112
39	पूर्वावलोकन थिएटर सहित सिनेमा	725
40	कॉफी शोधन	180
41	कॉफी बागान	181
42	कॉयर	1,276
43	कॉलेज	18,095
44	जीवन बीमा, वार्षिकी आदि की पेशकश करने वाली कंपनियां।	5,248
45	प्रदर्शन के लिए कंपनियां/सोसाइटियां/संस्थान/क्लब/मंडलियां	11,884
46	हलवाई की दुकान	18,414
47	कोरंडम खान	29
48	लागत - कार्य लेखाकार	795
49	कपास की कटाई	10,096
50	मिट्टी के बरतन	1,259
51	दाल मिल	1,557
52	हीरा की कटाई	13,125
53	हीरे की खान	43
54	डायमंड सॉ मिल्स	82
55	आसवन - स्प्रिट्स की शुद्धि	1,742
56	फिल्म वितरण	305
57	डोलोमाइट खान	130
58	खाद्य तेल - वसा	7,774
59	इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या जनरल इंजीनियरिंग उत्पाद	2,73,099
60	इलेक्ट्रिक पोर्सिलेन इंसुलेटर	2,094
61	बिजली (जी, टी, डी)	7,642
62	निजी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कंपनियां	6,625
63	पन्ना खान	225
64	इंजीनियर्स – इंजीनियर ठेकेदार	2,87,514
65	निर्माण, मार्केटिंग सर्विसिंग, कंप्यूटर के उपयोग में लगे प्रतिष्ठान	99,556
66	निर्माण, रखरखाव, संचालन हेतु रेलवे में लगे प्रतिष्ठान	8,605
67	सफाई, सफाई सेवाओं में लगे प्रतिष्ठान	1,53,139
68	कूरियर सेवा प्रदान करने में लगे प्रतिष्ठान	20,552
69	विमान या एयरलाइंस के प्रतिष्ठान	176
70	विशेषज्ञ सेवाएं	21,46,625
71	विस्फोटक	2,653
72	फेल्डस्पार खान	118
73	फेरो क्रोम	1,698
74	फेरो मैंगनीज	381
75	फिल्म प्रक्रिया-प्रयोगशालाएं	250
76	फिल्म निर्माण सबंधी	983
77	फिल्म स्टूडियो	101
78	वित्तीय प्रतिष्ठान	1,49,087
79	फायर वर्क्स	2,088
80	फायरक्ले खान	167
81	मछली प्रक्रिया और मांसाहारी खाद्य संरक्षण	16,584
82	फ्लेवराइट खान	420

83	आटा मिल	4,965
84	अग्रेषण अभिकरण	7,878
85	फलों के बगान	420
86	फल – संरक्षण सब्जी	8,924
87	गारमेंट्स बनाना	2,74,485
88	गौर गम की फैक्ट्रियां	223
89	सामान्य बीमा	7,255
90	काँच	7,355
91	ग्लू और जिलेटिन फैक्ट्रियां	56
92	सोने की खदान	672
93	ग्रेफाइट खान	41
94	जिप्सम खान	44
95	भारी - बढ़िया रसायन	54,656
96	अस्पताल	1,41,321
97	होटल	51,042
98	बर्फ या आइसक्रीम	1,372
99	इंडिगो	1,518
100	आईएनडीएल - पावर अल्कोहल	323
101	इंडोलियम	960
102	अंतर्देशीय जल परिवहन	598
103	लोहा और इस्पात	60,417
104	लौह अयस्क खान	778
105	लौह अयस्क छर्रे	1,075
106	जूट	1,945
107	जूट बेलना	178
108	कत्था बनाना	265
109	ज्ञान या प्रशिक्षण संस्थान	10,532
110	कायनाइट खान	20
111	एलएसी / शैलैक	78
112	लॉन्ड्री - लॉन्ड्री सेवाएं	1,486
113	चर्म उत्पाद	52,049
114	लिग्नाइट खान	202
115	चूना पत्थर की खदान	681
116	लिनोलियम	19
117	लॉजिंग हाउस, सर्विस अपार्टमेंट, कॉन्डोमिनियम	7,076
118	मैग्नेसाइट खान	198
119	मैंगनीज खान	65
120	मार्बल माइन्स	429
121	माचिस	1,170
122	मैडिकल चिकित्सक	12,094
123	भोजनालय	548
124	अभ्रक खान	82
125	अभ्रक खान - अभ्रक उद्योग	793
126	दूध उत्पाद	12,560
127	खनिज तेल शोधन	460
128		

129	नगर परिषद/निगम	4,378
130	मायरोबलन - वनस्पति टेनिंग	156
131	समाचार पत्र प्रतिष्ठान	1,007
132	खाद्य तेल / वसा	1,933
133	अलौह धातु और मिश्र धातु	19,514
134	गेरू खान	705
135	अन्य	2,05,956
136	पेंट्स - वार्निश	11,574
137	कागज़	7,377
138	कागज उत्पादन	19,360
139	काली मिर्च के पौधे	29
140	पेट्रोलियम / प्राकृतिक गैस उत्पादन	2,571
141	पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस रिफाइनिंग	2,659
142	पिकर	1,174
143	प्लास्टिक उत्पाद	79,743
144	प्लाईवुड	12,237
145	मुर्गी पालन	15,852
146	मुद्रण	14,768
147	निजी हवाई अड्डे और संयुक्त उद्यम हवाई अड्डे	13
148	लकड़ी का प्रसंस्करण और उपचार	1,956
149	क्वार्टसाइट खान	8
150	क्वार्ट्ज खान	3,090
151	रेलवे बुकिंग एजेंसियां	17
152	रीफ्रैक्टरीज	4,775
153	शोध संस्था	2,670
154	रेस्टोरेंट	42,485
155	राइस मिल	9,457
156	सड़क मोटर परिवहन	38,039
157	रबर बागान	513
158	रबर उत्पाद	36,899
159	नमक	620
160	सेनेटरी वेयर	3,152
161	सॉ मिल्स	961
162	विद्यालय	63,218
163	वैज्ञानिक संस्थान	623
164	सिलिका (रेत) खान	191
165	सिलीमिनाईट खान	92
166	सोप स्टोन खदान	776
167	सोसायटी / क्लब / संघ	3,807
168	सोसायटी क्लब या संघ	21,617
169	कॉटन वेस्ट की छंटाई / सफाई / टीजिंग	1,760
170	स्टार्च	951
171	स्टेशनरी उत्पाद	2,288
172	स्टीटाइट खान	135
173	पौधारोपन तम्बाकू के पत्तों को फिर से सुखाना	24
174	स्टीवडोरिंग, लोडिंग-अनलोडिंग जहाज	4,923

175	चिप्स बनाने वालों आदि के लिए पत्थर की खदान	1,272
176	रूफ-फ्लोर स्लैब आदि के लिए पत्थर की खदान	1,718
177	पत्थर के जार	356
178	स्टोनवेयर पाइप्स	561
179	पेट्रोल/प्राकृतिक गैस का भंडारण, परिवहन या वितरण	7,224
180	चीनी	7,519
181	चाय	4,732
182	चाय उगाना	2,838
183	टेंट बनाना	566
184	कपड़ा	4,66,520
185	ड्रामेटिक प्रदर्शन वाले थिएटर	434
186	टाइल्स	3,481
187	तंबाकू उद्योग	1,524
188	व्यापार - वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	4,32,764
189	ट्रैवल एजेंसी	11,337
190	विश्वविद्यालय	3,929
191	विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल, आदि	29,918
192	वाइंडिंग थ्रेड यार्न रीलिंग	7,481
193	लकड़ी संरक्षण संयंत्र	174
194	लकड़ी मसाला भट्टियां	3,232
195	लकड़ी की कार्यशाला	10,914
196	प्राणि उद्यान	337

स्रोतः ईपीएफओ, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5081

सोमवार, 03 अप्रैल, 2023/13 चैत्र, 1945 (शक)

ईपीएफओ अंशदाता

5081. डॉ. मनोज राजोरिया:
श्रीमती केशरी देवी पटेल:
श्रीमती रंजीता कोली:
श्री सुमेधानन्द सरस्वतीः
डॉ. चंद्र सेन जादौन:
डॉ. संघमित्रा मौर्य:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के कितने अंशदाता हैं;

(ख) क्या सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत पंजीकृत किसी संगठन के प्रत्येक कर्मचारी के लिए एक यूएएन नंबर प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने वाले संगठनों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त कंपनियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कर्मचारी भविष्य निधि में नियमित रूप से योगदान करने वाले कर्मचारियों की राज्य-वार, विशेष कर उत्तर प्रदेश के फूलपुर, फिरोजाबाद और बदायूं संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में कुल संख्या कितनी है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क): उन सदस्यों की कुल संख्या 5,92,92,900 है जिनके लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष के किसी भी वेतन माह (मार्च, 2022 से फरवरी, 2023 तक वेतन माह) के संबंध में अंशदान प्राप्त किया गया है और दिनांक 22.03.2023 की स्थिति के अनुसार बाहर नहीं निकले हैं।

(ख): जी हां। कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) खातों को सुवाह्य बनाने के लिए, ईपीएफओ ने वर्ष 2014 में सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) की सुविधा शुरू की। यूएएन एक विशिष्ट संख्या है जो उन ईपीएफओ सदस्यों को आवंटित की जाती है जो अपने ईपीएफ में अंशदान करते हैं। यूएएन प्रत्येक कर्मचारी के लिए

एक अनिवार्य अपेक्षा है। व्यक्तिगत ईपीएफ सदस्यों के लिए सभी निकासी और अग्रिमों के अन्य भुगतान संबंधित व्यक्तिग के यूएएन के अनुसार विनियमित होते हैं।

(ग) और (घ): कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध (ईपीएफ और एमपी) अधिनियम, 1952 के तहत कवर किए गए प्रतिष्ठानों के नियोक्ताओं से अपेक्षित है कि वे अपने सभी पात्र कर्मचारियों के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक चालान-सह-विवरणी (ईसीआर) दाखिल करें और वेतन माह के समापन के 15 दिनों के भीतर देय राशि का भुगतान करें। ईसीआर न भरने की स्थिति में, नियोक्ताओं को एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से देय राशि भेजने के लिए सतर्क किया जाता है और यदि अनुपालन नहीं किया जाता है, तो प्रतिष्ठानों के अभिलेखों का निरीक्षण करने, कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध (ईपीएफ और एमपी) अधिनियम, 1952 की धारा 7क के तहत अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया द्वारा चूक की राशि का आकलन करने और आंकलित बकाया राशि की वसूली के लिए कार्रवाई की जाती है। वित्तीय वर्ष (वित्तीय वर्ष) 2021-22 के दौरान अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए चूककर्ताओं के विरुद्ध की गई कार्रवाई का विवरण निम्नानुसार है:

कार्रवाई का ब्योरा	कुल मामले	वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान निपटाए/निर्णीत मामले
(1)	(2)	(3)
धारा 7ए के तहत पूछताछ: विवादों के मामले में कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध (ईपीएफ और एमपी) अधिनियम की प्रयोज्यता तय करने या उक्त अधिनियम के उपबंधों के तहत किसी नियोक्ता से बकाया राशि के निर्धारण के लिए।	16,849	6,797
धारा 14बी के तहत पूछताछ: अंशदानों के विलंबित प्रेषण के लिए दंड के रूप में हर्जाना लगाना।	59,912	40,765
धारा 14 के तहत कार्रवाई: समुचित न्यायालयों के समक्ष चूककर्ता नियोक्ताओं के विरुद्ध अभियोजन दायर करना।	27,016	3,386

(ङ): उन सदस्यों की कुल संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्योरा [उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद, बदायूं और प्रयागराज (केवल फूलपुर) जिलों के ब्योरे सहित] जिनके लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष के किसी भी वेतन माह (मार्च, 2022 से फरवरी, 2023 तक के मजदूरी महीने) के संबंध में अंशदान प्राप्त हुआ है और दिनांक 22.03.2023 की स्थिति के अनुसार बाहर नहीं हुए हैं, अनुबंध में दिया गया है।

* *****

'ई.पी.एफ.ओ. अंशदाता' के संबंध में डॉ. मनोज राजोरिया, श्रीमती केशरी देवी पटेल, श्रीमती रंजीता कोली, श्री सुमेधानन्द सरस्वती, डॉ. चन्द्र सेन जादौन, डॉ. संघमित्रा मौर्य द्वारा पूछे गए दिनांक 03.04.2023 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 5081 के भाग (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

उन सदस्यों की कुल संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्योरा [उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद, बदायूं और प्रयागराज (केवल फूलपुर) जिलों के ब्योरे सहित] जिनके लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष के किसी भी वेतन माह (मार्च, 2022 से फरवरी, 2023 तक के मजदूरी महीने) के संबंध में अंशदान प्राप्त हुआ है और दिनांक 22.03.2023 की स्थिति के अनुसार बाहर नहीं हुए हैं।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सदस्यों की संख्या
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	20,456
आंध्र प्रदेश	14,81,255
अरुणाचल प्रदेश	11,135
असम	3,50,456
बिहार	11,40,146
चंडीगढ़	5,85,067
छत्तीसगढ	6,24,940
दिल्ली	37,88,071
गोवा	2,50,291
गुजरात	43,57,096
हरियाणा	34,45,706
हिमाचल प्रदेश	4,25,602
जम्मू और कश्मीर	1,95,440
झारखंड	6,20,249
कर्नाटक	68,51,984
केरल	12,33,577
लद्दाख	2,135
मध्य प्रदेश	14,37,252
महाराष्ट्र	1,18,04,749
मणिपुर	17,184
मेघालय	37,338
मिजोरम	4,275
नागालैंड	11,424
ओडिशा	10,32,765
पंजाब	8,19,345
राजस्थान	16,54,996
सिक्किम	30,608
तमिलनाडु	65,30,722
तेलंगाना	37,80,706
त्रिपुरा	34,983
उत्तर प्रदेश	30,53,984 फिरोजाबाद (17,537), बदायूं (4,663) और प्रयागराज (केवल फूलपुर)(61)
उत्तराखंड	7,09,642
पश्चिम बंगाल	29,49,321
कुल	**5,92,92,900**

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5197

सोमवार, 03 अप्रैल, 2023/13 चैत्र, 1945 (शक)

कुशल और अर्ध-कुशल श्रमिक

5197. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर महाराष्ट्र में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में काम कर रहे कुशल और अर्ध-कुशल श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत आवास, बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा सुविधा, पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है; और

(ग) यदि हां, तो महाराष्ट्र राज्य में विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितने श्रमिक लाभान्वित हुए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): पीएलएफएस रिपोर्ट 2021-2022 के अनुसार, महाराष्ट्र सहित राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के लिए काम के उद्योग (राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनआईसी) 2008 के उद्योग वर्ग) द्वारा आमतौर पर कामकाजी व्यक्तियों (पीएस+एसएस) जिसमें अन्यों के साथ-साथ कुशल और अकुशल कामगार शामिल हैं का प्रतिशत वितरण अनुबंध-I में दिया गया है।

केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के माध्यम से कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है।

राजस्थान राज्य के लाभार्थियों सहित संगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की योजनाओं द्वारा स्वास्थ्य सुविधाएं और पेंशन प्रदान की जाती हैं, जो लाभार्थियों द्वारा पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। ईएसआई लाभार्थियों का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है। असंगठित कामगारों के लिए वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने असंगठित कामगारों के लिए प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) नामक एक पेंशन योजना भी शुरू की है। पीएम-एसवाईएम के तहत नामांकन का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-III** पर दिया गया है। सरकार बीड़ी/सिने/माइका/चूना पत्थर और डोलोमाइट खान (एलएसडीएम)/मैंगनीज अयस्क और क्रोम अयस्क खान (आईओएमसी) कामगारों और उनके आश्रितों को स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं भी प्रदान करती है। कुछ गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

*** ******

अनुबंध-I

'कुशल और अर्ध-कुशल श्रमिक' के संबंध में श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे द्वारा पूछे गए दिनांक 03.04.2023 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 5197 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

तालिका **(27):** प्रत्येक राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र के लिए काम के उद्योग (एनआईसी-**2008** के उद्योग वर्ग) द्वारा आम तौर पर कामकाजी व्यक्तियों का प्रतिशत वितरण (पीएस+एसएस)																						
ग्रामीण+शहरी	व्यक्ति																					
									एनआईसी-**2008** के उद्योग वर्ग													
राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ञ	ट	ठ	ड	ढ	ण	त	थ	द	ध	न	प	सभी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
आंध्र प्रदेश	44.23	0.54	11.41	0.33	0.30	11.18	9.25	5.41	1.81	2.42	0.97	0.19	0.56	0.95	2.80	2.55	1.53	0.31	2.47	0.78	-	100.00
अरुणाचल प्रदेश	59.40	0.11	1.45	1.50	0.26	5.46	10.42	2.29	0.44	0.14	0.08	0.00	0.53	0.27	7.72	6.84	2.10	0.01	0.38	0.61	-	100.00
असम	44.23	0.27	8.83	0.17	0.16	12.15	15.14	4.30	1.61	0.22	0.66	0.08	0.27	0.98	0.93	4.98	0.79	0.17	1.71	2.34	-	100.00
बिहार	47.64	0.13	6.82	0.21	0.27	18.64	11.15	4.04	1.98	0.49	0.58	0.07	0.27	1.26	0.29	2.43	0.62	0.17	2.24	0.69	-	100.00
छत्तीसगढ	65.01	0.53	5.05	0.49	0.08	10.30	6.01	1.79	1.01	0.29	0.33	0.09	0.40	0.63	1.33	2.92	1.56	0.14	1.16	0.89	-	100.00
दिल्ली	1.89	0.00	22.78	0.25	0.45	9.26	24.88	6.21	3.00	3.74	1.36	1.39	1.65	3.91	5.82	3.57	1.52	0.63	2.67	5.00	-	100.00
गोवा	6.52	1.74	17.45	0.58	0.85	6.83	20.13	9.67	11.97	1.20	2.13	0.22	1.23	1.32	6.09	3.57	2.50	1.33	2.44	2.23	-	100.00
गुजरात	41.22	0.20	24.23	0.32	0.11	6.70	10.33	4.29	1.36	0.66	1.30	0.12	0.62	0.96	1.67	1.75	1.59	0.09	1.59	0.88	-	100.00
हरियाणा	30.05	0.12	16.58	0.39	0.64	13.91	13.50	5.30	1.05	0.90	1.70	0.19	1.02	1.49	2.27	5.24	1.52	0.32	3.09	0.73	-	100.00
हिमाचल प्रदेश	57.03	0.20	7.61	0.44	0.34	11.53	5.58	4.09	1.33	0.61	0.55	0.03	0.55	0.49	2.44	4.79	0.92	0.44	0.72	0.32	-	100.00
झारखंड	51.62	1.31	7.68	0.10	0.12	17.80	8.16	4.09	1.44	0.32	0.61	0.27	0.31	0.54	0.59	2.54	0.83	0.02	0.88	0.78	-	100.00
कर्नाटक	45.88	0.26	10.94	0.32	0.26	9.19	10.77	4.68	2.23	3.51	1.55	0.39	1.10	0.82	1.57	2.75	1.14	0.12	1.21	1.31	-	100.00
केरल	23.54	0.15	10.45	0.26	0.34	19.58	13.37	6.44	2.33	2.38	2.35	0.23	1.55	1.61	2.00	4.54	3.78	0.83	2.66	1.58	-	100.00
मध्य प्रदेश	61.15	0.49	6.62	0.35	0.28	11.24	7.77	2.52	1.22	0.47	0.42	0.13	0.40	0.52	1.45	2.20	1.05	0.13	1.05	0.55	-	100.00
महाराष्ट्र	44.70	0.12	12.55	0.32	0.22	6.05	10.39	4.66	1.94	2.45	1.97	0.46	1.18	2.05	1.75	3.06	1.79	0.38	1.92	2.05	-	100.00
मणिपुर	36.13	0.20	12.24	0.04	0.22	8.36	12.24	4.21	0.99	0.31	0.36	0.00	0.87	4.57	8.00	7.60	1.56	0.17	1.26	0.66	-	100.00
मेघालय	42.76	0.91	3.22	1.01	0.57	16.34	9.40	5.78	3.46	0.17	0.46	0.05	0.16	0.39	4.39	5.62	2.06	0.54	2.56	0.17	-	100.00
मिजोरम	40.29	0.27	4.60	0.14	0.34	7.33	16.92	5.96	1.78	0.21	0.58	0.00	0.51	3.74	6.89	7.43	2.15	0.03	0.73	0.10	-	100.00
नागालैंड	45.00	0.35	4.55	1.13	0.12	7.12	10.45	4.89	0.39	0.23	0.54	0.00	1.14	5.43	3.18	10.39	1.82	0.13	3.10	0.05	-	100.00
ओडिशा	45.60	1.10	7.75	0.27	0.03	18.01	10.47	5.20	1.97	0.46	0.57	0.05	0.32	0.78	0.98	3.82	0.78	0.15	1.38	0.32	-	100.00
पंजाब	25.53	0.19	18.18	0.50	0.35	18.07	12.45	3.16	2.55	0.73	0.87	0.29	0.97	1.09	1.27	4.18	1.47	0.28	4.06	3.81	-	100.00
राजस्थान	53.74	0.89	8.41	0.32	0.31	13.42	8.20	3.12	1.11	0.62	0.76	0.07	0.43	0.98	1.09	2.68	1.36	0.12	1.64	0.72	-	100.00
सिक्किम	39.59	0.00	4.18	0.37	0.10	13.28	6.29	7.81	2.71	0.04	0.27	0.00	0.07	0.32	17.98	3.83	1.52	0.36	1.27	0.01	-	100.00
तमिलनाडु	30.96	0.20	17.41	0.32	0.54	16.46	10.20	5.45	2.96	3.10	1.74	0.20	0.94	0.80	1.25	2.94	1.35	0.23	1.82	1.12	-	100.00

तेलंगाना	50.65	0.19	12.00	0.35	0.39	7.73	8.66	4.45	1.21	3.22	1.33	0.53	0.63	0.85	1.85	2.04	0.96	0.17	1.38	1.39	-	100.00
त्रिपुरा	31.37	0.10	5.68	0.11	0.06	22.01	14.31	7.18	1.33	0.13	0.52	0.02	0.58	2.51	2.92	5.82	1.75	0.10	1.98	1.52	-	100.00
उत्तराखंड	41.36	0.13	9.96	0.36	0.06	11.78	12.51	4.87	3.71	0.51	0.57	0.09	0.76	1.86	1.98	5.15	1.60	0.10	1.73	0.92	-	100.00
उत्तर प्रदेश	54.63	0.04	8.34	0.18	0.27	13.52	10.14	3.10	1.17	0.39	0.44	0.14	0.47	0.79	0.87	2.20	0.80	0.22	1.87	0.42	-	100.00
पश्चिम बंगाल	36.36	0.31	16.58	0.15	0.23	11.46	11.84	6.51	2.04	0.72	1.19	0.07	0.52	0.94	1.31	3.49	1.27	0.27	1.45	3.26	-	100.00
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	31.31	0.00	4.09	0.79	0.48	16.24	10.59	6.62	2.85	0.66	0.87	0.00	1.79	3.40	9.31	3.90	2.76	0.00	1.03	3.32	-	100.00
चंडीगढ़	0.81	0.00	12.63	0.61	0.53	11.75	21.57	5.54	6.17	1.62	1.70	0.42	3.23	1.77	11.31	5.67	2.99	0.22	5.16	6.31	-	100.00
दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	21.48	0.00	57.08	0.04	0.00	1.53	4.25	2.70	3.92	0.29	0.37	0.15	0.55	0.82	1.01	1.24	0.61	0.14	1.83	2.00	-	100.00
जम्मू और कश्मीर	40.84	0.10	8.87	0.37	0.72	18.23	11.10	4.69	1.63	0.28	0.77	0.10	0.35	0.34	4.57	4.32	1.30	0.05	1.21	0.17	-	100.00
लद्दाख	36.04	0.00	2.39	0.03	0.55	23.34	4.48	10.81	0.56	0.04	0.42	0.00	0.08	1.27	7.56	5.80	5.96	0.30	0.11	0.27	-	100.00
लक्षद्वीप	15.90	0.00	9.71	1.90	0.00	13.41	5.34	12.90	5.12	0.56	0.00	0.00	2.31	2.10	15.25	6.57	3.83	0.81	4.30	0.00	-	100.00
पुदुचेरी	18.74	0.41	15.57	0.34	0.01	10.30	15.52	4.17	2.72	4.31	1.20	0.21	1.96	1.29	6.76	5.78	5.52	0.58	2.25	2.34	-	100.00
अखिल भारत	45.46	0.33	11.57	0.28	0.27	12.43	10.35	4.34	1.75	1.29	1.04	.020	0.66	1.05	1.50	2.95	1.29	0.23	1.76	1.25	-	100.00

टिप्पणी: 1. उद्योग वर्ग का ब्यौरा एनआईसी-**2008**

वर्ग क: कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन, वर्ग ख: खनन और उत्खनन, वर्ग ग: विनिर्माण, वर्ग घ: बिजली, गैस, भाप और एयर कंडीशनिंग आपूर्ति
वर्ग ङ: जल आपूर्ति; सीवरेज, अपशिष्ट प्रबंधन और उपचारात्मक गतिविधियां, वर्ग च: निर्माण, वर्ग छ: थोक और खुदरा व्यापार; मोटर वाहनों और मोटरसाइकिलों की मरम्मत, वर्ग ज: परिवहन और भंडारण, वर्ग झ: आवास और खाद्य सेवा गतिविधियाँ, वर्ग ञ: सूचना और संचार, अनुभाग ट: वित्तीय और बीमा गतिविधियाँ, वर्ग ठ: रियल एस्टेट गतिविधियाँ, वर्ग ड: व्यावसायिक, वैज्ञानिक और तकनीकी गतिविधियाँ, वर्ग ढ: प्रशासनिक और सहायक सेवा गतिविधियाँ, वर्ग ण: लोक प्रशासन और रक्षा; अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा, वर्ग त: शिक्षा, वर्ग थ: मानव स्वास्थ्य और सामाजिक कार्य गतिविधियां, वर्ग द: कला, मनोरंजन और मनोरंजन, वर्ग ध: अन्य सेवा गतिविधियां। वर्ग न: नियोक्ता के रूप में घरों की गतिविधियां; स्वयं के उपयोग के लिए घरों की गतिविधियों का उत्पादन करने वाली अविभेदित वस्तुएं और सेवाएं, वर्ग प: बाह्य-क्षेत्रीय संगठनों और निकायों की गतिविधियां

टिप्पणी 2: '-' संबंधित वर्ग में कोई नमूना प्रेक्षण नहीं दर्शाया गया है

अनुबंध-II

'कुशल और अर्ध-कुशल श्रमिक' के संबंध में श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे द्वारा पूछे गए दिनांक 03.04.2023 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 5197 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

ईएसआई योजना के तहत लाभार्थियों की राज्यवार संख्या

(दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार)

राज्य	**लाभार्थी**		
	2019-20	**2020-21**	**2021-22**
आंध्र प्रदेश	5065689	4927329	4723590
असम	1234034	1245053	1014504
अरुणाचल प्रदेश			1824
मेघालय			55756
नागालैंड			13580
त्रिपुरा			62041
मणिपुर			10515
मिजोरम			5859
बिहार	1317376	1345053	1392842
चंडीगढ़ (यूटी)	651258	560311	505176
छत्तीसगढ	1950476	2035603	1966190
दिल्ली	6193839	5869431	5153882
गोवा	811968	838546	669882
गुजरात और दादर और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	6682485	6925179	6087332
हरियाणा	9335668	9741749	8999738
हिमाचल प्रदेश	1350783	1423611	1343101
जम्मू और कश्मीर और लद्दाख	517747	528417	477085
झारखंड	1731489	1693892	1651406
कर्नाटक	13525175	12782494	11497293
केरल और लक्षद्वीप	4171039	3994964	3667609
मध्य प्रदेश	4052427	4134838	3751960
महाराष्ट्र	18230646	18148244	15483101
ओडिशा	2876593	2923968	2877253
पुदुचेरी	456637	446510	405538
पंजाब	4589614	4903195	4719749
राजस्थान	5528923	5571456	5185154
सिक्किम	108562	109067	109959
तमिलनाडु	15402396	14847208	13814002
तेलंगाना	7121197	6911793	6068824
उत्तर प्रदेश	9499481	9717033	9178373
उत्तराखंड	2498953	2559403	2345693
पश्चिम बंगाल	7574807	7421780	7121003
कुल	132479262	131606127	120359814

अनुबंध-III

'कुशल और अर्ध-कुशल श्रमिक' के संबंध में श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे द्वारा पूछे गए दिनांक 03.04.2023 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 5197 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) योजना के तहत पिछले तीन वर्षों का वर्ष-वार नामांकन निम्नानुसार है

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के नाम	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	कुल
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	1033	822	277	167	2299
2.	आंध्र प्रदेश	37444	107248	6201	843	151736
3.	अरुणाचल प्रदेश	810	1589	77	21	2497
4.	असम	9634	7563	3876	3781	24854
5.	बिहार	104887	74782	16924	7000	203593
6.	चंडीगढ़	974	3738	361	35	4276
7.	छत्तीसगढ	92631	111930	3857	2012	210430
8.	दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	953	575	37	9	1574
9.	दिल्ली	4791	2711	608	1312	9422
10.	गोवा	212	728	35	24	999
11.	गुजरात	335279	31407	2050	1666	370402
12.	हरियाणा	562199	314740	26049	9576	820407
13.	हिमाचल प्रदेश	14355	26033	1362	460	42210
14.	जम्मू और कश्मीर	36735	27056	6643	1490	71924
15.	झारखंड	97735	29266	2326	1192	130519
16.	कर्नाटक	39351	51925	8769	10592	110637
17.	केरल	7027	2398	1136	1447	12008
18.	लद्दाख	889	563	10	6	1468
19.	लक्षद्वीप	21	0	0	0	21
20.	मध्य प्रदेश	80101	39089	5139	4537	128866
21.	महाराष्ट्र	527226	61984	9541	4531	593128
22.	मणिपुर	2350	1310	237	283	4180
23.	मेघालय	916	1162	811	271	3160
24.	मिजोरम	436	120	58	45	659
25.	नागालैंड	1432	2547	739	86	4804
26.	ओडिशा	104847	50621	9107	6361	170936
27.	पुदुचेरी	851	322	82	40	1295
28.	पंजाब	21915	9891	1718	1328	34852
29.	राजस्थान	61907	216675	3303	1832	104412
30.	सिक्किम	61	43	21	16	141
31.	तमिलनाडु	40730	14016	2381	1389	58516
32.	तेलंगाना	19438	18455	2612	1449	41954
33.	त्रिपुरा	13680	12184	3113	924	29901
34.	उत्तर प्रदेश	466310	349720	38701	11423	641999
35.	उत्तराखंड	18629	14622	1291	390	34932
36.	पश्चिम बंगाल	35920	24055	12559	15692	88226
कुल		27,43,709	11,05,287	1,72,011	92,230	41,13,237

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 369

गुरुवार, 06 अप्रैल, 2023/16 चैत्र, 1945 (शक)

ईपीएफ पेंशनभोगियों द्वारा उच्च पेंशन के लिए संयुक्त विकल्प प्रस्तुत किया जाना

***369. डा. जॉन ब्रिटास:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उच्च पेंशन हेतु संयुक्त विकल्प प्रस्तुत करने के लिए ईपीएफओ द्वारा शुरू किए गए एकीकृत पोर्टल में अव्यावहारिक आवश्यकताओं और जटिल प्रक्रिया की आलोचना पर ध्यान दिया है;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय के निर्णय में कोई अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए नहीं, बल्कि नया संयुक्त विकल्प प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है;

(ग) क्या सरकार किसी अन्य दस्तावेज पर जोर दिए बिना ईपीएफ पेंशनभोगियों को सीधे ऑफलाइन संयुक्त विकल्प करने की अनुमति देगी;

(घ) क्या सरकार ईपीएफ योजना के पैरा 26(6) के अनुसार वास्तविक वेतन पर उच्च अंशदान शुरू करते समय कथित रूप से दिए जाने वाले संयुक्त विकल्प के प्रमाण को अपलोड करने के लिए पोर्टल में निर्धारित शर्त को वापस लेगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री

(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*

*****

"ईपीएफ पेंशनभोगियों द्वारा उच्च पेंशन के लिए संयुक्त विकल्प प्रस्तुत किया जाना" के संबंध में डा. जॉन ब्रिटास, माननीय सांसद, द्वारा दिनांक 06.04.2023 को पूछे जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 369 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (ङ): माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 04.11.2022 के निर्णय के पैरा 44(v) और (vi) के साथ पठित पैरा 44(ix) में निहित निर्देशों के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा दिनांक 29.12.2022 को उन पेंशनभोगियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे, जो दिनांक 01.09.2014 से पहले सेवानिवृत्त हो गए थे एवं उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति से पहले वेतन सीमा से अधिक वेतन पर पेंशन निधि में अंशदान करने के लिए संयुक्त विकल्प का प्रयोग किया था परंतु उनके संयुक्त विकल्पों को ईपीएफओ द्वारा अस्वीकार (कट-ऑफ डेट के कारण) कर दिया गया था। संयुक्त विकल्प दिनांक 03.03.2023 को या उससे पहले दायर किए जाने थे। अब इसकी तारीख बढ़ाकर 03.05.2023 कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 04.11.2022 के निर्णय के पैरा 44(v) के साथ पठित पैरा 44(iii) और 44(iv) में निहित निर्देशों के अनुसार ईपीएफओ द्वारा दिनांक 20.02.2023 को उन कर्मचारियों द्वारा ऑनलाइन संयुक्त विकल्प दाखिल करने के निर्देश जारी किए गए हैं, जो दिनांक 01.09.2014 से पहले सेवा में थे और 01.09.2014 को या उसके बाद सेवा में बने रहे परंतु कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के पैरा 11(3) के पूर्व परंतुक के अंतर्गत संयुक्त विकल्प का प्रयोग नहीं कर सके। संयुक्त विकल्प दिनांक 03.05.2023 को या उससे पहले दायर किया जा सकता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय में निहित निर्देशों के अनुसार उच्चतर पेंशन के लिए कर्मचारियों/ पेंशनभोगियों की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए ईपीएफओ द्वारा अपेक्षित कतिपय दस्तावेजों को ऑनलाइन विकल्प फॉर्म में दाखिल करने की आवश्यकता होती है।

एकीकृत पोर्टल में, उच्चतर पेंशन के लिए संयुक्त विकल्प प्रस्तुत करने की प्रक्रिया सरल और समझने में आसान है और इसमें कर्मचारी भविष्य निधि योजना (ईपीएफ), 1952 और ईपीएस, 1995 के प्रावधानों के अनुसार सरल अपेक्षाएं शामिल हैं। सदस्यों और पेंशनभोगियों की सुविधा के लिए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने इन ऑनलाइन प्रपत्रों को भरने में आवेदकों की सहायता के लिए पूरे भारत में स्थित अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दिया है।

कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 26(6) के अंतर्गत संयुक्त विकल्प एक आवश्यकता है जो ईपीएस, 1995 से पहले की है। यह ईपीएफ योजना, 1952 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक है। हालांकि, इस अपेक्षा के अभाव में कर्मचारियों/ पेंशनरों को आवेदन पत्र/ संयुक्त विकल्प दाखिल करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3930

गुरुवार, 06 अप्रैल, 2023/16 चैत्र, 1945 (शक)

रोजगार की चुनौतियों के समाधान प्रदान करने के लिए विजन दस्तावेज

3930. सुश्री दोला सेन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जी-20 रोजगार कार्य समूह के तहत परिकल्पित रोजगार चुनौतियों के लिए समावेशी, सतत और न्यायसंगत समाधान प्रदान करने से संबंधित कोई विजन दस्तावेज तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने विशेष रूप से बच्चों के लिए सामाजिक सुरक्षा ढांचा को बढ़ाने की तात्कालिकता पर प्रकाश डालने वाली संयुक्त आईएलओ-यूनिसेफ की रिपोर्ट का संज्ञान लिया है;

(घ) यदि हां, तो भारत में बच्चों के लिए सामाजिक सुरक्षा ढांचा का विस्तार करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): भारत ने वर्ष 2023 के लिए जी-20 की क्रमिक अध्यक्षता ली है जो 01 दिसंबर 2022 से आरंभ हुई है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय जी-20 के रोजगार कार्य समूह की बैठकों का संचालन कर रहा है जिसकी परिणति जुलाई 2023 में जी-20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक में होगी। जी-20 रोजगार कार्य समूह के लिए तीन प्राथमिकता वाले क्षेत्र निम्नलिखित है:

क. वैश्विक कौशल अंतरालों का समाधान
ख. गिग एवं प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरक्षण
ग. समाजिक सुरक्षा का निरंतर वित्त पोषण

इन तीन प्राथमिकता वाले मामलों से संबंधित नोट तैयार कर लिए गए हैं और सभी जी-20 देशों को परिचालित किए गए हैं।

(ग) से (ङ.): आईएलओ-यूनिसेफ की संयुक्त रिपोर्ट (बाल श्रम वैश्विक अनुमान 2020) में बाल श्रम को बढ़ावा देने वाली गरीबी और आर्थिक अनिश्चितता को कम करने के लिए बच्चों और उनके परिवारों के लिए सामाजिक संरक्षण प्रदान करने की तत्काल आवश्यकता के रूप में व्यापक नीतिगत अनिवार्यता पर जोर डाला गया है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला परियोजना समितियों के माध्यम से राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) को बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के अंतर्गत 9-14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को बचाया/ कार्य से हटाया जाता है और उन्हें एनसीएलपी विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों (एसटीसी) में नामांकित किया जाता है, जहां उन्हें औपचारिक शिक्षा पद्धति की मुख्यधारा में लाने से पहले समायोजी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मध्याह्न भोजन, वजीफ़ा, स्वास्थ्य देखभाल आदि प्रदान किया जाता है। एनसीएलपी योजना को अब दिनांक 01.04.2021 से समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) योजना में समाहित किया गया है। इसके पश्चात, बचाए गए बाल मजदूरों को एसएसए के तहत एसटीसी परिचालन के माध्यम से औपचारिक शिक्षा पद्धति में मुख्यधारा में लाया जाएगा।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3944

गुरुवार, 06 अप्रैल, 2023 / 16 चैत्र, 1945 (शक)

ईपीएफ पेंशन - उच्च पेंशन विकल्प के लिए समय-सीमा

3944. श्री वाइको:

श्री एम. शनमुगम:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को संबंधित कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उच्चतर पेंशन का विकल्प चुनने में सक्षम बनाने के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का तत्काल अनुपालन करने के लिए कदम उठाने के लिए कोई निर्देश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ईपीएफओ द्वारा कोई परिपत्र जारी किया है और पेंशनभोगियों और कर्मचारियों के लिए उच्च पेंशन विकल्प का प्रयोग करने के लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या 4 मार्च की समय सीमा को देखते हुए इसे बढ़ाया जाएगा, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 04.11.2022 के निर्णय के पैरा 44(v) और (vi) के साथ पठित पैरा 44(ix) में निहित निर्देशों के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा दिनांक 29.12.2022 को उन पेंशनभोगियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे जो दिनांक 01.09.2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे और उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति से पहले वेतन की उच्चतम सीमा से अधिक वेतन पर पेंशन निधि में अंशदान देने के लिए संयुक्त विकल्प का प्रयोग किया था, लेकिन जिनके संयुक्त विकल्पों को ईपीएफओ द्वारा अस्वीकार (अंतिम तारीख के कारण) कर दिया गया था। संयुक्त विकल्प दिनांक 03.03.2023 को या उससे पहले दायर किए जाने थे। अब इस तारीख को बढ़ाकर 03.05.2023 कर दिया गया है।

इसके अलावा, माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 04.11.2022 के निर्णय के पैरा 44(v) के साथ पठित पैरा 44(iii) और पैरा 44 (iv) में निहित निर्देशों के अनुसार, ईपीएफओ द्वारा दिनांक 20.02.2023 को उन कर्मचारियों द्वारा दाखिल किए जाने वाले ऑनलाइन संयुक्त विकल्पों हेतु निर्देश जारी किए गए हैं जो दिनांक 01.09.2014 से पहले सेवारत थे और दिनांक 01.09.2014 को या उसके बाद सेवा में बने रहे, लेकिन कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के पैरा 11(3) के पूर्ववर्ती परंतुक के तहत संयुक्त विकल्प का प्रयोग नहीं कर सके। संयुक्त विकल्प दिनांक 03.05.2023 को या उससे पहले दायर किए जा सकते हैं।

*****